राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का २१वां दिवस [संख्या १५

गुरुवार दिनांक १२ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खाद्य, गृह, स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा, सिंचाई, स्वायत्त शासन एवं राजस्व–विभाग]

प्रश्न संख्या ३५०.

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३५१.

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री अमरसिंह।

चीनी का कोटा-पंचायत समिति क्षेत्र दूदू।

३५२. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पंचायत समिति दूदू क्षेत्र में चीनी का कोटा माह दिसम्बर, १९६३ का कौन-कौन से सेंटर्स को दिया गया ?

(२) अन्य सेंटर्स पर न देने के क्या २ कारण हैं ?

उप-मंत्री खाद्य (श्री परसराम मदेरणा) :

(१) पंचायत समिति दूदू क्षेत्र में दूदू, हिरनौदा, घमाना, मोजमाबाद, बिचून व ढाणी-बोरास को दो माह दिसम्बर, १९६३ में चीनी का कोटा २२ बोरियों का दिया गया है।

(२) माह दिसम्बर, ६३ में चीनी का कुछ कोटा विलम्ब से आने के कारण दूदू पंचायत समिति को भी हिस्सा उसी अनुपात से कम दिया गया और इसी कारण से अन्य सेन्टर्स को चीनी नहीं दी जा सकी।

श्री अमरसिंह : २४ सेंटर्स में से सिर्फ ६ में दी गई, बाकी को नहीं दी गई, इसका कौनसा आधार है ? इसके लिए कोई नियम होंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : आधार मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया कि चीनी के वैगन्स कुछ विलंब से आए और इसलिए जो चीनी उपलब्ध थी वह चीनी वहां भेज दी गई। २२ बोरियां भेजी जो ६ सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई।

श्री अमरसिंह : आपने नहीं बतलाया, लेकिन किस आधार पर बाकी को छोड़ दिया गया और ६ को प्रायोरटी के आधार पर ले लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मैं नहीं बता सकता कि आधार क्या था लेकिन एस. डी. ओ. और बी. डी. ओ. दोनों मिलकर पंचायत समिति में चीनी का वितरण करते हैं। उन्होंने आवश्यकता या कोई दूसरा आधार बनाया होगा। मुझे यह जानकारी नहीं कि १८ को छोड़कर बाकी ६ को क्यों दिया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इन ६ सेंटर्स पर किस मात्रा में चीनी बांटी गई ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रति व्यक्ति आधा किलो के हिसाब से।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान को दूसरी जगहों पर भी आधा किलो मिलती है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, राज्य सरकार के इस तरह के आदेश हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बिल्कुल गलत है। आदेश नहीं हैं। ग्रामों में १०० ग्राम प्रति व्यक्ति तक चीनी भी नहीं दी जाती है, अगर आदेश हैं तो ६५ प्रतिशत गांवों में इस आदेश की अवहेलना की गई है।

श्री अमरसिंह : मैं बताना चाहता हूं कि आधा किलो नहीं दी गई, २५० ग्राम दी गई है। जो एस. डी. ओ. के मर्जीपात्र थे उनको ज्यादा दी गई बाकी और कोई आधार नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : एक पैकेज अलॉटमेंट कलेक्टर साहबान को की जाती है। जो ६५०० टन राजस्थान को मिलती है अलग-अलग कलेक्टर्स को दी जाती है। आदेश हैं कि आधा किलो के आसपास वितरण की जाय। खास तौर से अकालग्रस्त एरिया के अंदर कुछ कोटा अलग रख दिया जाता है। हो सकता है कि आधा किलो चीनी नहीं मिली हो। लेकिन जहां तक पूरी चीनी आती है उसमें रूरल एरिया को आधा किलो चीनी प्रति व्यक्ति हिस्से में आती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप कहते हैं कि आधा किलो हिस्से में आती है। मैं कहता हूं कि ६५ प्रतिशत गांवों में आपके आदेश की अवहेलना हो रही है और राजस्थान को सारे हिंदुस्तान में सबसे कम चीनी मिलती है। आपके मंत्रीजी ने कहा कि ६,००० टन मिलती है, गुजरात को २१ हजार मिलती है, जिसकी पॉपुलेशन हम से कम है, और पंजाब को १२ हजार टन मिलती

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है। हमारी सरकार कैबीनेट लेविल पर या चीफ मिनिस्टर्स लेविल पर भारत सरकार से बातचीत क्यों नहीं करती ? चीनी का स्कैंडल जितना राजस्थान में है किसी प्रांत में नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस संबंध में पहले भी कहा जा चुका है भारत सरकार से एक बार नहीं बल्कि कई बार ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : उसका नतीजा क्या निकला ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या नतीजा निकला ? इस बातचीत के बावजूद राजस्थान के प्राय हरेक गांव में १००-२०० ग्राम चीनी मिलती है। गुजरात में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ के लिए तो सिर्फ सारे हिंदुस्तान में राजस्थान की जनता ही बच गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में खाद्य मंत्रीजी, जिस वक्त राज्यपाल महोदय के भाषण पर वादविवाद हो रहा था, काफी डिटेल्स में प्रकाश डाल चुके हैं कि किस क्राइटेरिया की वजह से राजस्थान को ६,००० टन चीनी फिक्स हुई। वह फार्मूला वैसे सारे भारतवर्ष में समान रूप से लगाया गया है और उसी आधार पर राजस्थान के लिए ६ हजार टन हिस्से में आती है। लेकिन हमारी आबादी को देखते हुए यह कम पड़ती है। इसलिए हमने इस संबंध में समय-समय पर हाइएस्ट लेविल पर भारत सरकार से और दूसरों से बातचीत की। बीच में उन्होंने एक हजार टन करीब एक्स्ट्रा अलॉटमेंट राजस्थान के लिए की और हम इस प्रश्न पर सतत लगे हुए हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मंत्री महोदय ने कहा कि आधा किलो प्रति व्यक्ति देने के आदेश हैं। इस आदेश की पूर्ति ६५ प्रतिशत गांवों में नहीं होती। आपकी सरकार कब तक विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक-एक गांव की डिटेल्स का जवाब नहीं दे सकता। संबंधित डिपार्टमेंट ही बता सकता है। आपने तो भारत सरकार की कोटा की बात कही कि क्यों राजस्थान को कम कोटा मिलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

"जन-ताकत" साप्ताहिक के सम्पादक की गिरफ्तारी

३५३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) द्वारा पूछा गया] :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि हिन्डौन में "जन-ताकत" साप्ताहिक के सम्पादक, श्री प्रेमनिधि अग्रवाल को गत ३१-५-६३ को गिरफ्तार किया गया और दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल कर जेल भिजवाया गया ? यदि हां, तो उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) क्या यह सही है कि श्री प्रेमनिधि को गिरफ्तार करते समय न उन्हें कोई जुर्म बतलाया गया और न ही कोई वारन्ट दिखलाया गया और ना ही उसकी जमानत ली गई ?

(३) क्या यह सही है कि उन्हें अपने जुर्म की इत्तिला जेल में मिली जब कि उन्हें नोटिस दिया गया और इस नोटिस पर उन्होंने इस तथ्य को दर्ज किया है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :

(१) श्री प्रेमनिधि अग्रवाल सम्पादक "जन ताकत" साप्ताहिक हिन्डौन को दिनांक ३१-५-६३ को धारा १०७ । ११७ सी. आर. पी. सी. के तहत एस. डी. एम. हिन्डौन द्वारा जारी किये गये वारन्ट की तामील में गिरफ्तार किया जाकर उनको जेल में दाखिल कराया गया। इनके एक हाथ में हथकड़ी लगाई गई थी।

(२) जी नहीं। प्रेमनिधि को गिरफ्तार के समय न केवल गिरफ्तारी वारन्ट दिखलाया गया बल्कि उनको उसे पढ़कर भी सुनाया गया एवं समझाया गया था। चूंकि वारन्ट नाकाबिल जमानत था इसलिए पुलिस को जमानत लेने का कोई अधिकार नहीं था।

(३) जुर्म की सूचना उन्हें गिरफ्तार करते समय ही दी जा चुकी थी। जैसा कि भाग (२) में उल्लेख है।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने जो बताया कि इसके लिए सूचना दे देदी गई थी वारंट दाखिल किया गया था, बिल्कुल असत्य है। इस संबंध में मुख्य मंत्रीजी से डेपुटेशन मिला था और तथ्य उनके सामने रखे गए थे। कलेक्टर ने भी इस चीज को माना है। न तो कोई फर्द दी गई और न गिरफ्तारी के समय वारंट दिया गया मुख्य मंत्री के पास दो चार बार यह मामला आ चुका है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जो निवेदन किया है वह आधार पर ही किया है। वारन्ट की उनको सूचना दी गयी थी। ज़ाब्ता फौजदारी की धारा १०७ और ११७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उनसे भी उनको अवगत करा दिया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे प्रेमनिधि सम्पादक ही नहीं बार के मेम्बर भी थे। उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब कि वे अदालत में मुकदमें की पैरवी के लिए जा रहे थे। उनको बाकायदा हथकड़ी लगा कर जेल में रख दिया गया। कोर्ट में एक एडवोकेट खड़ा होता है वह १०७ का जुर्म कर दे यह सम्भव नहीं है। वह कोई उस वक्त लट्ठ मार दे यह सम्भव नहीं है। यह बात सम्भव नहीं है। इससे एक हलचल हो गई है। माननीय मुख्य मंत्री ने डेपुटेशन के सामने स्वीकार किया था कि उनके इस मामले में इन्क्वायरी की जायगी। वहां ताजियों का झगड़ा था। जमीन, एक सेठ साहब थे जो उसमें इन्ट्रेस्टेड थे, उनको एलाट की जाने वाली थी जहां से ताजिये निकलते थे। उन लोगों ने विरोध किया कि यहीं से ताजिये निकलने दिये जायं। काफी दमन हुआ है। सिम्पल मामला नहीं है। बिलकुल उपमंत्री महोदय

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ने गलत तथ्य दिये हैं। उनको हथकड़ी लगाकर ले जाया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक हाथ में हथकड़ी लगा कर ले जाया गया १०७ व ११७ में गिरफ्तार करके। कहा गया कि अदालत में गिरफ्तार किया गया, यह गलत है। अदालत में गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके एक हाथ में हथकड़ी लगायी गयी और उनको लॉक अप में रखा गया।

श्री रामकिशन : यह बिलकुल सही है कि उनको कोर्ट में गिरफ्तार किया गया था। और एस० डी० एम० ने यह ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट में आओगे तो जूते पहन कर नहीं आओगे। एक जन-प्रतिनिधि के लिये इस प्रकार की कार्यवाही की जाय यह बड़े दुःख की बात है। इस सम्बन्ध में जिन्होंने इन्क्वायरी की उन्होंने भी यह कहा है कि इनने खिलाफ कुछ नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने कहा कि अदालत में जूते पहिन कर न जायं तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कोई आज्ञा नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : दी भी है तो उसके लिए यहां बहस नहीं हो सकती। अदालत के ऑर्डर के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है तो यहां उसकी बहस नहीं होनी चाहिये, क्योंकि उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। पुलिस की ज्यादती का जहां तक सवाल है उनको गिरफ्तार किया गया है, हथकड़ी भी पहिनाई है; यह अदालत के हुक्म से हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक लीगल प्रोसीजर है। किसी धारा के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट हुक्म दे देता है चाहे माननीय सदस्यों का उससे किसी भी प्रकार का विरोध हो, कितना ही वे उसके प्रति विरोध रखते हों; लेकिन उस हुक्म के विरोध में यहां कोई वाद-विवाद नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत से उस सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय........

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir.

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथुलाल करौल।

जल-प्रदाय योजना-चाकसू

३५४. श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जल-प्रदाय योजना के अन्तर्गत कस्बा चाकसू, जिला जयपुर का सर्वे करवाया गया और जिलाधीश से अनुमोदित होकर सरकार के पास भेज दिया गया ?

(श्री नाथूलाल करौल)

(२) यदि हां, तो क्या इस नल योजना का कार्य कस्बा चाकसू में भी शुरू किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) फिलहाल अर्थाभाव के कारण उपरोक्त स्कीम हाथ में नहीं ली जा सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जहां तक गांवों की जल-व्यवस्था का प्रश्न है स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले जवाब दिया था कि ६७ करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने उन रुपयों में से कितने रुपये प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और उन रुपयों के मिलने में क्या कठिनाइयां हैं ? इसमें ५ प्रतिशत तो लोग देते हैं और ६५ प्रतिशत में से आधा भारत सरकार देती है और आधा राज्य सरकारें देती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, वाटर वर्क्स के अन्दर दे रहे हैं वह विदिन प्लान्स दे रहे हैं। विदिन प्लान्स देने का मतलब यह है कि प्लान्स का एडजस्टमेन्ट करके देते हैं। राजस्थान सरकार का यह कहना है कि पानी के लिए पैसा दिया जाय वह आउट साइड दी प्लान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि आप प्लान बनाते हैं, लेकिन पानी की समस्या को हाई प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : देना चाहते हैं। फिलहाल खाद्य पदार्थों पर अधिक जोर लगा रहे हैं और अपने अपने तरीके से इसकी प्रायोरिटी फिक्स की गई है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने सबसे पहली बात कही है वह यह है कि फूड, एग्रीकल्चर और केनाल इन पर रुपये कम नहीं होने चाहियें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६७ करोड़ रुपयों का प्रावधान है। भारत सरकार देना चाहती है। आपको देने में क्या कठिनाइयां हैं ? स्टेट कॉन्ट्रिब्यूशन में सरकार पैसा देने में असमर्थ क्यों है ? क्या इस आधार पर भारत सरकार पैसा देने को तैयार नहीं है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। यह निवेदन कर दूं माननीय सदस्यों से कि हमने अपनी तरफ से एन्यूअल प्लान के लिए प्रोपोजल्स प्लानिंग कमीशन के सामने प्रस्तुत किये थे, फीगर्स में थोड़ा फर्क हो सकता है। करीब ४० लाख रुपये अगले साल के लिए रखे थे। वह हो जाने के बाद हमने इस बात को प्रेस किया कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारी बहुत बड़ी जबरदस्त समस्या है इसलिए इसमें पैसा और बढ़ाया जाय। एक स्टेज पर ८३ लाख रुपया वहां बढ़ाने की बात हुई। जब प्लानिंग कमीशन के साथ डिस्कशन हुआ और बढ़ाने के बाद ओवरआल हर स्टेट के प्लान को बढ़ा कर फाइनेन्स मिनिस्ट्री के पास प्रोपोजल्स गये। वहां पर टोटल प्रोपोजल्स कन्ट्रीस के थे और हमारे लिए जितने एडीशनल प्रोपोजल्स थे, आपने प्लान में देखा होगा कि हमने प्रोपोज किया उससे भी अल्टीमेटली टाइम पर वर्क्स समाप्त होंगे, राजस्थान केनाल पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स और दूसरे इर्रिगेशन के प्रोजेक्ट्स

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के लिए एडीशनल फन्ड्स प्रोवाइड किये, लेकिन जहां तक ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है उसके लिए रुपये लेस करके २० लाख रुपये का अगले प्लान में प्रोविज़न किया। उसके बाद जब यहां डिप्टी चेयरमेन प्लानिंग कमीशन आये थे तो हमने इस पॉइंट पर एजीटेट किया था और कहा था कि हमारी यह एक एक्यूट प्रॉब्लेम है और इसके लिए फन्ड प्रोवाइड करने चाहिये। तो लोकल डेवलपमेन्ट फन्ड्स के लिए जो रुपये प्रोवाइड किये गये उसके रुपये भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी ज्यादातर काम में आते हैं। ६४-६५ के एन्यूअल प्लान में वे सिम्पेथेटिकली कन्सीडर करेंगे और इस साइड में जो गेप है उसकी कुछ पूर्ति होगी ऐसी संभावना है।

इसके अलावा माइनर इर्रिगेशन स्कीम में ट्यूब वेल्स स्कीम है उसके अन्दर भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए फन्ड्स अवेलेबल हो सकेंगे। वे भी ड्रिंकिंग वाटर को सप्लीमेंट करने के अन्दर एक तरह से सहायक होंगे। अलग-अलग मदों से मिलेगा और जैसा कि ६७ करोड़ का है गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से मिलेगा; इस बिना पर कहते हैं कि टोटल फन्डस हैं फाइव इयर प्लान के। हर स्टेट में कमिटेड एक्स्पेन्डीचर हो जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको वक्त पर पूरा करना जरूरी है, नहीं तो लाखों करोड़ों रुपयों का इन्ट्रेस्ट एक साल डिले होने में लग जाता है। इसीलिए जनरली शॉर्टफाल हो रहा है। प्लान जो टोटल बनता है उसमें हर स्टेट में कम हो जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या हमारी स्टेट इस पर्टीकुलर प्रोजेक्ट के लिए विदिन दी प्लॉन या आउट साइड दी प्लॉन अपना कॉन्ट्रिब्यूशन देने में असमर्थ रही इसीलिए इसकी कार्यवाही करने में यह स्थिति हो रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारा कॉन्ट्रिब्यूशन और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का कॉन्ट्रिब्यूशन अलग नहीं है। आपको मुगालता हो रहा है। मेचिंग ग्रान्ट की स्कीम नहीं है, ५ पर्सेन्ट हम देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया एडीशनल देगी। ५ पर्सेन्ट तो लोगों से लेते हैं, बाकी स्टेट प्लॉन में प्रोवाइड होता है और ६७ करोड़ का पार्ट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस प्रोजेक्ट के लिए पर्टीकूलरली भारत सरकार की ओर से, ६५ पर्सेन्ट में से ५० पर्सेन्ट मिलता है। आपका कोटा उनको नहीं मिल रहा है और इस कारण रुपया प्रोवाइड नहीं किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रोजेक्ट का सवाल नहीं है। कुल जितने रुपये प्रोवाइड कर सकते हैं, यह स्टेट गवर्नमेंट के देखने की बात है कि कमिटेड चीज़ के अलावा जो फन्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मान लीजिये ५ पर्सेन्ट हैं तो हम कहां २ दे पायें। भारत सरकार, जैसे कहा कि ६५ पर्सेन्ट में से ५० पर्सेन्ट देती है और ५ पर्सेन्ट लोगों से लेते हैं, यदि उसमें से मेचिंग ग्रान्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया देती है तो we would be very glad.

श्री नाथूलाल करौल : अगर नगरपालिकायें अपने हिस्से का पैसा देने को

Page No. 8

(श्री नाथूलाल करौल)

तैयार हों तो क्या ६५ पर्सेन्ट आप देने को तैयार हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : इसका सम्बन्ध नगरपालिकाओं से नहीं है। यह तो पंचायतों और रूरल एरिया के लिये है। म्युनिसिपैलिटी का जहां तक ताल्लुक है उनको पूरा का पूरा रुपया उधार दिया जाता है और इन्स्टॉलमेन्ट के हिसाब से काट लिया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप ६० लाख रुपये का प्रावधान एक पर्टीक्यूलर शहर के लिये कर सकते हैं, वहां सारे राजस्थान के गांवों को नेगलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक तौर से अगर आप विदिन प्लॉन नहीं कर सकते तो आउड साइड दी प्लॉन करें ताकि पीने के पानी की समस्या जो हमारे राजस्थान के गांवों में व्याप्त है वह दूर हो सके। 'अर्थाभाव के कारण हम नहीं कर सकते' यह जो उत्तर दिया गया है वह सन्तोषजनक नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम खुद इस समस्या से पूरी तरह से चिन्तित हैं और इसको ठीक करने के लिये उत्सुक हैं। जितना विदिन प्लॉन सीलिंग हो सकता है और एडीशनल फन्ड्स डयुरिंग दी ईयर कर सकते हैं, we will try our best.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

फील्ड मेन द्वारा सरकारी रकम का दुरुपयोग

३५५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या डी० ए० ओ० (ईस्ट एन्ड वेस्ट) जयपुर के एक फील्डमेन, श्री सी० एल० यादव ने लगभग २,२००) रु० जेब कटने का बहाना बनाकर अपने उपयोग में ले लिये ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

(२) शाहपुरा में जौ का बीज जो श्री सी० एल० यादव द्वारा बेचा गया उसकी रकम कब जमा कराई गई ? क्या इस सम्बन्ध में ऑडिट आब्जेक्शन हुआ है ?

(३) क्या इसी फील्डमेन में कपास की कीमत भी बकाया है जिसका एतराज ऑडिट ने किया है ? यह रुपया कब जमा होना चाहिये था ?

(४) सन् १९६० में को-आपरेटिव सोसाइटी से क्या लगभग १,०००) रुपया गेहूं के लिये लिये थे ? यदि हां, तो यह रकम किस तारीख को आई, किस तारीख को कैश बुक में जमा हुई ?

(५) क्या इसी कार्यालय डी० ए० ओ० में सन् ६१ में एक त्रिपाल १४०) रु० में खरीदा है ? यदि हां, तो यह खरीद कहां से, कैसे की गई ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं। उप-संचालक, कृषि, भरतपुर की रिपोर्ट से ऐसा विदित नहीं होता है।

(२) रकम तारीख १९–६–६१ को जमा कराई गई। जी हां।

(श्री भीमसिंह)

(३) जी हां। पर ऑडिट ने कोई एतराज नहीं किया है। यह रुपया सन् ५२-५३ में जमा हो जाना चाहिये था।

(४) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) जी हां। बॉम्बे लेदर वर्क्स से यह त्रिपाल कोटेशन आमंत्रित करके खरीदा गया, क्योंकि उसके कोटेशन सबसे कम थे।

प्रश्न संख्या ३५६

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

किटाणुयुक्त पानी के निकास की व्यवस्था

३५७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) [श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि एस० एम० एस० हॉस्पिटल जयपुर में जो पानी मरीजों के सफाई, दवाई आदि में काम आता है वह आम सड़क पर छोड़ा जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस पानी में दुर्गन्ध होती है तथा बीमारियों के कीटाणु होते हैं जिससे बीमारी फैल सकती है ?

(३) क्या यह सही है कि इससे सड़क पर कीचड़ फैलता है और आने जाने वाले व्यक्तियों को अड़चन होती है ?

(४) क्या सरकार इस कठिनाई को हटाने की शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) ऐसी बात नहीं है महाराजा कालेज के हास्पिटल के आहते में जो सीवेज पम्प है उसका खराब पानी अस्पताल के बेसमेन्ट में न भर जाय उसे बचाने के लिये कभी कभी पम्प आउट किया जाता है और यह पानी आम सड़क पर बहता है।

(२) जी हां, दुर्गन्ध आती है। जहां तक बीमारी फैलने का प्रश्न है अभी तक इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है।

(३) जी हां, सरकार इस असुविधा के सम्बन्ध में पूर्ण जागरूक है और इसलिये चीफ इन्जीनियर, हैल्थ ने इस कठिनाई के लिये २.१३ लाख की एक योजना सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी है। आशा है यह योजना शीघ्र हाथ में ली जावेगी।

श्री महेन्द्रसिंह : जो योजना स्वीकृति के लिये भेजी है क्या वह सरकार मन्जूर कर रही है क्या ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : सरकार इस बात को जानती है कि इसका फौरन इन्तजाम करना चाहिये। सरकार ने खुद ने स्पेशल तौर पर इसके लिये चीफ इन्जीनियर को कहा है स्कीम तैयार करने को। इस स्कीम को अगले साल के अन्दर हाथ में ले लेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो पानी सड़क पर डाला जाता है वह काफी दिनों तक सड़क पर पड़ा रहता है सूखता नहीं। इस गन्दगी को आप कब दूर करेंगे या योज-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नाओं को इसी तरह का कीचड़ लगता रहेगा ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या यह सही है कि पानी बहुत दिनों का पड़ा रहता है और उसके बाद निकाला जाता है इसलिये बदबू निकलती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कृषि-स्नातक

३५८. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सन् १९५७ से सन् १९६३ तक कुल कितने कृषि-स्नातक निकले हैं, क्या उन सभी स्नातकों को राज्य-सेवा में नियुक्त कर दिया गया है ?

(२) यदि नहीं, तो क्या उन्हें राज्य सरकार की योजनानुसार राजकीय सेवा में स्थान न मिलने की हालत में कृषि के लिये भूमि देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री कृषि, (श्री भीमसिंह) : (१) (अ) ६४८ ।

(ब) इसके बारे में सही तौर पर नहीं कहा जा सकता ।

(२) जिन स्नातकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है उन्हें भूमि दिलाने का प्रावधान करने के बारे में मामला विचाराधीन है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रूल्स में ऑलरेडी प्रावधान है फिर क्या प्रावधान करने का विचार कर रहे हैं ? आपको किस सेक्रेटरी ने यह लिख कर दे दिया । जरा आप उनसे बात करना ।

श्री भीमसिंह : इसका मालूम कर लिया जावगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रूल्स में इसका प्रावधान मौजूद है ।

श्रीमती सुमित्रा : ६४८ स्नातक जो निकले हैं आपकी मिनिस्ट्री को इतना भी पता नहीं कि उनमें से कितनों को एम्प्लॉय कर दिया गया है ?

श्री भीमसिंह : जिन-जिन कॉलेजों की सूचना मिली वह बता दी है ।

श्रीमती सुमित्रा : आखिर कॉलेज दो ही हैं ?

श्री भीमसिंह : दो नहीं, तीन हैं ।

श्रीमती सुमित्रा : तीन हैं तो इन तीन कॉलेजों से यह मालूम करना कठिन है क्या ?

श्री भीमसिंह : कितनों को एम्प्लॉयमेन्ट मिला, इसकी सूचना स्नातक लोग कॉलेज अधिकारियों को दें, यह कोई कम्पलसरी नहीं है । जब छात्र पास हो जाते हैं, सारे भारतवर्ष में फैल जाते हैं इसलिये इनका रेकार्ड नहीं रख पाते ।

श्रीमती सुमित्रा : मेरा सवाल है राजस्थान सरकार ने कितनों को एम्प्लॉय किया है ?

श्री भीमसिंह : २१३ ।

Page No. 11

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितनों को एम्प्लॉय किया है और कितनों की एप्ली-केशन्स पेन्डिग हैं ?

श्री भीमसिंह : २१३ को एम्पलॉय किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पेन्डिग दरख्वास्तें कितनों की बची हैं ?

श्री भीमसिंह : ४० वेकेन्सीज अभी हैं जिनके लिये एडवर्टाईजमेन्ट निकला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो एग्री-कलचर में बी० ए० करने के बाद जो स्नातक निकलते हैं क्या आप प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत जमीन देने को तैयार हैं ?

श्री भीमसिंह : यह प्रथक प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रा : इसी से सम्बन्धित है। गत वर्ष, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में यह सुझाव दिया गया था कि संयुक्त कृषि सहकारी समितियां बनाई गई हैं उनकी सुव्यवस्था के लिये इस प्रकार जिन स्नातकों को एम्प्लॉयमेन्ट नहीं दे पाये हैं उनके लिये ए० ई० ओ० की जगह एम्पलॉयमेन्ट करके उनको नियुक्त किया जाय, क्या इस बारे में राज्य सरकार ने विचार किया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कैदियों को खुराक

३५६. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस हवालात के कैदियों को एक समय की खुराक केवल चार आना प्रति कैदी दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस मंहगाई के जमाने में चार आना प्रति कैदी एक समय नाकाफी है और कैदियों को भूखा रहना पड़ता है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की इस थोड़ी खुराक देने की नीति से अभियुक्तों में बड़ा असन्तोष है ? यदि हां, तो सरकार इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। कैदियों को दोनों समय खुराक दी जाती है। जिसका मूल्य दोनों समय का न्यूनतम ५० नया पैसा तथा अधि-कतम १.१५ नया पैसा है।

(२) जी नहीं। भाग १ के उत्तर में बताये हुए दर में कैदी को ५२५ ग्राम आटा, ५८ ग्राम दाल एवं आवश्यक सामग्री जैसे मसाले, तेल इत्यादि दिया जाता है।

(३) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या कैदियों को दिये जाने वाले भोजन को माननीय मंत्री ने चखा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई मौकों पर चखा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मंत्री बनने के बाद चखा है या मंत्री बनने से पहले ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो अभी ही सम्भव हो सकता है अलवर और जयपुर दोनों जगहों पर चला है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमने सोचा शायद आजादी के लिए संघर्ष के समय जेल में गये हों और वहां चला हो ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि हवालात में जो कैदी रहते हैं उनको केवल खाने के लिये छः आने के के पैसे दिया जाते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा कि निवेदन किया वह कैदियों को खाना दिये जाने की बात है । जहां तक पुलिस की हवालात में रखने का सवाल है उसमें तो उसको घर से खाना मंगाने की इजाजत है । वह घर का भी खाना खा सकता है । मैंने जो बताया है वह न्यूनतम बताया है । इसके अतिरिक्त अलग-अलग जिलों में अलग-अलग स्तर पर है । खुराक के संबंध में ४६ न. पै., ४८ न. पै., १.२५ न. पै. तक दिया जाता है । पुलिसवालों काभी इसी तरह का हिसाब है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि हवालात में रहने वालों के लिए जो खुराक दी जाती है उसको पुलिस के आदमी खा जाते हैं और वह अमाउन्ट ड्रा कर लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : Don't make wild allegations, Hon. Member.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ । मैं जब हिरासत में था, मैंने खाना मांगा था उस समय मुझे छः आने पकड़ा दिये और कह दिया इससे आप खाना खा सकते हैं । दोनों टाइम खाना इसी में खा सकते हैं । छः आने से ज्यादा नहीं दिया जाता यह रूल्स में प्रोवीजन है यह उनका कहना था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस वाले भी इसी आधार पर टेन्डर्स इनवाइट करते हैं । अलग से छः आने दे दिये जाते हैं यह भी बात हो सकती है लेकिन यह अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि यह खुराक वजन के हिसाब से मुकर्रर करते है कि इतना तो कम से कम न्यूनतम मिलेगा ही आटा, दाल इत्यादि ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, टेन्डर्स इनवाइट किये जाते हैं पैसे के हिसाब से केवल टेन्डर्स मांगे जाते हैं । वह भी कई आधारों पर निश्चित होते हैं । अलग-अलग श्रेणियों के कैदियों के आधार पर निश्चित होता है । इसका पूरा ध्यान रखा जाता है टेन्डर्स जो लिये गये हैं उसमें खुराक प्रेस्क्राइब्ड है । इतना आटा, इतनी दाल होनी चाहिए पूरा सामान रखा जाता है और उसी आधार पर टेन्डर मन्जूर किया जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को इसमें कोई सैद्धान्तिक विरोध है कि कैदी चाहे अन्डर ट्रायल हो, अथवा कन्विक्टेड हो, उसे भरपेट भोजन दिया जावे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई सैद्धान्तिक विरोध नहीं है । सरकार का यह प्रयास होता है कि सबको भरपेट खाना मिले ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : व्यक्ति को देखकर उसके अनुसार टेन्डर मांगे जाते हैं यह आपने कहा, तो क्या मोटा-पतला आदमी देखकर टेन्डर मांगते हैं या इतनी कैलोरीज और हीट एक को मिलनी चाहिए यह देखकर टेन्डर मांगते हैं कोई इसमें साइन्टिफिक आधार तो होना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एवरेज व्यक्ति के आधार पर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्थिति को देखकर मांगे जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक कन्विक्टेड को चार रोटी और अन्डर ट्रायल को ३ रोटी आपकी जेलों में दी जाती है। ज्यादा मांगते हैं तो इन्कार कर देते हैं, क्या यह सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : निश्चित आधार पर जितना नाप होता है उतना दिया जाता है, अब उसमें चार रोटी हो सकती है, तीन हो सकती है। पांच भी हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच तो होती ही नहीं। पर इसका क्या आधार है कि एक अन्डर ट्रायल को पूरा खाना नहीं दिया जाता, तीन रोटी ही दी जाती है। उसको तो भूखों मारा जाता है और सजा होने के बाद चार दी जाती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या ऐसा कुछ है कि अन्डर ट्रायल वाले को भूख नहीं लगती और कन्विक्ट हो जाने के बाद भूख लगने लग जाती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह नहीं कहा। अन्डर ट्रायल मेल-फीमेल वगैरह में एक ही बात कही है। हम उनमें समन्वय करके चलते हैं, भेद नहीं करते।

श्री रामकिशन : यह भेद है। आप जांच करके और जानकारी कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या भर पेट भोजन देने के सिद्धान्त को आप स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हैं तो जेलों में ऐक आदमी को ज्यादा भूख लगती है और उस पर ज्यादा रोटी मांगता है तो उसको इन्कार किया जाता है, क्या इसको बन्द करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। आपस में वे बड़े मिलजुल कर रहते हैं। उदाहरणार्थ, किसी को चार रोटी दी गई और वह तीन ही में अपना पेट भर लेता है तो एक रोटी दूसरे साथी को दे देता है और उनमें सहयोग रहता है इसलिए कोई यह शिकायत नहीं करता। आप स्वयं यह महसूस करेंगे कि एक-एक व्यक्ति के आधार पर तय करके चलें तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सामान्य नीति के आधार पर सामान्य स्थिति को देख कर तय किया जाता है। जेल में कोई भूखों नहीं रहता, इतनी सद्भावना इनमें आपस में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खुद मैं अपने परसनल एक्सपीरियेन्स के आधार पर कहता हूं। किशनगढ़ आन्दोलन के अन्दर १५०-२०० हम लोग जेलों में गये थे तो तीन रोटी से ज्यादा मांगने पर इन्कार कर देते थे। यह सही है कि कोई कम खाने वाला अपना हिस्सा बचा हुआ दूसरे को दे दे। पर सरकार की ओर से इन्कार कर दिया जाता है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और कई कैदियों को भूखे रहना पड़ता है, यह तथ्य है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने उस वक्त कोई शिकायत ऐसी प्रस्तुत नहीं की । फिर भी मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की शिकायत कोई भी सरकार के पास नहीं आई है अभी तक ।

श्री रामकिशन अग्रवाल : यह आप कैसे कहते हैं कि शिकायत नहीं आई । सन् ५८ और ६० में मैंने स्वयं ने जेल में यह देखा है कि तीन रोटी से अधिक नहीं देते । जयपुर की जेल में मैंने देखा है और अपना खुद का अनुभव है और इसकी लिखित शिकायत सरकार के पास भेजी है कि इस तरह से कई लोग हमारे भूखों रह जाते हैं । आप कैसे कहते हैं कि आपको शिकायत नहीं भेजी किसी ने ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कब जेल गये, पोलिटिकल आधार पर गये या पीनल कोड की किसी सैक्शन के अन्दर गये ? इसका मुझे ज्ञान नहीं है ।

श्री रामकिशन : आप जेल में कभी रहे नहीं, इसलिये आपको ज्ञान नहीं हो सकता, मुख्य मन्त्रीजी जेल में रहे हैं, उनको ज्ञान है ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अलग-अलग जेलों के लिए अलग-अलग व्यवस्था क्यों की जाती है ? राजस्थान भर के लिये एक ही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां के अलग-अलग फिजिक होते हैं आदमियों के फिर अलग-अलग जगह की अलग-अलग डिस्टेन्स होती है, कितने नम्बर कहां कहां पर होते है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है । और अलग-अलग जगहों की क्या स्थितियां हैं, उन पर रेट्स वेरी करती हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कैटेगरिकली यह बतायें कि क्या अब भी सरकार इस सिद्धान्त को मानने को तैयार है या नहीं कि प्रत्येक कैदी को जितनी उसकी भूख है उसके अनुसार भर पेट भोजन सरकार अपनी तरफ से देगी । दूसरा कैदी खुद की खुराक में से बचा कर दूसरे को दे यह दूसरी बात है । पर सरकार अपनी तरफ से इन्कार नहीं करेगी जितना जो मांगेगा भूख के लिए उतना देगी, क्या इसको सरकार सिद्धान्त तया स्वीकार करने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जोधसिंह ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका उत्तर तो देने दीजिये, अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका जवाब बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : यही बात माननीय सदस्य तीन बार पूछ चुके हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे कैटेगरिकली भी तो जवाब नहीं देते इसलिये पूछना पड़ता है ।

Page No. 15

श्री राधाकृष्ण गोयल : आसन की ओर से पूछा गया था कि वजन के हिसाब से देते हैं या पैसे के हिसाब से देते हैं इसका भी उत्तर स्पष्ट नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नर्सिंग शिक्षा

३६०. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य में नर्सिंग की शिक्षा व सेवा की प्रगति सन्तोषजनक है ? यदि नहीं, तो शिक्षा व सेवा के क्षेत्र में सुधार के क्या नये कदम उठाये जा रहे हैं ?

(२) क्या नर्सिंग की शिक्षा देने वाले पोस्ट बेसिक शिक्षण प्राप्त ट्यूटर्स को अन्य राज्यों की तरह बिना पोस्ट बेसिक सिस्टर्स की तुलना में ऊंचे ग्रेड का प्रावधान है ?

(३) क्या हर एक स्कूल में ट्यूटर्स तथा शिक्षार्थियों का अनुपात इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के अनुसार है ? यदि नहीं, तो उसके लिये क्या किया जा रहा है ?

(४) इस समय कितने स्त्री तथा पुरुष पात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा उनमें से कितने स्त्री तथा पुरुष पात्रों के लिये होस्टल की व्यवस्था है ?

(५) क्या छात्रवृत्ति पाने वाले पात्रों दूसरे स्टॉफ की तरह आठ घंटे की दिन में तथा १२ घंटे की रात की ड्यूटी कराई जाती है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

नर्सों की कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने नर्सिंग की शिक्षा के लिये अलवर कोटा, उदयपुर व जोधपुर से पुरुष कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंग के लिये सेन्टर चालू कर रखे हैं जिसमें ५० लड़के प्रति वर्ष भर्ती करने का प्रावधान है और उनको चालीस रुपया मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी तरह स्त्री-नर्सों के लिये जयपुर, जोधपुर, अजमेर व बीकानेर में प्रशिक्षण केन्द्र चालू हैं। जयपुर और जोधपुर में ५० छात्राएं प्रति वर्ष भर्ती करने का प्रावधान है और अजमेर व बीकानेर में २५ छात्राएं भर्ती करने का प्रावधान है। इनको छात्रवृत्ति निम्न प्रकार दी जाती है :

पहिले १८ महीने में २०) रु० मासिक।

दूसरे १८ महीने में २५) रु० मासिक।

अन्तिम १२ महीने में ३०) रु० मासिक।

इसके अतिरिक्त पूरे प्रशिक्षण काल में ४०) रु० मासिक भोजन भत्ता भी दिया जाता है। इसी प्रकार मिडवाइफ को ट्रेनिंग के लिये अलवर, अजमेर, बीकानेर भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर में ट्रेनिंग चालू है। प्रत्येक ट्रेनिंग सेन्टर में ३० छात्राएं प्रति वर्ष लेने का प्रावधान है और इनको ५०) रु० प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इनको भोजन-भत्ता देने का प्रावधान नहीं है।

इनमें से बीकानेर में पी. एन. आर. ओ. (फीमेल) ट्रेनिंग सेन्टर और भरतपुर में ए. एन. एम. ट्रेनिंग सेन्टर सन्, १९६३ में

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

चालू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त रेडक्रास द्वारा दो पी. एम. आर. ओ. (फीमेल) ट्रेनिंग सेन्टर और २४ ए.एन.एम. के ट्रेनिंग सेन्टर खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार (डी. जी. एच. एस.) को भेजे जा चुके हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्न स्थानों पर चालू किये जायेंगे।

पी० एन० आर० सी० (फीमेल)

(१) अजमेर (विक्टोरिया अस्पताल) जोधपुर (महात्मा गांधी, अस्पताल)

ऑग्जीलियरी नर्स मिडवाइव्ज

१ गंगानगर २ बांसवाड़ा ३ भीलवाड़ा ४ डूंगरपुर ५ पाली ६ धोलपुर ७ बूंदी ८ चुरू ९ सिरोही १० करोली ११ झालावाड़ १२ जालौर १३ प्रतापगढ़ १४ टौंक १५ नागौर १६ लाडनूं १७ बारां १८ सुजानगढ़ १९ चित्तौड़गढ़ २० बड़ौद २१ किशनगढ़ २२ सीकर २३ रतनगढ़ २४ ब्यावर।

(२) जी नहीं। नर्सिंग की शिक्षा देने वाले ट्यूटर्स, सिस्टर ट्यूटर्स की शिक्षा प्राप्त किये गये व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। जिनको ग्रेड १७०-१०-३१०-१२-३३५ साथ में ५०) रु० प्रति माह टीचिंग अलाउन्स दिया जाता है।

(३) जी हां।

(४) निम्नलिखित स्त्री-पुरुष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(१) पुरुष नर्स, (पी. एन. आर. सी. मेल) ७८०।

(२) स्त्री नर्स (पी. एन. आर. सी. फीमेल) ३८०।

(३) मिडवाइफ (ए. एन. एम.) २८८. अभी तक केवल कोटा में होस्टल की व्यवस्था है। अन्य स्थानों पर जनाने शफाखाने में इन छात्राओं को रखने की व्यवस्था की गई है।

(५) छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र कुल ८ घंटे की ड्यूटी करते हैं जो स्ट्रेट शिफ्ट व ब्रोकन शिफ्ट में की जाती है। २४ घंटों की ड्यूटी ८-८ घंटों की ड्यूटी ३ पारी में लगाई जाती है।

श्री गीरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह सही है कि स्त्री नर्सों और पुरुष नर्सों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह एक सी दी जाती है, या उनमें फर्क है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : फर्क है और वह इसलिये है कि लेडीज कम मिलती हैं इसलिये उनको एनकरेज करने के लिये ज्यादा दी जाती है।

श्री गीरधारीलाल व्यास : इसमें यह भेदभाव क्यों जब कि दोनों का एक सा काम है?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने जवाब दिया न कि वे कम मिलती हैं, इसलिये उनको इधर लाने के लिये एनकरेज करने के लिये अधिक दी जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सरकार ही भेदभाव पर निर्भर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि बहुत से पुरुष नर्स अधिक ट्रेन्ड और अनुभवी हैं, फिर भी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उनको स्त्री नर्स से कम तनख्वाहें मिलती हैं । उनको कम फेसिलिटीज़ हैं, और सीनियोरिटी और जूनियोरिटी के बारे में भी पूरा ध्यान नहीं रखा जाता ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भोम) : यह तो बिल्कुल उचित किया जा रहा है, आप इस मामले में फिजूल हमला कर रहे हैं ।

श्री माकिनचन्द सुराणा : हम इसको बिल्कुल उचित समझते हैं । महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

श्री रामकिशन : इसमें और बढ़ोत्तरी होनी चाहिये ।

गंगनहर क्षेत्र में मोगे तोड़ने पर तावान

३६१. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंह नगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गंग नहर क्षेत्र, जिला गंगानगर, तहसील रायसिंह नगर के चक १३ आर. बी. तथा १५ आर. बी. के सारे गांव के समस्त काश्तकारों पर १५,०००) रुपये तावान प्रति गांव मोगा तोड़ने के सिलसिले में लगाया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह मोगे (आउट लेट्स) गांव के समस्त काश्तकारों ने मिलकर तोड़े हैं और क्या ऐसा मुमकिन है ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में सम्बिन्धित थाने में नहरी अधिकारियों द्वारा कोई एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है ?

(४) यदि नहीं, तो किस आधार पर नहरी विभाग ने सारे गांवों को गुनाहगार मान लिया ? यदि हां, तो थाने की इन्क्वायरी में कौन-कौन गुनाहगार पाये गये ?

(५) क्या यह सही है कि चक १३ आर. बी. तथा १५ आर. बी. टेलों के गांव हैं तथा उन्हें मोगे तोड़ने पर भी अधिक पानी नहीं मिलता है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, चक १३ आर. बी. व १५ आर. बी. के काश्तकारों पर मोगा तोड़ने के सिलसिले में तावान के केस बनाये गये थे ।

(२) राजस्थान इरिगेशन और ड्रेनेज एक्ट १९५४ की धारा ३३ व ३४ के तहत सभी चक के हिस्सेदारान पर तावान लगाया जा सकता है । यदि किसी विशेष अपराधी को चक वाले पेश न कर सकें ।

(३) जी नहीं ।

(४) इस का उत्तर उपर्युक्त भाग (१) से स्पष्ट है ।

(५) इस मोगे को तोड़ने की विधि व अवस्था पर निर्भर है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह ठीक है कि ३३-३४ दफा के तहत ड्रेनेज एक्ट में यह अधिकार है कि तावान सारे गांव पर लगाया जा सके । लेकिन यह ऑप्शन है । इसके साथ-साथ यह भी है कि एफ. आई. आर. चक आउट किया जावे और मुलजिम का पता लगाया जावे और वाकई जो गुनाहगार है उसको सजा दी जावे । तो एफ. आई. आर.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चक आउट की गई या नहीं? इसका उत्तर स्पष्ट नहीं दिया।

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर दे चुका हूँ। कायदे के मुताबिक कार्यवाही की गई है। जब कभी ऐसा होता है तो पूरी छानबीन की जाती है। इसके पश्चात् भी जब अपराधी नहीं मिलता तो सारे चक पर या सारे गांव पर तावान कायम किया जाता है। ऐसी स्थिति में गांव वालों को पता होता है और जानकारी होती है तो अपराधी को बता सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपराध का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इन्क्वायरी ऑफिसर नहीं गया। एफ० आई० आर० चक आउट नहीं हुई। सीधे एस० डी० ओ० ने जाकर पूरे गांव के ऊपर १४ हजार का तावान चेप दिया। वहां कोई ऑफिसर होता वह तहकीकात करता और फिर अपराधी मिलता उसको दण्ड देते। लेकिन यह तो सारे गांव के ऊपर साधारण तरीके से तावान चेप दिया........

श्री दौलतराम सारण : नहर के पानी के अधिकारियों ने अपने अधिकार के अनुसार उसकी तहकीकात की, छानबीन की और छानबीन करने के बाद में उन्होंने यह कार्यवाही की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरा प्रश्न यह है कि वह जो गांव है वह नहर की टेल के ऊपर है, उसमें मोगा तोड़ भी लिया जाये तो जो पानी पहले से आ रहा है वह तो आयेगा ही। फिर टेल के ऊपर से मोगा को तोड़ा गया तो लोगों को उससे क्या लाभ हुआ?

श्री दौलतराम सारण : इसलिये तो अपील पर चक नम्बर १३ का तावान माफ हो गया है और दूसरा केस चल रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, बहुत शेखचिल्ली वाली बात है। सारे गांव वालों के ऊपर तावान लगाया गया और गांव के लोग भटकते रहे, वे एस० ई० के पास गये और फिर तावान माफ हुआ। कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, कोई इन्क्वायरी ऑफिसर गया नहीं और न इन्क्वायरी हुई। आप ही बतायें कि कोई उनका इन्ट्रेस्ट था उसको तोड़ने का ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जैसे फैक्ट्स इस केस में थे मैं प्रस्ताव कर चुका हूं। इससे अधिक आपको आपत्ति हो तो आप नियमानुसार कार्यवाही कीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की यह आपत्ति है कि पूरे गांव के ऊपर तावान लगाना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी चीज़ है इसलिए आप जांच करके सतोष कर लें कि सारे प्रोसीजर्स जो होने चाहिये थे, जांच वगैरह के वे पूरे हो गये। उसके बाद उन्होंने तावान लगाया या रूटीन में ही उन्होंने ऐसा कर दिया। इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह तावान माफ हो गया। अपीलेट ऑथारिटी ने भी यही सोचा होगा तभी उसको बिल्कुल माफ कर दिया। इसमें कुछ अधिकारियों की तरफ से कुछ जल्दबाजी हो सकती है इसलिए आप जांच कर लें।

श्री दौलतराम सारण : मैं जांच कर लूंगा।

प्रश्न संख्या ३६२

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

निवाई रेगर चर्म उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के चमड़ा गोदाम की जमीन का मामला

३६३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि निवाई रेगर चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० के चमड़ा गोदाम की जमीन का मामला दिनांक ११-८-५० से चल रहा है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस जमीन के मामले का फैसला कमिश्नर, जयपुर द्वारा दिनांक २४-७-५६ को सहकारी समिति के पक्ष में हो चुका है ?

(३) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व नगरपालिका ने अपने फैसले दिनांक५-१०-५७ के अधीन मिसल नं० ३५।५२-५३ के द्वारा तथा वर्तमान नगरपालिका ने अपनी दिनांक ६-६-६० की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार यह जमीन समिति को दिये जाने की स्वीकृति के लिये निर्देशक, स्वायत्त शासन विभाग को लिखा है ? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) नगरपालिका के पास दिनांक ५-७-५६ से चल रहा था ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । दिनांक २७-३-५८ को । रेगर सहकारी समिति ने चर्म उद्योग शाला दूसरी जगह निर्माण करली है । अब जमीन देने का प्रश्न नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह 'चर्म उद्योग' गोदाम के लिए जमीन मांगी गयी थी न कि 'चर्म उद्योग शाला' के लिये । इन दोनों में चर्म उद्योग शाला और चर्म उद्योग गोदाम में डिफरेन्स है ।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार जो स्थिति है और जो आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे दिया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैने प्रश्न गोदाम के लिये पूछा है और आप शाला का जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : उद्योगशाला का गोदाम है या किसी और का है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : यह उद्योगशाला अलग चीज है और चर्म उद्योग का गोदाम अलग चीज है जहां स्टाक किया जाता है उसके लिये जमीन की डिमाण्ड की थी और सन् ५८ से यह मामला चल रहा है ।

श्री दौलतराम सारण : आपने कमिश्नर के साथ फैसला होने पर बताया है वही केस है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह चर्म गोदाम का ही केस है शाला का नहीं ।

श्री दौलतराम सारण : जो कमिश्नर के पास फैसला हुआ है उसी का निवेदन कर रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने बताया कि अब जमीन देने का प्रश्न नहीं है, गोदाम के लिए तो जमीन की जरूरत है शाला को बना ली है.......

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका से ऐसे सूचना मिली है कि अब कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है उसी के आधार पर कहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह नगरपालिका का ही प्रस्ताव है। यह उन्होंने मन्जूर किया है कि यह जमीन दी जानी चाहिये। नगरपालिका के दो प्रस्ताव हैं। भूतपूर्व नगरपालिका का सन् ५८ का प्रस्ताव है।

श्री दौलतराम सारण : उसके लिए तो मैंने भी निवेदन किया कि प्रस्ताव था, अब जो स्थिति है उसके अनुसार जो नगरपालिका ने लिखा है वह इस प्रकार है। सम्बन्धित पत्रावली नगरपालिका को लौटा दी जाय और वह लौटा दी गयी व जमीन देने संबंधी प्रश्न विचाराधीन नहीं रहा।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्यों ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका ने हमसे निवेदन किया।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सिम्पल चीज है। कोई जमीन अलॉट की जाती है तो म्युनिसिपल कमेटी का रेज्योलूशन होता है कि फ्री जमीन अलॉट की जाये या किस तरह की जाये। इस केस के अन्दर म्युनिसिपैलिटी ने पहले रिकमण्ड किया कि जमीन दी जाय। उसके बाद फिर वापिस लिख दिया कि इन्होंने अपना इन्तजाम कर लिया है और अब जमीन अलॉटमेंट का प्रश्न नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कब लिखा है ?

श्री बरकतुल्लाखां : ६-८-६२ को।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

भूमि का मुआवजा, तहसील सांगोद

३६४. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि तहसील सांगोद में बहुत से काश्तकारों की जमीन बिना मुआवजा नहर या मिट्टी खोदने के लिये ले ली जाने की शिकायत है? यदि हां, तो कितने गांवों में?

(२) क्या यह सही है कि श्री चन्द्रमोहन वल्द भूरीलाल ग्राम चरेल की आराजी नम्बर ३१७ परवन की रीछन्दा डिस्ट्रीब्यूटरी में आई है और उक्त व्यक्ति की खड़ी फसल पर मिट्टी व नहर खोदी गई है व उसे अब तक कोई मुआवजा फसल व जमीन का नहीं दिया गया है?

(३) नहर व नहर की सीमा में आई हुई उक्त जमीन उसकी जमीन पर खड़ी फसल का कितना मुआवजा आंका गया है और यह कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, ग्रान चरेल, बर्न व कोटड़ा की।

(२) जी हां।

(३) मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा आंका जाता है। अतः इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। आराजी नं. ३१७ की जमीन का मुआवजा चुका दिया गया है व फसल का मुआवजा राजस्व विभाग से एवार्ड आते ही चुका दिया जायेगा।

श्री जुझारसिंह : यह जो फसल का मुआवजा देते हैं उसका कैसे अन्दाजा लगाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : वह तो अवार्ड मिलता है तब दे देते हैं।

श्री जुझारसिंह : फसल का मामला ऐसा है कि "विदइन सर्टेन टाइम लिमिट" आपने कम्पेन्सेशन तय नहीं किया तो बाद में आप तय कर ही नहीं सकते।

श्री दौलतराम सारण : वह तो सारे हालात देखकर, जांच करके फिर कार्यवाही की जाती है इसलिए उसके मुताबिक फैसला हो जाता है तो दे दिया जाता है।

श्री जुझारसिंह : फसल कट जाने के बाद क्या अन्दाजा लगा सकते हैं ? अगर फसल खड़ी होती है उस समय तो आपने कम्पेन्सेशन का तय नहीं किया तो आप बाद में कैसे अन्दाजा लगा सकते हैं ? उसका कोई टाइम लिमिट तो होना चाहिए ?

श्री दौलतराम सारण : जब फसल खड़ी होती है तभी अन्दाजा लगाया जाता है और फिर कम्पन्सेशन तय किया जाता है।

श्री जुझारसिंह : आपने कहा कि फसल का अवार्ड रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट देगा और उसने तय नहीं किया है तो फसल को तो काटे ३ वर्ष हो गये अब रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट तीन साल के बाद क्या अवार्ड दे सकता है ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जिन किसानों के खेत डिस्ट्रीब्यूटरी और मिट्टी खोदने के काम में ले लिये गये हैं उसका मुआवजा नहीं मिलता। यह प्रश्न एक पर्टीक्युलर गांव के लिए नहीं है सभी जगह यह हाल है। जिला कोटा और बूंदी की मेन प्रोबलम है और यह शिकायत मिलती है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और इस बारे में सरकार का आश्वासन हो जाता है इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें जितनी जमीन एक्वायर की गयी थी उसमें अधिकांश जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है। केवल १५ कैसेज़ बाकी हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मेरा प्रश्न यह है कि कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : पहले भी सदन में प्रश्न आया है और इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिये गये हैं और बहुत ही संगीन तरीके से इसमें कार्यवाही की गयी थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह 'संगीन' शब्द का नया प्रयोग है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : संगीन तरीके से संगीन काम ही होंगे।

श्री जुझारसिंह : मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि फसल का कम्पन्सेशन 'विदिन सर्टेन पीरियड' तय हो जाना चाहिए; उसके बाद तो अन्दाजा लगाने की परिस्थिति में नहीं होते, उसका जवाब कुछ नहीं दिया।

श्री दौलतराम सारण : आपके सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि अब कितने समय के अन्दर मुआवजा चुका देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने जानकारी करने को कहा है। जानकारी करने पर और सारी स्थिति मालूम होने पर समय का कहा जा सकता है। लेकिन इसमें ताकीद की जायेगी।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या सरकार कह सकती है कि नहर बनने के पहले वहां का मुआवजा न दे दें तब तक नहर नहीं खोद सकते ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो सही मिला है, लेकिन ताकीद होनी चाहिये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, ताकीद हो नहीं रही है। जब जाते हैं तो किसानों से सुनने को मिलता है कि मुआवजा नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी स्वयं चिंतित हैं और अवश्य करेंगे। श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

रेवेन्यू तथा फॉरेस्ट सैटलमेन्ट के नक्शों का मिलान नहीं करने से कठिनाइयां

३६५. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रेवेन्यू तथा फॉरेस्ट सैटलमेन्ट के नक्शों का आपस में मिलान नहीं किये जाने के कारण कई जगह राजस्व की भूमि फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट की भूमि राजस्व में अंकित हैं ? यदि हां, तो इस कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय अध्यक्षजी, जो जवाब यहां भेजा गया है उसे मैं आपकी अनुमति से परिवर्तित करता हूं।

जी हां, इस समस्या को हल करने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार चाहती है कि जल्दी से पूरा हो।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : किसान इससे परेशान हैं क्यों कि रेवेन्यू में फॉरेस्ट की लाइन आ जाने से लोगों को काश्त के लिए जमीन दी जाये तो फॉरेस्ट वाले उसमें दखल देते हैं और परेशानियां पैदा करते हैं और रेवेन्यू

(श्री चतुर्भुज उपाध्यक्ष)

वाले फॉरेस्ट वालों को परेशान करते हैं। इससे किसानों को भी परेशानियां होती हैं।

श्री अध्यक्ष : और दोनों मिलकर जनता को परेशान कर रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : यह आदेश दिये गये हैं यह कौनसी तारीख को दिये गये हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

नये बांध का निर्माण, तहसील कामां

३६६. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या तहसील कामां, नागल ग्रामवासियों ने नये बांध के निर्माण के लिए कभी कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ?

(२) अगर हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) उक्त निर्माण कार्य शुरू कराने में कितना समय और लगेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, यह ५० एकड़ नीचे का है इसलिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर कर दिया गया है। वह अपने टर्न पर जवाब देंगे।

श्री मजलिस खां : सर्वे कब हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदयों को कई दफे निवेदन किया गया है कि बहुत पहले से जानकारी दे दें और यह उनकी जिम्मेदारी है कि दूसरे मंत्री उसका जवाब तैयार रखें। यहां आकर यह कह देना कि जवाब वह देंगे, यह कोई उचित उत्तर नहीं है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

सिवाय चक भूमी का ऑलटमेंट और चरागाह

३६७. **श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ऐसे आदेश तहसीलों को भेजने का विचार रखती है कि यदि कहीं पशु-संख्या ज्यादा है और चरागाह कम हैं तो सिवाय चक अलॉट करते समय चरागाह का पहले ध्यान रखा जावे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : इस प्रकार का प्रावधान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम, १९५७ के नियम ६ के उप-नियम (२) में पहले से ही है।

प्रश्न संख्या ३६८।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६९।

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि वितरण।

३७०. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा [(श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) द्वारा पूछा

(श्री विजयसिंह झाला)

गया)] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को भूमि वितरित करने के कोई नियम बनाये हैं ?

(२) यदि हां, तो अब तक कितनी भूमि इस नियम के अन्तर्गत वितरीत की गई? डिवीजन वाइज आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) अभी सरकार के समक्ष कितने निवेदन पत्र भूतपूर्व सैनिकों के भूमि के लिए उदयपुर डिवीजन में पैंडिंग पड़े हैं ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री महेन्द्रसिंह : यह उदयपुर डिविज़न में कुल कितने प्रार्थना-पत्र पेश हुए थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह उसमें लिखा हुआ है जो आपको सूची दी है।

श्री महेन्द्रसिंह : कुल कितने प्रार्थना पत्र पेश हुए, यह नहीं है। बकाया की सूची है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितनी भूमि अलॉट की जा चुकी है वह उसमें है। १५१५ एकड़ भूमि दर्ज कर दी गई है। प्रार्थनापत्र को संख्या नहीं बताई गई है। साथ ही साथ यह भी बता दिया है कि ४० एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : १५१५ एकड़ भूमि अलॉट की गई है वह कितने व्यक्तियों को अलॉट की गई है ?

श्री रामप्रसाद लढ्डा : व्यक्तियों की संख्या का पता नहीं है और न यह पूछा गया है जितनी जमीन अलॉट की गई है वह हो सकता है कि १०० या १५० आदमी हों।

श्री महेन्द्रसिंह : एप्लीकेशन्स भीलवाड़े में ७ हैं, चित्तौड़ में ६ एप्लीकेशन्स और उदयपुर में ४० एप्लीकेशन्स आज तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है कि जहां वे जमीन चाहते हों वहां पर वह उपलब्ध न हो और हो सकता है कि और कोई कारण हो। हर एप्लीकेशन के क्या-क्या कारण हैं यह अभी नहीं कह सकता हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह : कब तक उनको भूमि दे दी जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया और फिर निवेदय करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी नियमानुसार उनको भूमि दे दी जाय और अब भूमि के आवंटन का समय आ गया है और इसलिए आवंटन की कार्यवाही जल्दी की जायगी।

श्री महेन्द्रसिंह : जल्दी से जल्दी तो आप हरेक मामले में चाहते हैं लेकिन वह कब तक दे दी जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भूमि आवंटन का समय आगया है। वह यही महीना होता है जब कि भूमि आवंटन की जाती है। इसलिए कोशिश की जायगी कि इनको भी मिले।

श्री महेन्द्रसिंह : आज तक जमीन नहीं मिलने के क्या कारण हैं ? क्या इसकी जांच करा सकती है गवर्नमेंट ?

श्री जुझारसिंह (चेचट) : एक प्रश्न है मेरा अध्यक्ष, महोदय, कि आप डिसएबल्ड और डेड सोल्जर्स को तो दे रहे हैं लेकिन जो एक्स सोल्जर्स हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी।

चुंगी चौकी, नगरपालिका दौसा पर काटी जाने वाली रसीदें।

३७१. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दौसा नगरपालिका की चौकी चुंगी पर जो रखी रसीद काटी जाती है, उस पर न तो नाम व ग्राम लिखा जाता है और न रसीद काटने वाले के हस्ताक्षर ही होते हैं ?

(२) क्या इस प्रकार की शिकायतें भी अधिकारियों को की गई है कि रकम जो वसूल की जाती है, उससे कम की रसीद काटी जाती है ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या बुक नं० १३ की रसीद नं० ६१४, बुक नं० ७ की रसीद नं० ३४६ और बुक नं० ७ की रसीद नं० ३१८ में जो रकम दिखाई गई है, उससे अधिक रकम वसूल की गई है ? यदि हां, तो इस घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही नहीं है।

(२) जी हां, सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(३) बुक नं० १३ की रसीद नं० ६१४ व बुक नं० ७ की रसीद नं० ३१८ में ज्यादा रकम वसूल की गई है। कार्यवाही की जा रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बैनेड़ा) : जब आपको यह मालूम हो गया है कि रसीद के अन्दर रकम ज्यादा है तो क्या उस आदमी को सस्पेन्ड कर दिया गया है और उसके बाद में जांच की जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जिनसे ज्यादा रकम ली है उनको कब तक लौटा दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

सिधमुख ब्रान्च नहर की योजना।

३७२. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सिंचाई मंत्री)

(१) क्या भादरा (जि० गंगानगर) व राजगढ़ (जिला चूरू) तहसीलों के गांवों की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई सिधमुख ब्रान्च नहर की योजना बनाई थी ?

(२) अगर हां, तो इस नहर की खुदाई संबंधी काम कब चालू किया जावेगा और अब तक इस संबंध में ढिलाई रखने का क्या कारण है ?

(३) उपरोक्त सिधमुख ब्रांच राजस्थान में किस हैड से प्रवेश करेगी और इसकी मुख्य लाइन कहां २ से होकर कहां समाप्त होगी ?

उपमंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) :- (१) सिधमुख क्षेत्र की सिंचाई के साधन उपलब्ध करने की योजना अभी तक विचाराधीन है ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत काम योजना की स्वीकृति तथा उपयुक्त धनराशि योजना आयोग द्वारा स्वीकार करने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जा सकता है ।

(३) सिधमुख क्षेत्र में भाखरा का पानी भाखरा नहरों से ही आ सकता है । जो विचाराधीन है उसके अनुसार सिधमुख नहर पंजाब में फतहबाद ब्रान्च और किशनगढ़ सब ब्रांच के नीचे निकलेगी और राजस्थान में भी रागी गांव के पूर्व से प्रवेश करेगी । नहर से दो शाखाएं निकलेंगी जिनसे इस क्षेत्र को सिंचाई होगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): कितनी राशि का प्रावधान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह ।

श्री हरदत्तसिंह : इस योजना के कब तक स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ?

श्री दौलतराम सारण : चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भिक समय में ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने इस योजना को मन्जूर कर लिया है ?

श्री दौलतराम सारण : जो स्थिति है वह मैं अर्ज कर चुका हूँ ।

वसूली के मामले-एस० डी० ओ० ऑफिस नीम का थाना

३७३. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या एस० डी० ओ० ऑफिस नीमकाथाना में कोई सर्टीफिकेट बाबत रिकवरी बखिलाफ श्री मोहनलाल पुत्र चौथमल अग्रवाल व नन्दलाल पुत्र गुलजारीलाल महाजन विभिन्न विभागों के पी० डी० आर० अथवा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली के लिए पड़े हैं ? अगर हां, तो उनकी तादाद तारीख व किस्म बताने का कष्ट करें ।

(२) इनमें कितनी वसूली हो गई और बाकी क्यों नहीं हो रही है ?

(३) क्या यह सही है कि ऑफिसर मुतालिका से किसी सर्टिफिकेट की रिकवरी के सिलसिले में ऐसी बात लिखी है कि मोहन-लाल पुत्र चौथमल, नन्दलाल पुत्र गुलजारी

Page No. 27

(श्री रामकिशन)

नाम के कोई व्यक्ति हल्के में नहीं और वसूली होना नामुमकिन है ? अगर हां, तो किस अफसर ने कौन सी तारीख को सर्टिफिकेट पर ऐसा लिखा ?

(४) क्या यह सही नहीं है कि श्री मोहनलाल नगरपालिक नीम-का-थाना के निर्वाचित सदस्य हैं और श्री नन्दलाल सरपंच ग्राम पंचायत मावण्डा खुर्द थे और अब सदस्य न्याय पंचायत मावण्डा खुर्द के हैं, व अध्यक्ष न्याय पंचायत मावण्डा खुर्द हैं ।

(५) क्या इस प्रकार की तहरीर इस परिस्थिति में राज्य सरकार गम्भीर नहीं मानती ? अगर हां, तो मुतालिका अफसर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) १,६७,२१८ रु० १५ न० पै० में से ६८,२७३ रु० २५ न० पै० वसूल हो चुके हैं और ६८,६४४ रु० ९० न० पै० अभी वसूल करने बाकी हैं । वसूली न होने के कारण सूची में बतला दिये गये हैं ।

(३) जी नहीं ।

(४) यह सही है कि श्री मोहनलाल नीम का-थाना के निर्वाचित सदस्य हैं और श्री नन्दलाल ग्राम पंचायत, मावण्डा खुर्द के सरपंच थे लेकिन अब न्याय पंचायत मावण्डा खुर्द के अध्यक्ष हैं ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आॅर्डर शीट के ऊपर जब आॅर्डर आॅलरेडी लिखा है कि इस नाम के कोई व्यक्ति वहां नहीं रहते हैं और वे वहां की म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं, तो आपने किस आधार पर कहा है नंबर ३ के जवाब में 'जी नहीं' ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जैसा आपने प्रश्न में पूछा है वैसी घटना नहीं हुई है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट के अन्दर कार्यवाही कर रहे हैं तो उसके आॅर्डर-शीट पर ऐसा कोई आॅर्डर नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि मेरा धारा ३ में स्पष्ट है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उत्तर तो यही है कि ऐसी कार्यवाही नहीं की गई । वह आॅर्डर आॅर्डरशीट पर मौजूद है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन कि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट राइटिंग में नहीं हुई है कि इन आदमियों का पता नहीं लगता है और रकम वसूल नहीं की जा सकती । इस प्रकार की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने निवेदन किया है कि आॅर्डर शीट पर ऐसे आॅर्डर्स दिये हैं सम्बन्धित अधिकारी ने जो वसूली की कार्यवाही कर रहे थे, और यदि आप इसको गलत मानते हैं तो मैं सर्टिफाइड कापी इस हाउस की टेबिल पर डाल सकता हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : यह मामला बहुत गम्भीर है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऑर्डर यह है और जो ऑर्डर है उसके खिलाफ आप जवाब दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय और जांच कर लें इसके बारे में जो कि माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि किसी ऑफिसर ने गलत सूचना भेजी हो तो गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं होगी कि इस प्रकार की गलत सूचना देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । लेकिन जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसमें यह है कि पी० डी० आर० ऑफिसर की उसमें इस प्रकार कोई रिपोर्ट नहीं है और न उसके सामने इस प्रकार की रिपोर्ट की गई है । लेकिन माननीय सदस्य के पास यदि कोई सर्टिफाइड कापी है I will be grateful to him.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): आपने गलत सूचना देने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ऐसी गलत सूचना पाई जायगी तो जिन्होंने गलत सूचना दी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

(व्यवधान)

आपके पास जो सूचना है और जो सर्टिफाइड कापी है तो वह मुझे सदन के बाहर भी दे सकते हैं और उसके आधार पर कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रश्न संख्या ३७४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

तालाब निर्माण कार्य, ग्राम बेलार

३७५. श्री मोहनराज (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाली तहसील के आदिवासी क्षेत्र के ग्राम बेलार में समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित सिंचाई हेतु निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३ वर्ष पूर्व एक तालाब का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था और उस पर रु० ४३,००० खर्च हो चुके हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि करीब २ वर्ष से यह कार्य बिल्कुल बन्द है और केवल रु० १०,००० का काम बाकी रहा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त दस हजार रुपये खर्च कर यह कार्य पूर्ण करा दिया जाय तो ५०० एकड़ से ज्यादा भूमि सिंचित हो जायेगी ? क्या सरकार इस कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, परन्तु उसमें ४३,००० रुपये खर्च नहीं हुए हैं ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहनराज : तो क्या राजस्थान सरकार यह मानती है कि वह काम सम्पूर्ण हो

(श्री मोहनराज)

चुका है और उससे सिंचाई होनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार २१,००० रुपये की लागत है अनुमानित और वह समाज-कल्याण विभाग द्वारा पूर्णतया बन चुका है। उससे अनुमानित सिंचाई ६० एकड़ है। आज तक बनने के बाद कोई सिंचाई नहीं हुई है और न ही ओवरफ्लो हुआ है। इस टैंक का एन्क्रोचमैंट एरिया ८ स्क्वायर माइल है। इससे ७.६ एम. क्युसेक्स पानी प्राप्त हो सकता है। पंचायत समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि इस तालाब को पीने के पानी के लिए रखा जाय। इसलिए इससे सिंचाई नहीं की गई।

(६.०० म० पू०)

श्री मोहनराज : जब सिंचाई के लिए प्रोविजन था और अब तक सिंचाई नहीं की गई। क्या पंचायत समिति का ऐसा प्रस्ताव है कि सिंचाई नही की जाय ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना ऐसी है।

श्री मोहनराज : यह बिल्कुल गलत सूचना है जैसा मैंने कहा है पानी रोकने की दीवार पक्की नहीं हो पाई इसलिए पानी नहीं रुक रहा है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार पंचायत समिति ने यह प्रस्ताव पास किया था कि इसका पानी सिंचाई के लिए नहीं देकर पीने के लिए रखा जाए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पंचायत समिति के अध्यक्ष स्वयं माननीय सदस्य हैं, वे ज्यादा जान सकते हैं। इस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पूर्ण हो चुका है, लेकिन इससे सिंचाई नहीं हो पाई है तो क्या इसका केचमेंट एरिया इस तरह से बन गया है कि उससे पानी नहीं आता इसलिये सिंचाई नही हो सकती। जबकि यह सिंचाई के लिये बना है तो इससे सिंचाई होनी चाहिये थी या तो केचमेंट एरिया से इसमें पानी नहीं आता या इसमें पानी नहीं टिकता इसलिये सिंचाई नहीं हो सकती, दोनों में से कौन सी बात है ?

श्री दौलतराम सारण : बरसात नहीं होने से पानी कम आया इसलिये गांववालों ने कहा कि यह पानी पीने के लिए रखा जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या तीन वर्षों में बरसात नहीं हुई जिसके कारण यह नहीं भर सका ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

नगरपालिका-सोजत रोड

३७६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने दिनांक २५-७-६२ को सोजत रोड को नगरपालिका घोषित करने की विज्ञप्ति राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित की जिसमें राज्य सरकार ने नगरपालिका घोषित करने के कारण नहीं बताये ?

(२) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने दिनांक २-५-१९६३ को सोजत रोड को नगरपालिका घोषित किया जो विज्ञप्ति

(श्री तेजाराम गहलोत)

दिनांक २१-२-६३ के राज पत्र में प्रकाशित हुई जिसमें भी सरकार द्वारा नगरपालिका घोषित करने के कारण नहीं बताये गये ?

(३) क्या यह भी सच है कि डी. एल. बी. को नागरिकों द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पहिले विज्ञप्ति में रखी गई गलतियों की ओर भी ध्यान दिलाया फिर भी विज्ञप्ति मय खामियों के प्रकाशित की गई ?

(४) क्या यह भी सच है कि दिनांक ३०-५-६३ को राज्य सरकार ने फिर से दिनांक २५-७-६२ व ५-२-६३ की विज्ञप्तियों को निरस्त करते हुए नई विज्ञप्ति जारी की ?

(५) क्या यह सच है कि इन खामियों के कारण सोजत रोड की जनता को जनवरी सन् १९६४ तक स्वायत्त शासन से वंचित रहना पड़ा ?

(६) यदि हां, तो सरकार ने उत्तरदायी अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) दिनांक २-५-६३ को कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। अलबता ५-२-६३ के राज-पत्र में प्रकाशित हुई।

(३) लिखित में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं है।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) सम्बन्धित मामले में नियमानुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सच है कि २५-७-६२ या २१-२-६३ की विज्ञप्तियों में कमियां रही इसलिये शुद्धि पत्र निकालने पड़े।

श्री दौलतराम सारण : आपके प्रश्न के उत्तर में ही मैं निवेदन कर चुका हूँ।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने उत्तर दिया है। लेकिन जानबूझ कर कमियां रखी गई थीं। जो विज्ञप्तियां निकाली उनमें कमियां रहने के कारण आपको शुद्धि पत्र निकालने पड़े ?

श्री दौलतराम सारण : जो विज्ञप्ति जारी की है ३०-५-६३ को आखिरी बार उसके बारे में मैं उत्तर कह चुका हूँ।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि जो डिपार्टमेंट ने विज्ञप्तियें जारी की हैं वे इतनी अशुद्ध थीं कि विभाग को शुद्धि पत्र निकालने पड़े। आखिर में ३०-५-६३ की पहले की दोनों ही विज्ञप्तियों को निरस्त करके नई विज्ञप्ति निकालनी पड़ी और अब तक वहां पर म्युनिसिपेलिटी एस्टाब्लिश नहीं हो सकी जबकि इसकी घोषणा २५-७-६२ को करदी गई थी इसका क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि म्युनिसिपल एक्ट के नीचे ८ हजार से कम आबादी वाले टाउन्स में म्युनिसिपेलिटी बनानी पड़ती है तो उसके लिये स्पेशल नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। ८ हजार से ऊपर की

Page No. 31

(श्री बरकतुल्ला खां)

आबदी वाले टाउन्स में म्युनिसिपेलिटी कायम करने में आपत्ति नहीं है लेकिन ८ हजार से नीचे की टाउनशिप को यदि म्युनिसिपेलिटि में कनवर्ट किया जाता है तो सेक्शन ५ के नीचे जरूरी है कि स्पेशल सर्कम्सटान्सेज दिये जायं कि क्या क्या कारण है। पहलेवाली विज्ञप्ति जारी करते समय पूरे डिटेल्स नहीं मालूम हुए थे कि ८ हजार से कम आबादी है या ज्यादा। बाद में कलेक्टर का लेटर आया उसमें लिखा था कि वहां की आबादी ८ हजार से कम है। इसके ऊपर दुबारा सारी कार्यवाही करनी पड़ी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सरकार की केयरलेसनेस नहीं है ? विज्ञप्ति निकालने से पहले क्या सरकार पता नहीं लगा सकती थी कि वहां की पोपुलेशन कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के कृपया परिशिष्ट २ देखिए।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

१४३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) थाना नोखा जिला बीकानेर में सन् १९६२ में कुल कितनी चोरियां हुईं ? उनमें कितना कितना माल चोरी चला गया ?

(२) उक्त चोरियों में से कितनी चोरियों का माल बरामद किया गया ?

उत्तर

(१) १९६२ में थाना नोखा में कुल २२ चोरियां एवं २ नकबजनी हुये जिनमें रु० ५४,८३८.५४ नये पैसे मूल्य की सम्पत्ति चोरी गई तथा।

(२) रु० १५,४४८.५४ नये पैसे के मूल्य की ८ मुकदमात की सम्पत्ति बरामद हुई।

शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में डकैतियां

१४४. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सन् १९६२ व ६३ में कुल कितनी डकैतियां कहां कहां और किसके यहां हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(२) कितने डाकू सन् १९६२ व ६३ में कोटा जिले के उक्त क्षेत्र में मारे गये और किन डाकुओं का आतंक अब भी वहां पर है ?

(३) सरकार दस्युओं से वहां की जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(१) कुल पांच डकैतियां हुई, सूची इस प्रकार है :—

१. ग्राम जकोनी थाना पुलिस भंवरगढ़।	सर्व श्री जीवनलाल, प्रभु, रघुनाथ, प्रभुलाल किरार, राम-

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

	चरन, रामचन्द्र, देवीलाल, बाबूलाल, और नारायण महाजन।
२. ग्राम सन्दोकड़ा थाना पुलिस कस्बा थाना।	श्री भजना किरार के यहां।
३. ग्राम खेराई थाना पुलिस शाहबाद।	श्री कंवरलाल किरार के यहां।
४. ग्राम खटका थाना पुलिस शाहबाद।	सर्वश्री अमृतलाल, घसीटा, पुन्नीलाल, प्रसादीलाल किरार तथा मांगीलाल बनिया के यहां।
५. ग्राम लेहरूनी थाना पुलिस किशनगंज।	सर्वश्री पांचू तथा हजारी गूजर के यहां।

(२) सन् १९६२ तथा ६३ में उक्त क्षेत्र में दो डाकू मारे गये। उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के देवीलाल शिकारी का गैंग सक्रिय रहता है।

(३) ए० डी० एफ० की पोस्ट बढ़ा दी गई। तथा हर पोस्ट के स्टाफ में भी वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त सात हैड का० व ८८ का० की स्थाई गार्ड जहां धनाढ्य लोगों की आबादी है वहां लगाई गई है और आर० ए० सी० की एक अच्छी कम्पनी भी वहां तैनात की गई है। तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीनियरपुलिस अफसरों की दिसम्बर ६३ व जनवरी, ६४ में दो बार बैठकें की जाकर उचित निर्णय लिये गये जो क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

मुअत्तिल थानेदार

१४५. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) जनवरी सन् १९६२ से लगा कर आज दिन तक कुल कितने थानेदार मुअत्तिल किए गए और क्यों ?

(ब) उपरोक्त में से कितने फिर से बहाल (रिइन्सटेट) कर दिये गए और कितनी २ अवधि के भीतर और क्यों ?

(स) बाद आवश्यक जांच के कितने निलंबित थानेदार बर्खास्त कर दिये गए ?

उत्तर

(अ) जनवरी सन् १९६२ से ३१-१-६४ तक कुल ९७ थानेदार निलम्बित किये गये कारण संलग्न सूची में उल्लिखित हैं।

(ब) ९७ थानेदार में से ५२ को (रीइन्सटेट) पुनर्विष्टापित कर दिये गये। कारण एवं अवधि संलग्न सूची में उल्लिखित हैं।

(स) केवल दो।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

करौली—महुआ—मन्डावर सड़क पर दुर्घटनायें

१४६. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) करौली से महुआ-मन्डावर जाने वाली सड़क पर सन् १९६१ से ३ मार्च सन्

(श्री श्रवणलाल)

१९६३ तक कितनी दुर्घटनायें हुई हैं तथा उनमें कितने आदमी मरे हैं, तथा कितने आदमी घायल हुए हैं ?

(२) इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

(३) इन दुर्घटनाओं का मुख्यतया कारण क्या है ?

(४) कितने आदमियों को ऐसे मामलों में सजा हुई ?

(५) क्या यह सच है कि यह सड़क बहुत तंग है और इस पर ट्राफिक बहुत रहता है ? यदि हां, तो सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है ?

उत्तर

(१) कुल २१ दुर्घटनायें हुई जिनमें ६ व्यक्ति मारे गये एवं १६ घायल हुए।

(२) १८ का चालान किया गया, जिनमें से ४ को सजा हुई, १ बरी हुआ तथा १३ के प्रकरण अदालत में विचाराधीन है। १ मामले में अनुसंधान हो रही हैं। १ का पता नहीं लग पाया तथा १ में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ।

(३) मुख्य कारण ड्राईवरों की लापरवाही पाई गई।

(४) अभी तक ४ को सजा हो चुकी है।

(५) जी हां। सड़क कुछ तंग अवश्य है। इस विषय में पी० डब्ल्यू० डी० को विचार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लिख दिया गया है। किन्तु दुर्घटनाओं का मुख्यतः कारण ड्राईवरों की लापरवाही है।

बीकानेर नगर सुधार प्रन्यास

१४७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर नगर सुधार प्रन्यास ने सन् १९५९ से अब तक कितने प्लॉट्स बेचे तथा नगर सुधार के क्या क्या काम किये ?

(२) इस अर्से में कर्मचारियों के वेतन पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि जयपुर नगर सुधार प्रन्यास जैसे बड़े प्रन्यास में केवल सहायक अभियन्ता स्तर के ही व्यक्ति इन्जीनियरिंग साइड में काम करते हैं ? यदि हां, तो बीकानेर प्रन्यास के लिए अधिशासी अभियन्ता के पद की क्या आवश्यकता है ?

(४) क्या सरकार यह समझती है कि कार्य को ध्यान में रखते हुए कम वेतन वाले कर्मचारी रखे जाने चाहिए ताकि प्रन्यास पर अनावश्यक आर्थिक बोझा न पड़े।

उत्तर

(१) ११३ प्लाटस नगर सुधार के कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जुलाई १९६३ तक १,५५,७८३) रुपये।

(३) जी नहीं। जयपुर नगर सुधार प्रन्यास में सहायक अभियन्ता एवं अधिसासी अभियन्ता दोनों ही स्तर के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कार्य भार के अनुसार ही पद रखे जाते हैं।

(४) कार्य भार के अनुसार ही पद रखे जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

जागीर मुआवजा-जिला जयपुर

१४८. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जयपुर के जागीर मुआवजा प्राप्त करने सम्बन्धी कितने मामले आज तक दायर हुए और इनमें फैसले कितनों के हुए ?

(२) बाहमी फैसले कितने हुए ?

(३) कितने जागीरदारों के बोन्ड्स ट्रेजरी में पड़े हैं ?

(४) गवर्नमेन्ट ने अपील कितने मामलों में की है ?

उत्तर

(१) दायर हुए २०,७०४ फैसले हुए १७,८६० ।

(२) सिर्फ १ केस में।

(३) १,४०७।

(४) ५२ दावों में अपील की गई।

डाक्टरों का अभाव-जिला चित्तौड़गढ़

१४६. श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत कितने अस्पताल हैं और उनमें से कितनों में डाक्टर नहीं हैं और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सही है कि जहां डाक्टर नहीं है वहां के मरीजों की देख भाल सुचारु रूप से नहीं होती है ? यदि हां, तो सरकार डाक्टरों के रिक्त स्थानों की कब तक पूर्ति कर देगी ?

उत्तर

(१) चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत कुल ३१ अस्पताल हैं। और इनमें से १२ अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जहां डाक्टर नहीं है वहां के मरीजों की देखभाल अनुभवी कम्पाउन्डर द्वारा होती है। डाक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

सेनीटरी एवं फूड इन्सपेक्टर्स-जिला मुख्यालयों पर

१५०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला मुख्यालयों पर नियुक्त सेनीटरी एवं फुड इन्सपेक्टर्स कौन २ हैं तथा वे वहां पर कितने अर्से से कार्य कर रहे हैं ?

(२) उपरोक्त व्यक्तियों की कुल कितने वर्ष की सेवाएं हैं तथा उस कार्यालय से उन्हीं जिला मुख्यालयों पर कुल कितने अर्से तक रहे हैं ?

उत्तर

(१) जिला मुख्यालयों पर निुयुक्ति सेनिट्री एवं फूड इन्सपेक्टर्स की सूची वहां पर कार्य करने की अवधि सहित सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) इस प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न संख्या १ की सलग्न सूचि में उपलब्ध हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हॉस्पिटल, जिला भीलवाड़ा

१५१. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बांसवाड़ा के हॉस्पिटल में सन् १९६२ व ६३ में कितने मरीज भर्ती हुए, उनमें से कितने मरीज अच्छे हुए और कितनों की मृत्यु हुई तथा ऐसे मरीजों की संख्या क्या है जो हॉस्पिटल में अच्छे नहीं हो सकने के कारण हॉस्पिटल छोड़ कर चले गये ?

(२) उपरोक्त दोनों वर्षों में इस हॉस्पिटल में दवाइयों पर कितना व्यय हुआ है ?

उत्तर

१. जिला बांसवाड़ा के हॉस्पिटल में सन् १९६२–६३ नीचे लिखे मरीज भर्ती हुए हैं जिनका पूरा विवरण निम्न प्रकार हैं :

सन्	भर्ती हुए मरीजों की संख्या	अच्छे होने वाले रोगियों की संख्या	मृत्यु
१९६२	२६७७	२०८७	३२
१९६३	२२६३	१६७६	३६

अन्य कारणों से छोड़ कर जाने वाले रोगियों की संख्या	३१ दिसम्बर को रहने वाले रोगियों की संख्या
२८७	२७१
३१४	२३७

छोड़ कर चले जाने वालों में उन लोगों की भी संख्या है जो डाक्टर की राय के विरुद्ध चले गये हैं या बिना इत्ला के भाग गये हैं या घरेलू परिस्थितियों से विवश हो कर चले गये हैं।

२. उपरोक्ति दो वर्षों में हॉस्पिटल में दवाईयों पर खर्च को गई धनराशि निम्न प्रकार हैं :

सन्	दवाईयों पर खर्च की गई धन राशि
१९६२	३१,१३५) रु.
१९६३	४४,१११) रु.

(६.०६ म. पू.)

शार्दूल टैक्सटाइल मिल्स गंगानगर के मजदूरों को हटाने विषयक श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मा. श्री भीखाभाई ।

Page No. 36

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : दिनांक ६ मार्च ६४ को ४ बजे श्रम आयुक्त कार्यालय में श्री रामसिंह अटल, जो सार्दूल टेक्सटाइल श्रमिक युनियन के सेक्रेटरी हैं, द्वारा प्रेषित एक तार प्राप्त हुआ जिससे सार्दूल टेक्सटाइल्स के मेनेजमेन्ट द्वारा ४० श्रमिकों को नौकरी से अलग करने के बारे में सूचना दी गई थी और विभाग से इसमें हस्तक्षेप करने को कहा गया था। तत्काल ही श्रम विभाग का एक अधिकारी गंगानगर भेज दिया गया और उसे इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा समझौता कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

उक्त अधिकारी ने सूचना दी है कि बिल्डिंग में, उक्त मिल में काम करने वाले १३ केज्युअल मजदूरों ने स्वत: त्याग पत्र दे दिये हैं, और हिसाब लेकर चले गये हैं। शेष मजदूर बिल्डिंग वर्क पर अभी भी काम कर रहे हैं मालिक ने उन्हें हटाया है। श्रम निरीक्षक ने श्री रामसिंह अटल से जिन्होंने कि श्रम आयुक्त को तार भेजा था, यह सूचना देने को कहा है कि वे निकाले गये कर्मचारियों के नाम तथा अन्य सम्बन्धित सूचना उन्हें अविलम्ब दें जिससे वे इसकी आगे जांच कर सकें। उन्हें यूनियन या श्री अटल द्वारा यह सूचना अभी तक नहीं दी गई है। मिल में स्थिति सामान्य है और श्रमिकों व मालिकों के बीच कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। श्रम विभाग का अधिकारी गंगानगर में मौजूद है और यूनियन से सूचना प्राप्त होने पर आगे जांच की जायगी।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : कितनों की सूचना है आपके पास ४० की नहीं है तो।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि निकाले जाने की सूचना नहीं है। जो सूचना मेरे को लेबर अधिकारी या मेनेजमेन्ट द्वारा मिली है उसके अनुसार वे बरकर बिल्डिंग में काम करते थे। उनके बारे में यूनियन को कहा गया है समझौता अधिकारी द्वारा कि वे बतावें कि किस किस को निकाला गया है। उन्होंने त्यागपत्र दिया था या उनको निकाला गया अंदर की बात बतावें उनके अनुसार कार्यवाही की जा सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपकी यह जानकारी कब की है कि १३ आदमी चले गये और २७ काम कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : मैंने कल रात बात की है टैलिफोन के ऊपर। जो सूचना मेरे पास आई वह मैंने बतादी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बीकानेर शहर में ये १३ आदमी जिन्होंने त्यागपत्र दिये वे कितने साल से वहां पर काम कर रहे थे। यदि वे वर्षों से वहां पर काम कर रहे थे तो केज्युअल होने पर भी उनको बिना नोटिस दिये नहीं निकाला जा सकता।

श्री भीखाभाई : जो इनफरमेशन हमको मिली है टैलिफोन से वह मैंने निवेदन की। समझौता अधिकारी जो लेबर ओफिसर हैं उन्होंने इन्फोर्मेशन यूनियन से मांगी कि जो १३ आदमी चले गये वे कैसे गये किस प्रकार की स्थिति है यह सब सूचना दें तो समझौते के लिये और तरह की कार्यवाही करने के लिये कदम बढ़ाया जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सरकार कम से कम यह बतादें कि मैनेजमेन्ट का क्या कहना है १३ लोगों को हटाने के बारे में ? क्या ये लोग जिस धंधे में लगे हुए थे वह धंधा ही खत्म हो गया या उनके बजाय किसी और को लगाने वाले हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि एक्सटेन्शन ओफ बिल्डिंग का काम चल रहा था उसमें दूसरे आदमी काम कर रहे हैं। इन १३ व्यक्तियों ने त्यागपत्र किन कारणों से दिया यह यूनियन से बताने के लिये कहा है।

पुगल क्षेत्र के ग्राम अखासर को पाकिस्तानियों के द्वारा लूटने विषयक उप-मंत्री, गृह, का वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्राम अखासर में दिनांक २६.२.६४ को पाकिस्तान निवासियों द्वारा की गई लूट के विषय में श्री मुरलीधर व्यास द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव के बारे में विवरण इस प्रकार है :

दिनांक २६ फरवरी, सन् १६५४ को ८ बजे सांय श्री नूरमोहम्द नामक एक पाकिस्तानी अपराधी और एक अन्य अपरिचित व्यक्ति एक ऊंट पर ग्राम अखासर पर आये। उन दोनों के पास एक एक १२ बोर बन्दूक थी।

ग्राम अखासर एक उजड़ा हुआ स्थान है। वे लुटेरे बालू के टीले पर जहां केवल ४ झोपड़े श्री अब्दुल करीम, मोहम्द बक्स, फूलो और बाखा के हैं वहां पहुंचते ही उन लुटेरों ने उसी ग्राम के श्री गुल्लू के विषय में पूछ ताछ की जो कि इस गांव से दूर रहता था। उनको इस प्रकार का उत्तर प्राप्त होने पर कि वह वहां नहीं हैं उन दोनों पाक लुटेरों ने उन चारों घरों को लूटा और दो हजार तीन सौ पैंतालीस रु० का माल एकत्रित किया। उन्होंने श्री अब्दुल करीम से ४६०) का मोहम्द बक्स से ११२५) रु० का फूलों से ५७०) रु० का और बाखा से १६०) रु० का माल लिया समस्त माल में १२२५) रु० नकद १८३० रु० की कीमत के जेवरात और २६०) रू० के कपड़े व एक टोपीदार बन्दूक थी। (बन्दूक किसकी थी इसका पता नहीं)

इस आक्रमण का उद्देश्य श्री गुलाम मोहम्मद की स्त्री का अपहरण करना था। गुलाम मोहम्मद कुछ समय पहले पाकिस्तान जा चुका था। और इसकी स्त्री गुल्लू के पास थी। इससे यह प्रतीत होता है कि ये लुटेरे श्री गुलाम मोहम्मद की स्त्री को गुल्लू से बलपूर्वक ले जाना चाहते थे।

इस स्थान से आर. ए. सी. पुलिस चौकी वल्लर ४ मील के फासले पर है, जहां पर इसकी सूचना रात्री को १२.१२ बजे, अर्थात् आक्रमण होने के ४ घंटे पश्चात् पहुंची। क्योंकि लुटेरों को ग्राम को लूटने में अनुमानतः आधा घंटा लगा। भारत पाक सीमा वहां से केवल २४ मील की दूरी पर ही थी अतः जब तक कि सूचना आर. ए. सी. पुलिस चौकी तक पहुंची उस समय तक उन लुटेरों ने वास्तविक रूप से सीमा को पार कर लिया था। अतएव उनसे मुठभेड़ नहीं हो सकी।

अधीक्षक आरक्षी, भावलपुर को तार द्वारा विरोध किया गया और अधीक्षक आरक्षी, बीकानेर ने याजमन मंडी के श्री मोहम्मद शफी ओ. एस. डी. से दिनांक ६-३-६४ को रेनल पर व्यक्तिगत सम्पर्क

Page No. 38

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

किया। इस सम्पर्क के फलस्वरूप पाकिस्तान पुलिस ने मान लिया कि लुटेरों ने पाक सीमा में प्रवेश कर लिया है और पाकिस्तान पुलिस उनका पीछा कर रही है। पाकिस्तान पुलिस ने यह विश्वास दिलाया है कि वह लूट के माल को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी। और १६–३–६४ की बैठक में इस बारे में जो प्रगति होगी उसे सूचित करेगी।

सीमा गांव से केवल २४ मील की दूरी पर है। ऊंट पर सवार व्यक्ति ४ घंटे में इसको सहज में ही पार कर सकते हैं। और यदि एक व्यक्ति को कुछ घंटों की छूट मिल जाए तो उसके सीमा पार करने के पहले उसको रोकना सम्भव नहीं है।

आस पास में कोई आतंक छाया हुआ नहीं है क्योंकि सन् १९६४ के इन महिनों में पाकिस्तानियों द्वारा किये गये आक्रमणों की संख्या गत वर्षों की तुलना में बहुत कम संख्या में है। सन् १९६४ के जनवरी व फरवरी माह में पाकिस्तान निवासियों द्वारा कुल बीकानेर जिले में एक लूट व दो चोरियां की गईं। इस काल में कोई डकैती की घटना नहीं हुई।

इसकी तुलना में गत वर्ष के इसी काल में ५ डकैती, एक लूट, ३ चोरियां और २ मुठभेड़ इसी जिले में सीमावर्ती डाकुओं के गिरोह द्वारा की गई थीं।

आज जो स्थिति है, वह गत किसी भी वर्ष की तुलना में कहीं अधिक अच्छी है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि ग्राउन्ड रूल्स के अनुसार पाकिस्तान की पुलिस ने आर. ए. सी. को रसीद देने से इन्कार कर दिया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : माल की खोज के सम्बन्ध में, जैसा मैंने निवेदन किया, पाकिस्तान पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि वह लूट के माल को बरामद करने का प्रयत्न करेगी।

श्री भीमसेन : मैं पूछता हूँ कि क्या पाकिस्ताक पुलिस ने रसीद देने से इन्कार कर दिया?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने कहा कि उनका पीछा किया गया, आर. ए. सी. के पीछा करने पर भी वे पाक सीमा के अन्दर पहुंच गये। तो ऐसी स्थिति में पीछा करते हुए पुलिस सफेद फ्लेग लेकर पीछा कर सकती है दूसरे की सीमा के पीछे, उससे इन्कार कर दिया। नियमानुसार दोनों देश की पुलिस मिल कर पीछा करके पकड़ सकती थीं। तो पाकिस्तान पुलिस ने पीछा करने की नियमानुसार कार्यवाही करने से रोका क्या?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक लुटेरों को पकड़ने का सम्बन्ध है, इसके लिए स्पष्टीकरण किया कि वह सम्भव नहीं था। वैसे उनको परस्यू किया गया और पाकिस्तान पुलिस को अवगत कराया गया। पाकिस्तान पुलिस ने विश्वास दिलाया और सरगर्मी से पीछा करके माल बरामद करने का विश्वास दिलाया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह पाबासर सीमा से २४ मील दूर है, यह ठीक है। यह भी ठीक है कि पिछले वर्षों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

से घटनायें अधिक नहीं हुई हैं लेकिन इतनी गहराई में, सीमा से २४ मील दूर लूट की यह सबसे भारी घटना है, सबसे बड़ी घटना है। यह २४ मील अन्दर जो लूट की घटना है, यह गम्भीर घटना है। गंगानगर में सारी मंडियां सीमा से दस मील के अन्दर अन्दर हैं। केसरीसिंहपुरा सीमा से तीन मील पर है, करणपुर सीमा से छः मील पर है, हिन्दु-कोटमल बाउन्डरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में पाक नेशनल सीमा से २४ मील अन्दर आकर कार्यवाही करें, इसके सम्बन्ध में मैं एक बात और उप मंत्री जो से कहना चाहूँगा कि पिछली साल हमारे सम्बन्ध पाकिस्तान से जो थे, वे सम्बन्ध अब बहुत बिगड़ चुके हैं, यह निश्चित है और ये घटनायें ऐसी हो रही हैं जिनसे मालूम होता है कि जो मेल मुलाकात पाकिस्तानी पोस्ट पहले रखती थीं वह अब नहीं रखती। अगर हमारे जानवर उनकी सीमा में चले जाते हैं तो वे उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने में लापरवाही का तरीका बरतते हैं और शह देते हैं कि इस प्रकार जानवरों की चोरी करके उन्हें लाया जाय। इस पोस्ट पर घटना हुई है, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि वे लूटेरें पोस्ट नं० ४३३। ४३४। ४३५ से पास हुए हैं और पोस्ट वालों ने इमीजियेटली कान्टेक्ट करने पर भी और सफेद झंडा दिखाने पर भी उनको घुस जाने दिया और पीछा करने से इन्कार कर दिया। यह गम्भीर घटना है इसलिए हमें संजीदगी से इसे लेना चाहिए और इसलिए हमारी पहली जिम्मेदारी है कि पोस्ट्स की तादाद बढ़ानी चाहिए और विजिलेन्स को बढ़ाना चाहिए। आप कहते हैं कि सनसनी नहीं है, मैं आपको बताऊं कि रायपुर मंडी और केसरीसिंह मंडी है जहां दस पन्द्रह हजार की आबादी बैठी हुई है और उनमें बड़ी सनसनी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप कहते हैं कि २४....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले सब माननीय सदस्यों को बोल लेने दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २४ मील अन्दर आने के बावजूद भी, कहते हैं, पकड़ना सम्भव नहीं है। आपका यह स्टेटमेंट बहुत सीरिअस इम्प्लीकेशन्स लिये हुए है। सरकार समझती है कि आर० ए० सी० पोस्ट चार मील पास होते हुए भी २४ मील अन्दर पाक सीमा से आक्रमणकारी आ गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सीमा रक्षा के दृष्टिकोण से आर० ए० सी० के गठन पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस सदन के अन्दर, दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य कदापि यह सुनेने को तैयार नहीं होंगे कि २४ मील अन्दर आकर लुटेरे लूटपात करें और उनको पकड़ना सम्भव न हो। हम इस बात को सुनने को तैयार नहीं हैं। अगर सरकार का विश्वास है कि सम्भव नहीं है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विचार करें, आपको इस स्थिति में इस पद पर रहना चाहिये या नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बार बार कहते हैं आप।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दूसरा प्रश्न उठता है, बाउन्डरी पर जाकर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पुलिस ने आश्वासन पाकिस्तान पुलिस का लिया, वह परस्यू करके एग्रीहेंन्ड करते हैं। माल वापिस आना चाहिए, इसलिए आपके एग्रीमेंट के अनुसार परस्यू करने का, इनका पीछा करने का दोनों पुलिस को अधिकार था और पाकिस्तान पुलिस को साथ जाना चाहिए था। इस प्रकार का रेसिप्रोकल अरेन्जमेंट हमारा होता है, हमारी तरफ से कोई घटना करके आ जाता है तो पाकिस्तान की पुलिस को इसी तरह की सुविधायें दी जाती हैं। या तो हमारी पुलिस ने इस प्रकार की सुविधा मांगी नहीं, अगर नहीं मांगी तो हमारी पुलिस ने यह एटीट्यूड दिखा कर नागरिकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, दायित्व को नहीं सम्भाला इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर सुविधा मांगने के बावजूद पाकिस्तान पुलिस ने इन्कार किया है तो हमने यह क्वेश्चन रेज आउट किया या नहीं, प्राटेस्ट किया या नहीं कि यह रेसिप्रोकल फेसेलिटी पाकिस्तान की पुलिस को नहीं देंगे। इस प्रकार का डिसीजन किया या नहीं, यह मुझे बतायें।

श्री मुरलीधर व्यास : भारत सरकार को सूचना दी या नहीं, यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, एक व्यक्ति का नाम बताया और कहा कि उसकी पत्नी को बलपूर्वक उड़ा........

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा प्रतीत होता है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी पत्नी को बलपूर्वक ले जाना चाहते थे। और फिर कहा, वह व्यक्ति पहले ही पाकिस्तान चला गया था। वह कौन था? हिन्दुस्तान का नागरिक था तो पाकिस्तान कैसे चला गया? पासपोर्ट लेकर गया या वैसे ही चला गया? गया तो कब गया और पाकिस्तान में कितने दिन से रहता है? पाकिस्तान में रहता है तो बलपूर्वक रहता है और यहां आयी कैसे उसकी पत्नी? इस सम्बन्ध में सरकार ने जानकारी की है तो वह बताये।

दूसरा पाइन्ट है, ग्राउन्ड रूल के अनुसार पाकिस्तान पुलिस से रसीद मिलनी चाहिए, उसको आपने यह कह कर टाला है कि सहानुभूति दिखाई है और आश्वासन दिया है कि बरामद करके देंगे। क्या राजस्थान सरकार या गृह मंत्री ने इसकी खिलाफत की है और रसीद नहीं दी है उसके लिए भारत सरकार को लिख कर पाकिस्तान सरकार को नोट भिजवाया है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : जो होट परस्यूट का पाइन्ट रेंज किया है, एजएला मिनिस्टर में इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइन्ट उठाया है उसके अनुसार लैंड पर होट परस्यूट की थ्योरी को दोनों कन्ट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, न भारत ने की है। न पाकिस्तान ने की है। इन्टर नेशनल तौर पर सिर्फ यूरोप के अन्दर यह मानी गई है।

It is only on the sea that within the radius of ten miles you can follow any ship. But so far as India is concerned, the theory of hot-pursuit has not been accepted by any country.

Page No. 41

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : तो मैं निवेदन कर दूं, इसलिए हमारी पुलिस पाकिस्तान के बोर्डर के अन्दर एक इंच भी कानूनी रूप से एन्टर नहीं हो सकती होट परस्यूट के लिए, न पाकिस्तान पुलिस हिन्दुस्तान को भूमि में एक इंच दाखिल हो सकती है होट परस्यूट के लिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि यह रेड़ एक आइसोलिटेड विलेज में हुआ और यह पहली ही घटना है, मगर प्रेक्टिकल एस्पेक्ट में यह रेड़ तो हुआ है। पहले पाकिस्तान के और हमारे एडजस्टमेंट अच्छे चलते रहे। पहले जगमालसिंह, तेजसिंह आदि डाकू रेड़ करके उधर चले जाते थे। मगर अब वे भी मारे गये हैं। उस समय बराबर उनका हमारे लोगों ने होट परश्यू किया है और पाकिस्तान के एरिया में डाकुओं को पकड़े हैं और पाकिस्तान के आफीसर्स और पुलिस फोर्स भी हमारे साथ थी। यह सही है, प्रश्न अब यह नहीं है। प्रश्न यह है कि पाकिस्तान लगातार इस प्रकार के अवान्छनीय तरीके अपना रहा है। जिसे हम देख रहे हैं। अगर डाकू वहां गये तो आपस में तो ताल्लुकात चले आ रहे हैं–म्युचुअल एग्रीमेंट चले आ रहे हैं उसके अनुसार पाकिस्तान को चाहिए था कि वे हमें रास्ता देते और हम उनका पीछा भी करते उसमें भी मदद करते। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिये अब हमें इस स्थिति से बहुत सजग होना चाहिये। यह पहली घटना है। यह बात टीक है मगर सीमा से २४ मील अन्दर घुस आने की घटना है जो गंभीर है अगर हम जोगरफीकल पोइन्ट से देखें तो आपको मालूम होगा कि उधर हमारी बहुत सी मंडिये हैं, जो बहुत अहमियत की हैं और बड़े २ मार्केट्स हैं–उन पर इस रेड़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, यह पाकिस्तान का रवैया बहुत गंदा रवैया है जिसे हम देख रहे हैं इसलिये इस बात को सरकार को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिये। और भारत सरकार को भी हमें कोन्फीडेन्स में लेना चाहिये और इस प्रकार की रेड्स को रोकने के लिए शीघ्र प्रबन्ध करना चाहिये। बड़े २ मार्केट्स रायसिंह नगर आदि में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): जहां तक दूसरी मंडियों के बारे में कहा गया है–मैं समझता हूं कि वहां पुलिस का इन्तजाम काफी है। मंडियों में इस प्रकार की वारदात नहीं हो सकती। यह घटना तो एक आइसोलेटेड विलेज के अन्दर हुई है। इसका हमें दुख है। लेकिन मंडियों व मार्केट्स की जगह और इस आइसोलेटेड–विलेज की स्थिति को एक मानने का कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि जो मीटिंग दोनों देशों की जल्दी ही होने वाली है उसमें देखना है कि वहां क्या रूख अपनाया जाता है, इसके सम्बन्ध में क्या रूख रहता है। उससे प्रेक्टिकल आस्पेक्ट्स हमारे सामने रहेंगे और अभी जो तनाव है उसके बारे में हम पूरी तरह से सर्तक हैं। इससे ज्यादा इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी आपने बताया कि यह एक आइसोलेटेड विलेज का केस है और जो ज्यादा बोर्डर के नजदीक मंडियें और मार्केट्स है उनके लिए आपने कहा कि कोई चिन्ता की बात नहीं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसकी कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए उनके लिए माकूल प्रबन्ध है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बहुत छोटी सी जमीन थी जहां पर रेड़ हुआ । और जिन जगह मंडियों का इन्तजाम है—इस जगह और मंडियों के इन्तजाम में काफी फर्क पड़ता है—इसलिये यह कहना कि रायसिंह नगर में खतरा है और दूसरी आस पास की मंडियों को खतरा है—यह उचित नहीं है—क्योंकि वहां पर माकूल इन्तजाम है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह विशेष महत्व का एवं सीक्योरिटी का प्रश्न है । पाकिस्तान हमेशा अपने पोस्टों की संख्या बढ़ाता जा रहा है और पिछले वर्ष से इस वर्ष में कई नयी पोस्ट्स बना ली हैं । हम बोर्डर पर रहने वाले हैं—इस बात को भली भांति जानते हैं । उसकी टेपोग्राफी है वह स्पष्ट है । पाकिस्तान में हर गांव से चार मील दूरी पर पोस्ट है । यदि आप देखें तो यह चार मील कोई रिजनेबल डिस्टेन्स नहीं है । पाकिस्तान जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है उसके लिए मेरे पास काफी दृष्टान्त हैं जो मैं कह सकता हूं मगर कहना नहीं चाहूंगा । फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें काफी सजग रहना है । पाकिस्तान येन केन प्रकारेण बढ़ रहा है—वह नयी पोस्ट्स बनाता जाता है जिससे फासला हमेशा पोस्ट और दूसरे पोस्ट के बीच कम होता जा रहा है । इधर हमने पोस्ट्स नहीं बढ़ायी हैं हमको भी पोस्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे । ये गांव से चार मील दूर हैं—यहां जितनी मंडियों हैं वे बोर्डर के नज़दीक है उनको सबसे अधिक भय हो रहा है क्योंकि ये घटनाएं दुबारा कहीं भी और कभी भी हो सकती हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने पहले भी निवेदन किया कि उनके कितने पोस्ट्स बढ़े और हमारे कितने अभी मैं इस विवाद में गये बिना आपको यही बताना चाहता हूं कि बोर्डर पर क्या हो रहा है उसकी सतर्कता हमें है और मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने बताया कि हम सर्तक हैं लेकिन इस समय हाऊस को जानने और संतुष्ट होने की जरूरत है । हाऊस आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है । सीमा में २४ मील घुसकर रेड़ करके चले जावें । आपके होरीजेन्टल तरीकों पर, आपको इन्फोर्मेशन मिलने पर भी उनको पकड़ न सके—क्या यह सर्तकता काफी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह किस प्रकार का एरिया है और हिस्टोरिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से देखें तो मालूम होगा कि वहां चले आना आसान है । मगर अब जो फैक्ट्स एण्ड फिगर्स दिये हैं । उनसे वहां की हालत किसी प्रकार से ठीक होती जा रही है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : स्थगन प्रश्न आया और जो घटना हुई उसके बारे में मा० सदस्यों ने कहा । आपका इस प्रश्न पर जो उत्तर प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे सदन में सदन के सदस्यों को संतोष नहीं है । अगर मुख्य मंत्री उचित समझें तो इस विषय पर विशेष चर्चा सदन में न करें तो सदन के सदस्यों को माननीय मुख्य मंत्रीजी जो विरोधी दल के सदस्य हैं उनके नेताओं को अपने विचार बतादें कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सरकार ने क्या कदम उठाया है ताकि हमें संतोष तो हो। बजाय सदन में कहने के वे इस सदन के पार्टीज के नेताओं के बीच में प्रकाश डाल दें कि इस प्रकार से सीमा पर हमारी जागरूकता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसके सम्बन्ध में पहले भी चर्चा की गई है और फिर भी विरोधी दल के नेता हैं उनसे मुझे सारी चीजों के बारे में बातें करने में कतई एतराज नहीं होगा। मैं जिस मुद्दे के बारे में सदन में कहता हूँ लेकिन कहूँगा उतना ही जितना हमने इन्तजाम किया है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसकी डीटेल्स में मुझे नहीं डालें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आप पिछले वर्ष और इस वर्ष के रेडस का मुकाबला करें और फैक्ट्स और फिगर्स को देखें तो मालूम होगा कि वे ग्रेजुयेली इन्क्रीज होते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से आपके द्वारा कहूँगा कि वह डाकुओं का गैंग, जो उधर पहले एक्टिव था अब नहीं है। मैं इस बात की ताईद करूंगा कि उन डाकूओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। जगमालसिंह, तेजसिंह जो पाकिस्तान की तहत में थे वे लोग आगे आ जाते थे, वे हिन्दुस्तान के डाकू थे और पाकिस्तान से आते थे। पाकिस्तान के नेशानल नहीं थे, अब उन सारे डाकुओं का सफाया हो चुका है और उस सारे क्षेत्र में अगर कोई डाकू कहे तो बहादुरसिंह कह सकते हैं। जो पाकिस्तान में जाकर प्रोटेक्शन सीक करता है। बीकानेर के सभी डाकू समाप्त हो गये।

इसलिए आज जो रेड करते हैं वे पाकिस्तान के नेशनलिस्ट हैं जो रेड़ करने आते है और उनको पाकिस्तान के पोस्ट वाले भेजते हैं। इस प्रकार की मिसचिवियस कार्यवाही पाकिस्तान करवाता है। इसलिए पिछले वर्ष की घटनाओं से इन घटनाओं का मुकाबला नहीं किया जा सकता। पिछले साल जगमालसिंह का गैंग था जिसने घटनायें कीं। लेकिन अभी की जो घटनाये हैं वे पाकिस्तान के टेरीटोरियल नेशनलिस्ट करते हैं। इन्हीं बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने सारी बातें आपके सामने रखी हैं और इनका प्रबन्ध हमें करना होगा।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर अधिक चर्चा करना उचित नहीं। उप गृह मंत्रीजी कहेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पांइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी जो वक्तव्य उप गृह मंत्रीजी द्वारा दिया गया है उसमें यह बताया गया कि उनको किसी तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता था इन शब्दों को प्रोसीडिंग्ज में से हटा दिया जाय क्योंकि हमने संविधान में शपथ खाई है देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की और आपकी सरकार का यह कहना कि इस टेरिटोरियल वायोलेशन्स को परस्यू करने में किसी प्रकार से असमर्थता को स्वीकार करते हैं तो इसके सिरियस कोन्सीक्वेन्सेज और इम्पलीकेशन हो सकते हैं। चाहे वह घटना एक आइसोलेटेड विलेज की हो चाहे और कहीं की। उन लोगों का २४ मील सीमा के अन्दर आना और रेड करना और उस पर हमारी सरकार का यह कहना, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इस प्रकार के सेन्टेन्स को इस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्रोसीडिंग्ज में से निकाल दिया जाए। क्योंकि हम उन्हें एक विशेष परिस्थिति में नहीं पकड़ पाये हैं। हो सकता है कि सूचना देरी से मिली हो या हमारी आर० ए० सी० उस समय दूसरी जगह पेट्रोल कर रही हो। हमारी सरकार का यह कहना कि हम किसी तरीके से उन्हें पकड़ नहीं पाये यह उचित नहीं है। इसलिए इस पोर्शन को प्रोसीडिंग्ज़ में से ऐक्सपंच कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय उप मंत्रीजी ने बात कही है वह इसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कही है, उन्होंने यह थोड़े ही कहा कि किसी परिस्थिति में नहीं रोक सकते थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह कहा कि काफी देर से इतल्ला पहुंची। आप दूसरे ढंग से स्थिति रख रहे हैं। दो ऊंट वाले, डेजर्टेड विलेज, जहां केवल ४ घर, पोस्ट से २४ माइल दूर, इतल्ला देरी से मिली, पुलिस वालों ने खोज निकाले, रसीद हासिल की, सारी स्थिति को देखते हुए बोर्डर तक गये। ऊंटों की सवारी से, ४ घन्टे का फासला मिल गया तो बहुत मुश्किल होता है। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पुलिस वालों ने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसलिये इन शब्दों को प्रोसीडिंग्स में से हटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ........

श्री अध्यक्ष : Order please! अब उप-मंत्री, महोदय, दूसरा स्टेटमेंट देंगे।

श्री रामहेतसिंह, जिला जयपुर के सामाजिक कार्यकर्त्ता की हत्या विषयक उप-मंत्री, गृह का वक्तव्य

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, गत २८ फरवरी, १९६४ को हैड कान्स्टेबल भोलाराम ने जो चितौड़गढ़ रेल्वे पुलिस की आउट पोस्ट पर नियुक्त था, तीसरे दर्जे के यात्रियों के प्रतीक्षागृह में फकीरा नामक एक व्यक्ति को पागल की तरह हरकतें करते पाया। यह व्यक्ति अपने हाथ में लोहे की एक बड़ी छड़ घुमाता हुआ प्रतीक्षागृह में बैठे लोगों को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। फकीरे ने श्री रामहेतसिंह पर भी लोहे की उस छड़ का एक वार किया जो कि खिड़की के पास खड़ा था।

श्री रामहेतसिंह वल्द गिरधारीलाल आगरे का निवासी है। फकीरे नामक इस व्यक्ति ने गश्त लगाते हुए कान्स्टेबल श्री मनमोहन ओझा, फायरमेन श्री नन्दलाल, सिपाही श्री लक्ष्मणसिंह और मुन्नालाल को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की जब कि इन लोगों ने उसे घेरने की चेष्टा की थी। अन्त में उसको पकड़ लिया गया और ऐसा करते समय जनता ने भी फकीरे के साथ धक्का मुक्की की। श्री रामहेतसिंह को तत्काल अस्पताल भेजा गया वहां से उदयपुर ले जाया गया जहां चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हैड कान्स्टेबल आउटपोस्ट के इन्चार्ज फकीरा को रेल्वे पुलिस स्टेशन भीलवाड़ा २९ फरवरी, १९६३ को प्रात: साढे सात बजे ले कर पहुंचे। हैड कान्स्टेबल भोलाराम की

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एस. एच. ओ. ने फकीरा को इण्डियन ल्यूनेसी एक्ट की धारा १३ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु सिटी मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा की अदालत में पेश कर दिया।

२ मार्च, १९६४ को सांयकाल ६: ३० बजे, एस. एच. ओ. को हाथीपोल उदयपुर के सिपाही गोविन्दसिंह के मार्फत रामहेतसिंह की मौत की सूचना तथा मरने वाले की इन्क्वेस्ट रिपोर्ट मिली थी अतएव उसने भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत मामला दर्ज कर दिया और तफतीश शुरू कर दी।

सिटी मजिस्ट्रेट ने उसी दिन नसीराबाद निवासी फकीरा वल्द चुन्नीलाल हरिजन को जयपुर के मानसिक रोग चिकित्सालय में जांच और राय के लिए भेज दिया। उसे २ मार्च को मानसिक रोगों के अस्पताल में भर्ती किया गया। आज सदन में स्थगन प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानसिक चिकित्सालय के सुपरिन्टेन्डेन्ट डा० वी. के. व्यास से पूछताछ करने पर पता चला कि अभी तक फकीरा में किसी प्रकार के मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दिये हैं और वह सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। आज ही डा० व्यास सिटी मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा को इस आशय की अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं।

अतएव यह कहना सही नहीं है कि पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। इस मामले में छानबीन जारी है और शीघ्र ही यह जांच पूरी हो जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : किन आधारों पर फकीरा को पागल समझ कर मेंटल हास्पिटल में भेजा गया जब कि डा० व्यास ने पहले इन्टरव्यू में ही कह दिया कि वह पागल नहीं है। तो फिर प्राइमाफेसि कैसे प्रीज्यूम किया गया कि फकीरा पागल है और उसको यहां मेंटल हास्पिटल में भेजा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके तथ्य जैसे कि मैंने निवेदन किया कि वह पागल की तरह हरकतें करते पाया गया, लोगों को चोटें पहुंचाने की कोशिश की और फिर चोटें पहुंचा दीं, ये ऐसे तथ्य थे जिनसे मालूम होता था कि फकीरा पागल है। पागल की स्थिति का निराकरण करने के लिए पुलिस ने उसे मेंटल हास्पिटल में भेजा तो इससे पुलिस ने प्रोसीक्यूशन को मजबूत ही किया है।

एक माननीय सदस्य : और कितनों के चोटें आईं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की उनको कुछ चोटें आईं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वास्तविक स्थिति यह है कि वह पागल नहीं है, इसे पागल करार देने की कोशिश की गई है। यहां डाक्टर व्यास ने पहले इन्टर्व्यू में ही कह दिया कि यह पागल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऐसी बात न कहें जिसके पीछे तथ्य नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह स्थिति तो सामने आई है, जो मेडिकल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिपोर्ट है मेंटल हास्पिटल की शुरू की उस वक्त भी इसमें नेन्सी के स्यूसिम्टम्स नहीं थे। आर्डिनरीली पुलिस का यह कार्य नहीं है कि वह इस इन्टेन्शन को मालूम करे कि मर्डर के पीछे क्या इन्टेन्शन रहा था। फिर भी पुलिस ने उसे पागल मान लिया जो वास्तव में पागल नहीं है तो इससे पुलिस का बोना-फाइडी डाउटफुल बनता है, तो क्या गवर्नमेंट इस बात की जांच करायेगी कि पुलिस ने उसे मेंटल हास्पिटल में क्यों भेजा जब कि मेंटल हास्पिटल की इस प्रकार की रिपोर्ट है तो वहां भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस बारे में एक प्रश्न और है,........

श्री अध्यक्ष : Order please ! क्योंकि कार्यवाही हो रही है। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

(६.३७ म. पू.)

सांखू रोड़ (जिला चूरू) पर अकाल सहायता हेतु कार्य करने वाले मजदूरों को हटा देने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव कस्बा राजगढ़ जिला चूरू से सांखू रोड़ अकाल सहायता के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बन्द करने के बारे में माननीय सदस्य श्री रावतराम ने भेजा है, माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कुछ स्पष्टी करण करें।

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो तथ्य सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं, इसके बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से जो जानकारी की गई उसके अनुसार मालूम हुआ है कि जो ४०० साढे चार सौ लेबर राजगढ़ सांखू रोड़ से हटाने की जानकारी दी है, वह सही नहीं है। यह सही है कि उस रोड़ पर जो अर्थ वर्क चालू था उस पर से इस वर्ग को हटा कर पास की खदान में पत्थर के काम पर लगाया गया है, बिल्कुल काम से नहीं हटाया है। अब भी लेबर काम पर लगा हुआ है। इस सड़क पर दस–बारह गैंग काम कर रहे हैं। काम तेजी से चल रहा है, अर्थ वर्क काफी पूरा होने आया है, लेबर को अर्थ वर्क पर लगाने की गुंजायश नहीं रही इसलिए खदान पर लगाया है। अतः मैं यह समझती हूं कि माननीय सदस्य को यह जानकर संतोष होगा कि वह रिपोर्ट सही नहीं है। वहां से लेबर हटाया नहीं गया है बल्कि दूसरे काम पर ट्रान्स्फर किया गया है। वैसे राज्य की नीति है और कलेक्टर्स और सम्बन्धित अधिकारियों को कहा गया है और उन्होंने इसे स्वीकार किया है कि किसी लेबर को यह कह कर नहीं हटाया जायगा कि अब काम नहीं रहा है। अकाल घोषित एरिया के लेबर को काम देना यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह नैतिक मान्यता है कि हम किसी अकाल ग्रस्त एरिया के लेबर को इसलिए नहीं हटायेंगे कि काम पूरा हो गया है। यह हमारी जिम्मेदारी है किसी लेबर को काम से रिक्त नहीं रहने दिया जायगा। इसलिए ऐसी कोई बात न तो हुई है और न ही हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई बात आइन्दा हो। इसकी हम बराबर सतर्कता रखते हैं। मैं यह

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

भी बताना चाहती हूं कि माननीय सदस्य का जो स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में उन्होंने मुझे दो तीन दिन पहले भी इस बात की सूचना दे दी थी। उसी वक्त तुरंत मैंने सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया, जानकारी की और यह कार्य संपादित किया। उसके बाद में स्थगन प्रस्ताव आया जिसका जवाब मैंने आपके सामने रखा है।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : माननीय उपमंत्राणी ने जो स्टेटमेंट दिया है वह सही नहीं है। कल की तारीख तक वे लोग काम पर नहीं लिए गए। आपने कहा कि अर्थवर्क पूरा हो गया और उनको दूसरी जगह पर लगाया है। इस सड़क पर कम से कम १०००-११०० मजदूर काम करते थे। मैं मौके पर जाकर आया हूँ। वहां के इंजीनीयर साहब ने आर्डर किया है कि इनको हटाओं। मेरे पास टेलीग्राम आया है कि कल तक वे काम पर नहीं लिए गए और आप कहती हैं कि लिए गए। हो सकता है कि दो चार सौ रोड़ी निकालने वाले या पत्थर उठाने वालों को ले लिया हो। तो मैं निवेदन करूंगा कि दुबारा आप इस मामले को देखें। यह आपकी जिम्मेदारी है उनको काम पर लाना चाहिए। लेबर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो परेशान हो जायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : कलेक्टर चूरू यहां पर हैं। आज ही जानकारी करके अगर उसके अंदर कमी होगी तो व्यवस्था की जायगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने कल....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

आय-व्ययक साहित्य का माननीय सदस्यों को वितरित करने से पूर्व पत्रकारों को देने विषयक स्थगन–प्रस्ताव

एक स्थगन प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने भेजा है। उसकी सूचना दी है उन्होंने बताया है कि शुक्रवार दिनांक ६ मार्च १९६४ को सायंकाल राजस्थान राज्य के आय व्ययक १९६४-६५ वित्तमंत्री द्वारा इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया और लगभग ६॥ बजे से पूर्व आगामी वर्ष के प्रस्तावित करों की जानकारी सदन को नहीं दी तथा आय-व्ययक संबंधी लिटरेचर भी माननीय सदस्यों को लगभग सायं ७ बजे वितरित किया गया, किन्तु उक्त नए प्रस्तावित करों एवं बजट संबंधी जानकारी दिल्ली में पत्रकारों को सांय ६ से पूर्व सार्वजनिक सपंर्क कार्यालय द्वारा दी गई थी। अतः बजट संबंधी जानकारी सर्वप्रथम सदन को न दिए जाने के गम्भीर मामले सदन में विचार किया जाना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य विधान भास ने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना इसी विषय पर दी है जिसमें यह बताया है कि दिनांक ६ मार्च, १९६४ को सायंकाल ५ बजे से पूर्व माननीय वित्तमंत्री का भाषण जयपुर प्रेस में आ चुका था।

इसी विषय पर माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना भी दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। अतः इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाता है और सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान नहीं की जाती।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस विशेषाधिकार के प्रश्न का कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : बहुत सोच समझकर विचार किया जा रहा है। सरकारी पक्ष से विचार-विमर्श किया जा रहा है। उनकी राय भी मांगी गई है। जो सारे कानूनी पहलू हैं उन पर विचार करके शीघ्र निर्णय ले लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न-एडजोर्नमेंट मोशन में किसी प्रकार का समय लगे तो उस समय के कारण जो तथ्य विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में या स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस सदन के सामने आने चाहिए उनमें कमी आ सकती है। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके बारे में सदन में पहले दो वर्षों में भी अध्यक्ष महोदय की ओर से सरकार को कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से ऐसे मसलों पर बिल्कुल सावधानी नहीं बरती जाती है। हो सकता है कि वह लिट्रेचर और बजट स्पीच प्रेस के अन्दर चले जाने से कुछ फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन्स पैदा हों। यह सही है कि सरकार ने गजट नोटीफिकेशन साइमलटेनियसली निकाला हो, लेकिन दिल्ली में और जयपुर में इतना अन्तर नहीं है कि सूचना ५-७ मिनट में यहां न पहुंच जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रिविलेज इश्यू या एडजोर्नमेंट मोशन के संबंध में जो निर्णय हो, तुरन्त होकर कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें विलम्ब सबके लिए घातक हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही निर्णय दे दिया जायगा।

जयपुर मधु फार्मेस्युटिकल की बनी दवाई एफेड्रोल में जहरीला कीडा सम्बन्धी विषय पर स्थगन-प्रस्ताव

माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हाडां ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, उन्होंने व श्री हरीराम चौहान ने, कि श्री हाडां ने ता: १०-३-६४ को एक खांसी की दवाई खरीदी जिसमें उनको एक बहुत बड़ा जहरीला कीड़ा मिला। वे स्वयं शीशी लेकर यहां आए हैं जो अभी भी सील बन्द है।

मैं स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करता हूं....

श्री भैरोंसिंह मामला बहुत सीरियस है।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करें कि किस कानून का इसमें उल्घंन हुआ है और जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्यवाही करके सदन को इससे अवगत कराया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (शीशी दिखाकर) माननीय अध्यक्ष, यह एफीड्रॉल की शीशी है जिसमें कोई जहरीला कीड़ा नजर आता है। यह दवा....

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : इसका अनुमान आप कैसे लगाते हैं :

श्री अध्यक्ष : बहुत बड़ा मछंदर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जहरीला है या नहीं है, यह तो मेडीकल एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। इसमें काफी लंबा कीड़ा मौजूद है। यह दवाई आम तौर पर बच्चों को भी खांसी के लिए दी जाती है यह दवा मधु फार्मसी जयपुर ने बनाई है और बाकायदा एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर जगदम्बा मडीकल स्टोर्स से ली है। इसमें अगर जहरीली चीज है तो बच्चों ने कहीं पी ली हो तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है या दुर्घटना भी हो सकती है सबसे लज्जा की बात यह है कि मैंने कल यह प्राप्त होते ही राजस्थान के आई. जी. पी. को टेलीफोन किया कि मुझे इस प्रकार की मेडीसिन प्राप्त हुई है और उसमें कोई जहरीला कीड़ा नजर आता है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी फोन किया। आप नहीं थे तो सारे तथ्य उनके पी. ए. साहब को नोट करवा लिए और हमने कहा कि यह दवाई जिस जिस मेडीकल स्टोर पर हो जयपुर में, उनको आप फौरन सील कर दें और उसकी सेल बन्द कर दें। कल रात को मैं कई मेडीकल स्टोर्स पर गया और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल रात तक यह दवाई दूकानों पर मौजूद थी और न ही दवाईयों को सील किया गया था। एक यह सांप है या कांकरोच है या फंगस है; सूचना मिलने के बावजूद भी इसका सक्यूलेशन न रोका जाय, तो यह बहुत गंभीर चीज है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर्स की या एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाई जाय इसको एनेलाइज कराया जाय और जब तक कोई चीज फाइनल न हो जाय तब तक इस बैंच नम्बर की सब शीशियों को सील कर दिया जाय, एन्क्वारी की जाय। अगर किसी ने यह दवाई ली है तो क्या हानियां हुई है या दुर्घटना हुई है....

श्री भगराज चोधरी (रानीवाड़ा) : आपने हेल्थ मिनिस्टर साहब को फोन किया या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने चीफ मिनिस्टर को किया था। हेल्थ मिनिस्टर साहब आराम फरमा रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): यह गलत है कि मैं "आराम फरमा" रहा था। आपने कोई टेलीफोन नहीं किया। यह बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। अड़े भिड़े और काजी के गले पड़े। टेलीफोन किया नहीं और कहते हैं कि हैल्थ मिनिस्टर आराम फरमा रहे थे। मैं कल सेक्रेटेरियट में मौजूद था कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हमारी हमदर्दी है आपके आराम के साथ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे कोई आपके आराम से एतराज नहीं। आपके आराम के दिन भी हैं। आराम करने की स्थिति में भी हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : अगर माननीय सदस्य का बस चले तो थोड़ा और भी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मामला बहुत सीरियस है।

श्री बरकतुल्ला खां : आप जिस तरह से मुझे आराम कराना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। यह उनकी भी बदकिस्मती है और मेरी भी बदकिस्मती है। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि इसके अन्दर क्या चीज है। पूरी पांच होनी चाहिए। इसलिए आप चाहें तो लैबोरेटरी में एनेलिसेस कराएं, आप

(श्री बरकतुल्ला खां)

चाहें तो दो-तीन मेम्बरों की एक कमेटी बनवा दें, जिस तरह से भी सदन को सैटिस्फेक्शन हो वैसा करें।

श्री अध्यक्ष : चाहने का प्रश्न नहीं है। कानून के अन्तर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। इस बैच को बेचने से रोका जाय और इसके किसी भी बैच को मेन्युफेक्चर करने से भी रोका जाय जब तक कि आपको इसके बारे में कोई पूरी तसल्ली न हो जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि यह ठीक बात है कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त यह मेसेज़ मिला था और उसी वक्त एस. पी. जयपुर को इन्स्ट्रक्शन्स दे दी गयी थी कि इमिजियेट स्टेप्स लें। क्या स्टेप्स लिये हैं, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं हुई है। मैं इसके बारे में आगे आवश्यक हुआ तो सूचना दे पाऊंगा। इसमें क्या पड़ा है, क्या हुआ है यह तो आवश्यक ही है कि इसका मेडीकल एग्ज़ामिनेशन होना चाहिये और जो भी आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये वह की जायेगी, ऐसा मान कर चलना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिनिस्टर महोदय को यह बैच और यह दवा की शीशी सुपुर्द कर देता हूँ ताकि वे इसकी आवश्यक जांच केमिकस्ट से करवा लें।

श्री बरकतुल्ला खां : कर दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह शीशी दवा की जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत की है उसको सीलबन्द करवाया जाय। असेम्बली चैम्बर में रहने की तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां से जाने के बाद के लिए प्रिकॉशन्स लेना आवश्यक है कि इसको असेम्बली में ही सीलबन्द करवा दिया जाय और उसके बाद केमिकल एनेलेसिस के लिए भेजा जाय ताकि माननीय सदस्यों को यह तसल्ली हो जाय कि प्रोपर फिल्टरेशन हो गया है। क्या किस प्रकार का कीड़ा है, क्या स्थिति है, यह सब मालूम हो सकेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। श्री हांडा इसको साथ ले जाकर केमिकल एनेलेसिस करवा लें तो भी कोई एतराज नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, केमिकल एग्ज़ामिनेशन हो, उससे पहले इसके बारे में जो प्रिवेन्टिव मेजर्स लेने हैं वे तो ले लिये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद जारी रहेगा।

(५.५३ म० प०)

आय-व्ययक पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष....

श्री अमरसिंह (दूदू) : On a point of order, Sir, कई माननीय सदस्य उधर से राज्यपाल के भाषण पर भी काफी बोल चुके थे और इस बजट भाषण पर भी पूरा २ घंटा ले लिया है। दूसरे माननीय सदस्यों को समय नहीं मिला है। इसलिए रूल १४२

(श्री अमरसिंह)

के अन्तर्गत मैं चाहूंगा कि हम को बोलने का समय दिया जाय। १४२ रूल लगा कर समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि हम लोगों को समय मिल सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का सुझाव है कि समय नियत कर दिया जाय। मैं अभी यह नहीं समझता कि इस स्तर पर किया जाय। जितने माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की जायगी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, कल मुझे १.२७ बजे भाषण देने के लिए आज्ञा प्रदान की गई थी। जब मैंने यह निवेदन किया था कि मैं हाउस समाप्त होने से पहले अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाऊंगा इसलिए मुझे दूसरे दिन बोलने का मौका दिया जाय तब चेयरमैन महोदय ने भी मेरी इस बात को मन्जूर कर लिया।

श्री अध्यक्ष : यह तथ्य इस तरह से नहीं है। सत्य यह है कि माननीय सदस्य दस मिनिट तक बोल चुके हैं। सदन का समय पांच मिनट इसीलिए बढ़ाया गया था कि आप पांच मिनिट और बोल सकें।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, घड़ी में फर्क था।

श्री अध्यक्ष : Order please ! Shri Har Dutta Singh.

श्री हरदत्तसिंह।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर बहस का तीसरा दिन है। कल बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य खाद्यान्नों के भावों की बढ़ोतरी के बारे में बहस कर रहे थे तब उन्होंने खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये उनके ३ सितम्बर, १९६३ के भाषण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : जरा जोर से बोलें। उसको ऊंचा कर लें।

एक माननीय सदस्य : बीमार हैं।

श्री हरदत्तसिंह : जिसमें माननीय खाद्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि खाद्यानों के भावों को कन्ट्रोल में रखने के लिए जिला स्तर पर विजिलेन्स कमेटियां कायम की गई हैं और वे कमेटियां मूल्यों को नियन्त्रित रखने का प्रयत्न कर रही हैं और मूल्यों की वृद्धि को काबू में कर लिया गया है।

इसके कान्ट्राडिक्शन के लिए माननीय सदस्यों ने मौजूदा भावों के इन्डेक्स की ओर ध्यान दिलाया तो माननीय योजना मंत्री ने इसका एक बड़ा लचर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वह तो एक इमरजेन्सी की बात थी। इमरजेन्सी समाप्त हो चुकी इसलिए विजिलेन्स कमेटियां समाप्त हो चुकीं।

अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि माननीय नन्दाजी और मा.लाल बहादुरजी इमरजेन्सी की आवश्यकता पर बल देते हैं, पर हमारे योजना मन्त्री की ओर से इमरजेन्सी की हालत में जो कमेटियां कायम की गई थीं, चूंकि वे अब इमरजेन्सी महसूस

Page No. 52

(श्री हरदत्तसिंह)

नहीं करते हैं, इसलिए वे बन्द कर दी गई, इस तरह की दलील देना सदन में यह शोभा की चीज़ नहीं है। सदन में उन्होंने कहा था कि कमेटियां भंग हो गई हैं। अगर चल रही हैं तो उनकी कोई रिपोर्ट नहीं। उन्होंने उसके सम्बन्ध में कोई चीज़ पेश नहीं की, अपने जवाब में।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय बजट पर बोलते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने यह फरमाया था कि बचत जो है वह विकासशील अर्थ व्यवस्था का एक जरूरी नियम है, एक सिद्धान्त है। मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि हमारे वित मंत्रीजी जब भी बजट बनाते हैं वे इस सिद्धान्त को भूल जाते है। उन्होंने जितनी बार भी बजट बनाया है इस बचत के सिद्धान्त को कभी अमली रूप नहीं दिया है। यह जरूरी बात है कि उन्होंने इस साल के बजट में पिछले बजटों से कुछ थोड़ा सा फर्क रखा है। पहले खाली समाजवाद की दुहाई देते थे। इस बार समाजवाद के स्पर्श का कुछ संकेत सा उन्होंने दिया है। लेकिन यह कितना मामूली कदम है कि इसकी उनको बधाई तो नहीं दी जा सकती लेकिन निन्दा भी नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, दो करोड़ के घाटे का बजट पेश हुआ है। इसकी पूर्ति के लिए एक आइटम उन्होंने दिया है और वह यह है कि सख्त कदम उठा कर चोरी छिपे होने वाली हरकत रोक कर आबकारी में आमद बढ़ायी जायगी और वह २० लाख की आमदनी होगी। २० लाख के घाटे की पूर्ति के लिए उन्होंने डिस्टिलेशन में होने वाली चोरी को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की ओर इशारा किया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय वित मंत्रीजी ने पहले पहल इस राज्य में गारन्टी सिस्टम लागू किया और इस बार गारन्टी सिस्टम के बजाय उन्होंने टेन्डर्स की व्यवस्था की है।

(१०.०० म. पू.)

और शर्त यह रखी है कि लोएस्ट टेन्डर जो होगा वह पिछली जो गारन्टी है उससे तीस प्रतिशत मिनीमम होगा। इस प्रकार की व्यवस्था किये जाने से कहीं-कहीं ठेकों में २०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कदम सराहनीय है लेकिन जयपुर में इस कदम से नुकसान हुआ है।

जयपुर शहर में १० ठेकों को एक साथ मिलाकर उनके टेन्डर मांगे गये। उसका नतीजा यह हुआ, जयपुर के एक शराब विक्रेता संघ नामक फर्म है जिसका ऑफिस धामाणी मार्केट में है उसी एक फर्म ने एक टेन्डर दिया और वह कबूल कर लिया गया। यह उसी फर्म का टेन्डर है जिसने पिछली साल गारन्टी का ३१ हजार दिया था इस बार इसका टेन्डर मन्जूर हुआ वह ४० लाख का मन्जूर हुआ, मिनीमम टेन्डर जो हो सकता है वह दिया गया। वह एक ही टेन्डर आया और उसे स्वीकार कर लिया गया। इसमें गलती यह रही कि १० ठेके अलग-अलग नीलाम किये जाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें चालीस लाख रुपये की और बढ़ोतरी हो सकती थी और इस तरह से हमारे वित मंत्रीजी को दर-दर भटकने की जरूरत नहीं रहती। नाजायज डिस्टिलेशन

Page No. 53

(श्री हरदत्तसिंह)

का बहाना करके इस तरह से इस कमी को पूरा करने की जरूरत नहीं रहती।

इस तरह से गंगानगर में दो ठेके एक साथ मिल कर टेन्डर दिये गये उसमें भी इसी तरह से करीब दस लाख रुपये का घाटा सरकार को भुगताना पड़ा है और वह इसलिए भुगतना पड़ा है कि इतनी बड़ी राशि एक मामूली ठेकेदार नहीं दे सकता इसलिए वहां भी एक ही टेन्डर आया है वह भी मिनीमम लेवल पर आया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह से हमारे खजाने में, राजस्थान के सरकारी कोष में कम से कम ४० लाख का घाटा पहुंचाया गया इसमें बदबू आती है। मैं नहीं कहता कि इसमें वित मंत्री महोदय का हाथ है। लेकिन यह अवश्य है कि विभागीय उच्चाधिकारी का इसमें जरूर हाथ है। इसमें गड़बड़ जरूर है जिसके कारण दस लाख का ठेका एक ही व्यक्ति को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार से मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सीज लाने का एक तरीका है जिससे गरीब और मामूली ठेकेदार इस प्रकार इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं दे सकता वहां वह ठेका लेने से वंचित रह जाता है और इस तरह से सरकारी खजाने में चालीस लाख का घाटा रहता है। जिस व्यापार संघ का हवाला दिया है वही व्यापार संघ पिछले समय भी वही ठेकेदार था जिनका नाम रहमत खां था। इस बार भी उन्होंने ही हिन्दू नाम रख लिये लालजी, जवानजी नाम रख लिया और उन्हीं को यह ठेका दिया गया। मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं इस कांड की जांच की जाय। मुख्य मंत्री महोदय मौजूद नहीं हैं वे जांच कमेटी बिठाने में बहुत मुस्तैदी बताते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप कितना ही कहते रहिये इसके बारे में नहीं बिठायेंगे।

श्री हरदत्तसिंह: मैं वित्त मंत्री महोदय से आश्वासन मांगता हूं, यह बहुत लम्बी चौड़ी रकम का मामला है और मैं इस बारे में आरोप लगाता हूं कि इसमें करप्शन हुआ है उसकी जांच की जावे।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में शराब के मामले में चोरियों का पता लगाने के लिए सख्त कदम उठाये जाने का इशारा किया है लेकिन उन ठेकों के दिये जाने में और इस तरह से दस-दस ठेकों को एक साथ मिलाकर टेन्डर दिये जाने के बारे में नरम कदम उठाया गया है उस नरमी के पीछे कोई न कोई गलत चीज है जिसकी जांच होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जो वित मंत्री महोदय ने बजट भाषण दिया उसमें पचास धारायें दर्ज हैं अंग्रेजी में और उसके हिन्दी अनुवाद में ५४ धारायें दर्ज हैं। इससे मालूम होता है वित्त मन्त्री महोदय हर बार हर बजट में नया तरीका अपनाते हैं। अब की बार वे धारायें गायब हैं। पिछली बार एक नई नीति प्रस्थापित करने की कोशिश की गई लेवलिंग अप पर जोर दिया गया था और इस बार वे लेवलिंग अप को भूल गये। लेवलिंग बहुत हो गया इसलिए उसको डाउन करने की जरूरत पड़ गई होगी इसलिए इस तथ्य की इस बार अवहेलना की गई है। इस

(श्री हरदत्तसिंह)

सिलसिले में मुझे एक बात याद आती है। उधर बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था कि राजाओं के समय में हरिजनों की हंडियां में दाना होता था या नहीं होता था इसमें मैं जाना नहीं चाहता लेकिन इस बार जो वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है उसके मुताबिक जहां पिछली बार खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने के लिए ठोस कदम उठाने का संकेत था वहां इस साल जो बजट पेश किया गया है उससे यह साफ जाहिर होता है मूल्यों को बढ़ने के बारे में कोई निगरानी नहीं रखी गई उसका नतीजा यह है कि हरिजनों की हांडी में दाना रहे या न रहे आज बाबू लोग थैलों में दाना भर कर ले जाते हैं। यह हमारी सरकार की खाद्यान्न नीति की असफलता का प्रमाण है मैं यह वित्तमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे बजट सम्बन्धी बहस का जब जवाब दें खाद्यान्न की नीति के बारे में जो भाव बढ़ गये हैं उनके निराकरण के बारे में ठोस सुझाव व कदम उठायेंगे।

घाटे की पूर्ति के लिए एक आइटम वित्त मंत्री महोदय ने और बताया है। पिछली बार अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार, ट्रेक्टर्स पर वित्त मंत्री ने टेक्स लगाया है। मैं समझता हूं वित्त मंत्रीजी जहां से आते हैं शायद उस क्षेत्र में टेक्टर्स से खेती न होती हो, उन्होंने ऊंटों पर भी टैक्स लगाने की योजना बनायी थी शायद उनके क्षेत्र में गधों से खेती होती होगी इसलिये उनको तसल्ली है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जहां ट्रेक्टर्स से खेती होती है वहां पर उनके लिए ट्रेक्टर्स के टायर व ट्यूब पर भी इस बजट में टैक्स प्रोपोज किया गया है। गंगानगर का इलाका जहां पर ट्रेक्टर्स के द्वारा ही खेती होती है वही राजस्थान का एक ही इलाका है जो कृषि में सर्वोपरि है जहां पर लोग ट्रेक्टर्स के द्वारा खेती करते हैं सरकार की यह नीति है कि खेती में मेकेनाइज्ड फार्मिग को प्रोत्साहन दिया जाय लेकिन हमारे वित्तमंत्रीजी पिछली बार ट्रेक्टर्स पर टैक्स बढ़ाते हैं तो इस बार उनके ट्यूब व टायर पर टैक्स बढ़ाते हैं, इसको भी टैक्स से नहीं बक्सा है। इस पर छः परसेन्ट टैक्स बढ़ा दिया गया है। आप मुझे माफ करेंगे, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है। हमारे राज्य सरकार की हमारे वित्तमंत्री महोदय की इस सम्बन्ध में जो आर्थिक नीति है वह एक प्रकार से बच्चों की तरह की नीति है। बच्चों में एक खेल खेला जाता है शायद वित्तमंत्रीजी भी खेले होगे। जिस बच्चे के पास डाई होती है उसको पकड़ने के लिए सब बच्चे इधर उधर भागते हैं और डाई वाला बच्चा बैठ जाता है उसे पकड़ने पर वह बैठ जाता है इसी तरह हमारी राज्य सरकार का अजब रवैया है जो आई० ए० एस० और आर० ए० एस० अधिकारी जिनको आप स्पेशल पे के २५०) रुपये देते हैं वहां मामूली कर्मचारियों को पांच रुपया महीना महंगाई करके उनको राजी करने की कोशिश की जाती है। इस राजस्थान में ६० करोड़ की पूंजीवाले बिड़लाजी ३ अरब की पूंजी तक पहुँच गये। उन पर कोई टेक्सेशन का प्रपोज़ल नहीं किया जाता हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ होता है तो वित्तमंत्री महोदय...........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उनको तो दस लाख की जमीन १) रु० में दे दी जाती है।

Page No. 55

श्री हरदत्तसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वित्तमंत्री महोदय ने एक नया टैक्स इसमें प्रोपोज़ किया है दस हजार की आबादी से अधिक के जो कस्बे हैं उनमें जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं उस पर वित्त मंत्री सोचते हैं कि टैक्स लगाया जाय। मैं नहीं समझता यह कैसे विचार उन्होंने किया, कोई मामूली आदमी तो प्लॉट लेकर रख नहीं सकता; यह तो प्लाट जो मिलेंगे बड़े बड़े लोगों को मिलेंगे। इस प्रकार उन पर टैक्स लगाकर उनको फूल की छड़ी से हांकने की कोशिश करते हैं। वह टैक्स होगा भी तो नाम मात्र का होगा। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करते। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे राजस्थान की सरकार अर्थ नीति के मामलों में डाई का खेल करती है। एक तरफ उद्योगपति को भी खुश करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ मजदूर को भी खुश करने का जरा सा प्रयत्न करती है।

इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, उनको भी सीलिंग से बचाने का प्रयत्न करती है। इसको मिसाल मुझे याद आ गई। हमारे गंगानगर इलाके में सबसे बड़ी जमीन्दारी तहसील हनुमानगढ़ के इलाके में है। वहां सीलिंग लगाया है ४३ एकड़ पर जो कि राजस्थान भर की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। इसके मुकाबले में नौहर भादरा का इलाका है, शायद वित्त मन्त्रीजी बाढ़ के मौके पर दौरा करने गये होंगे उधर, तो देखा होगा, टीबे ही टीबे वहां दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पानी जाता है। ऐसे इलाके में सीलिंग रखा है ३६ एकड़ पर। हनुमानगढ़ में अपने एक आदमी को सरकार को चुनाव लड़ाना है। उसे मिनिस्टर बनाना है इसलिये वहां के बड़े जमीदार वोटरों पर प्रभाव डालने के लिये पांच एकड़ की उनको रियायत दी है। जहां तक इन इलाकों की जमीनों की कीमतों का सम्बन्ध है, मैं बता दूं कि नारी के इलाके की कीमत जहां ४००) रु० एकड़ है वहां नोहर भादरा की २००) रु० की कीमत है। तो जहां ४००) रु० की कीमत है वहां सीलिंग रखा है ४३ एकड़ का, और जहां २००) की कीमत है वहां आप रखते हैं ३६ एकड़। तो यह किस लिये है? वहां के जमीदारों के वोट इस सरकार के आदमी को मिल सकें, इसलिये यह है। इसके बाद तो वहां भी ३६ एकड़ कर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वहां से वोट कैसे मिलेंगे?

श्री हरदतसिंह : सीलिंग में रियायत करने से मिलने की आप उम्मीद करते हैं। पर वास्तव में फिर भी मिलेंगे नहीं। मैं स्पष्ट कहता हूं। यह तो आपका प्रयास मात्र है। आप महुवा की पुनरावृत्ति वहां भी कराकर रहेंगे।

अर्थ नीति में आप दोहरी चाल चल रहे हैं। उद्योगपति को भी राजी रक्खो और मजदूर के भी आंसू पोंछो। आई ए.एस. अफसरों को भी खूब माल मलीदा खिलाओ और छोटे कर्मचारियों को भी पांच रुपया महीना देकर किसी तरह सन्तुष्ट करो। यह हर वर्ग को थोड़ा थोड़ा छूने का प्रयत्न हो रहा है और इसके लिये वित्तमन्त्रीजी मैं आपको बतला दूं। आपकी भी वही हालत होगी जो कि गंगाजी में नहाने पंडितजी गये थे उनकी हुई। पंडितजी जब धारा में डूबने लगे तो काली माई को याद किया। कालीजी तैयार

(श्री हरदत्तसिंह)

हुई, इतने में पंडितजी ने गंगाजी को याद कर लिया। काली माई रह गई। गंगाजी घोड़े पर सवार होने लगीं कि पंडितजी हनुमानजी को याद करने लगे। हनुमानजी लंगोटा कस कर तैयार हुए आने के लिये कि इतने में महादेवजी को याद कर लिया और महादेवजी जब तक आने की तैयारी करें कि तब तक तो पंडितजी गंगाजी की तेज धारा में डूब गये। तो आज आपके भी चारो तरफ यही हाल चल रहे हैं, डूबने के लक्षण साफ दिख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि समाजवाद का स्पर्श मात्र करने का संकेत वित्तमन्त्रीजी ने दिया है। समाजवाद के इस मंदिर में ये पुजारी भी खूब मिले हैं। समाजवाद की पूजा करने वाले पुजारी रावलपिंडी की खान की भाषा में समाजवाद का स्पर्श भर बजट में करते हैं तो कम से कम मुख्यमन्त्रीजी को पूजा के तरीकों में तो परिवर्तन कर देना चाहिये।

इस पर मुझे एक ऐतराज भी है। हमारे पुराने रीति रिवाजों और विश्वास के अनुसार शकुनों पर हम बड़ा विश्वास करते हैं। पिछली बार बजट तैयार करते समय हमारे वित्तमन्त्रीजी को चीन की काली छाया नजर आई और इस बार उनको कहत की काली छाया और कैनेडी की हत्या का अपशकुन नजर आया और मुझे डर है कि अगर अगले साल बजट बनावेंगे तो जापान में भूचाल का अपशकुन नजर आवेगा और यहां पर शक पैदा हो जावेगा। तो उन पर तो फिर काली छाया रहेगी और यह काली छाया इस तरह रहेगी तो ये कुर्सियां अगले वक्त नहीं मिलने वाली हैं। तो शकुन के नाम पर ही सही, यह धन्धा किसी और को ये दे दें तो अच्छा हो।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी की उसको अच्छा मानते हुए उनकी दरियादिली की तारीफ करते हुए भी हमारे वित्तमन्त्रीजी ने कुछ थोड़ा सा उसमें एक तरह का ऐतराज किया। उनके कदम को इकतरफा बतलाया और साथ ही सरकारी एन्टरप्राइज़ के कर्मचारियों को पांच रुपया महंगाई भत्ता फरवरी, ६४ से दिये जाने की घोषणा हो चुकी है लेकिन अध्यक्ष महोदय, ३०० या इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये पांच रुपया बढ़ाने के लिये जो तारीख रखी है बजट में वह १ मार्च रखी है। सरकारी एन्टर प्राइज में काम करने वालों के लिये एक फरवरी और दूसरों को एक मार्च फिर यह इकतरफा नहीं तो दुतरफा कैसे हुआ। यह कहां का समाजवाद और न्याय है? दोनों के महंगाई भत्ते के मिलने में एक महीने का अन्तर क्यों? मेरे ख्याल से वित्तमन्त्रीजी तारीख की बात भूल गये होंगे इसलिये यह गड़बड़ी हो गई होगी। इसलिये निवेदन करता हूँ कि वे इसको सुधार लें।

दूसरी बात ३२०) रुपये तक वेतन पाने वालों को पांच से १०) रुपये तक महंगाई भत्ते देने की बात आपने कही, जब कि केन्द्रीय सरकार ने ४९९) रु० तक पाने वालों को महंगाई भत्ता दिया है। अब ये दोनों समाजवादी सरकारें हैं। दोनों के वित्तमन्त्री समाजवाद के हामी हैं। तो वहां का समाजवाद तो ४९९) तक वेतन पाने वाले को साधारण श्रेणी का कर्मचारी मानता है इसलिये देता है और यहां का समाजवाद ३२०) तक वेतन

(श्री हरदत्तसिंह)

पाने वाले को ही साधारण श्रेणी का कर्मचारी मानता है। समाजवाद में यह भेदभाव क्यों। इससे कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ेगा। इसलिये अधिक न सही तो केन्द्रीय सरकार के लेवल तक तो कम से कम हमें पहुंचना चाहिये।

कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स सरकारी आंकड़ों के मुताबिक १४५ परसेन्ट पर जा चुका है। पर हमारे वित्तमन्त्रीजी इसको केवल बजट भाषण देने के लिये ही मानते हैं। अमली जामा पहिनाने का जहां सवाल आता है वहां किनारा काटते हैं। वहां वे केवल पांच रुपया या अधिक से अधिक १०) तक मानते हैं। तो इन्डेक्स के आंकड़े बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं, अगर उस पर सरकार अमल नहीं करना चाहती है तो।

फिर यह पांच रुपया और दस रुपये का भत्ता राजस्थान के बहुत कम कर्मचारियों को दिया गया है। थोड़ी आमदनी वालों की संख्या ७६ प्रतिशत है। उनकी महंगाई के कष्टों को दूर करने के लिये वित्तमन्त्रीजी ने कोई इशारा भी नहीं किया।

एक बात जरूर की है। बड़े गौरव के साथ कहा है उन्होंने कि अकाल पीड़ित लोगों को १८६ लाख रुपये की अकाल सहायता देने के लिये प्रावधान किया गया है। आपकी भी दरियादिली की हद है। जहां उनके खुद के आंकड़ों के मुताबिक २६ लाख आदमी और ४० लाख मवेशी अकाल से प्रभावित हैं वहां उन्होंने उनके लिये १८६ लाख रुपये खर्च करने के लिये दिया है।

अध्यक्ष महोदय, अगर आइन्दा समय में बरसात हो जाती है तो कम से कम ६ माह तक अकाल रहता है और इसका नतीजा यह होता है कि ७ रुपये प्रति व्यक्ति ६ महीने में उनको अकाल सहायता के लिए मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि २।। नये पैसे रोज़ प्रति व्यक्ति अकाल सहायता के लिए हमारी यह दयालु सरकार और यह दरियादिल वित्त मंत्री महोदय प्रावधान कर रहे हैं। २।। नये पैसे प्रति रोज़ प्रति व्यक्ति अकाल पीड़ितों को दिया जायेगा और मवेशियों का तो कोई ज़िक्र ही नहीं। वह आधा आधा बांट लें। खूब है-अकाल का प्रबंध तो बहुत अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने परसों सदन में बताया था कि बीकानेर के केन्द्र से १५०० आदमी अकाल पीड़ित लोग जिनमें ५०० आदमी जोधपुर के शामिल थे वह लोग सरकारी सहायता से ट्रकों में पैक होकर सूरतगढ़, राजस्थान नहर पर काम करने के लिए भेजे गये। वहां उनके लिए सस्ते अनाज की दुकानें नहीं, उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं, वहां आदमियों को ज़िन्दा रहने के लिए जिस चीज़ की जरूरत होती है कुछ भी नहीं इस लिए वह परेशान होकर वापिस आ गये और वापिस आने पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। वह मरते पड़ते कई दिनों में अपने घर पहुँचे और जोधपुर कलेक्टर ने उनसे ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ जो गुड्स की तरह से भेजे गये थे उसके ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ उनके क्लोदिंग, बैडिंग या जो कुछ भी उनके पास था उसको नीलाम करके वसूल किये और आज तक उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह उस हलके के लोगों से किया जहां से हमारे उप-मंत्री महोदय श्री मदेरणा जी आये

(श्री हरदत्तसिंह)

हैं। अकाल सहायता का नाटक तो अध्यक्ष महोदय यह है।

दूसरी एक मिसाल और पेश करता हूँ। हमारे गंगानगर जिले की नौहर, भादरा तहसील में भयंकर अकाल है। वहां पर थोड़ी सी जगह के लिए भादरा में सिर्फ ४७ गांवों के लिए अकाल की घोषणा की गयी। उस अकाल पीड़ित इलाके के ११० आदमी अपने घरों से चून, बिस्तर बांधकर यहां आये। २३ फरवरी को मुख्य मंत्री जी से उन अकाल पीड़ितों का एक डेपुटेशन मिला। मुख्य मंत्री जी ने उनकी बातें सुनकर कुछ करने का आश्वासन दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार का 'कुछ' जो है व कुछ 'नहीं' से होता है, 'कुछ' का मतलब 'सिफर' होता है। मुझे अफसोस होता है, इतने आदमी ने इतना कष्ट उठाकर मुख्य मंत्रीजी को भगवान मानकर कुछ कहने आये थे कि हम भूखों मर रहे हैं और हमसे लगान की वसूली हो रही है। आप कुछ दो मत, लेकिन लगान की वसूली का जो डंडा चलता है उसको रोक लीजिए, हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक कुछ नहीं हुआ। भादरा तहसील के जिन ४७ गांवों को अकाल पीड़ित घोषित किया है उनमें भी एक एक पैसा लगान का और तावान का वसूल करते हैं। वह अकाल एरिया घोषित होने के बाद भी तहसीलदार को कहा गया कि यह तुम गलत वसूल कर रहे हो। तहसीलदार कहता है कि अकाल की घोषणा हुई है, लेकिन लगान वसूली बन्द करने का हुक्म नहीं हुआ इसलिए वसूली बन्द नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ ४ गांव बाकी रहे हैं बाकी सब गांवों के अन्दर चूकती वसूली हो चुकी और किसानों का वसूली देने के लिए ऊंट, जेवर, जांठा सब कुछ देने के बाद पीछा छूटा है। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। भूखों मरते आदमी के मुंह का कौर लेकर राजस्थान सरकार अपना खज़ाना पूरा करना चाहती है और उस पर समाजवाद का ढोंग करती है। समाजवाद को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने और हमारी राजस्थान की सरकार ने एक वशीकरण मंत्र समझ लिया है—समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद ला रहे हैं। अगर इसी तरह का समाजवाद है तो अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूँ मुझे कहते अफसोस नहीं होता कि इस समाजवाद से तो हर तरह का राज्य अच्छा।

आज राजस्थान की जनता इन्तज़ार में है कि इस झूठे समाजवाद से पिंड छूटे और इसका प्रमाण महुवा का चुनाव है। महुवा के चुनाव में पहली बार जब एक उम्मीदवार लड़ रहे थे सिर्फ एक उम्मीदवार ४०० वोटों से हारे लेकिन जब सरकार का नुमाइन्दा, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ने गया वही उम्मीदवार जीता। हमारी सरकार की शासक पार्टी ने—उसका रवैया रहा है कि जहां भी यू० पी० में आंध्र में हार होती है तो कारणों के खोज के लिए कमेटी बैठाई जाती है। वह कमेटी हर जगह कारण एक ही तलाश करती है। जिस तरह हमारे वित्त मंत्रीजी और सरकार के पास एक ही फार्मूला समाजवाद का वशीकरण मंत्र है उसी तरह कांग्रेस की हार का कारण यह बताते हैं कि कार्यकर्त्ताओं की सेबोटेज़ से उनकी हार हुई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, महुवा में यह नहीं हुआ। राजस्थान सरकार के चाचा भतीजे महुवा में एक हो गये—वह जयमल और फत्ता एक हो

Page No. 59

(श्री हरदत्तसिंह)

गये और फिर भी हार गये। तो वहां के लिये यह कहने का अधिकार नहीं रहा कि कार्यकर्ताओं के सेबोटेज से हार हुई....

श्री रामकिशन (वैर) : ये तो एतिहासिक व्यक्ति हैं, इनका नाम इनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं ये तो कलियुगी पुरुष हैं।

श्री हरदत्तसिंह : आप और नाम सुझा दीजिए वह कह दूंगा।

तो, अध्यक्ष महोदय, वहां पर कांग्रेस की संगठित शक्ति आई और एक महिला से यह कांग्रेसी कार्यकत्ता हारे, रईस और अमीर महिला के मुकाबिले में कांग्रेस हारी और अपने भूतपूर्व सेवक से हारी और वह उम्मीदवार जो पिछली बार ४०० वोटों से हारा था वही उम्मीदवार इस बार २५०० वोटों से हारा। कहा यह जाता है कि यह तो जनसंघ से हुआ। जनसंघ की तो पिछली बार जमानत जब्त हुई थी....

कुछ माननीय सदस्य : जनसंघ तो पिछली बार जीती थी।

श्री हरदत्तसिंह : स्वतंत्र पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। लेकिन जनसंघ भी तो हारा था....

कुछ माननीय सदस्य : कांग्रेस हारी थी, जनसंघ जीता था।

श्री हरदत्तसिंह : यह मैं गलत कह गया। अध्यक्ष महोदय, बहुत पुराना मामला है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : सभी बातें गलत हैं जो कहीं हैं।

श्री हरदत्तसिंह : मुझे मालूम नहीं, महुवा में स्वतन्त्र पार्टी जीती, जनसंघ जीती। अपने को तो कुछ लेना नहीं। कोऊ राजा हो हमें का हानी। यह मिसाल भी इसलिए देता हूं कि या तो सरकार समाजवाद के कार्यक्रम को सही तौर पर अमली जामा पहनाये वर्ना जो कुछ महुवा में हुआ वह हो सकता है हनुमानगढ़ में और बानसूर में उससे भी ज्यादा। मैं तो सिर्फ सावधान करता हूं और हमदर्दी के नाते कहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बड़ी जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारे गंगानगर जिले में राजस्थान के बाकी हिस्सों की तरह से अकाल नहीं है। राजस्थान के बाकी हिस्सों में जहां क़हत पड़ा है, वह जैसा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा है भगवान की दयालुता नहीं रहने से या इन्द्र भगवान के सो जाने से पड़ा है; लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिला गंगानगर में डबल अकाल है एक तो वित्त मंत्रीजी के इन्द्र महाराज की कृपा से है और दूसरा अकाल जो है वह हमारी राजस्थान सरकार के इन्द्र महाराज—नहरी विभाग की वजह से है, उसकी लापरवाही से है, उसकी सुस्ती की वजह से है, नहरी महकमे की अकर्मण्यता से है और तीसरी कोलोनाइज़ेशन के कर्मचारियों की वजह से हैं। गंगानगर जिले में जहां अनावृष्टि और अतिशीत का प्रकोप हुआ वहां, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे

(श्री हरदत्तसिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि १५ नवम्बर, १९६२ से लेकर २५ जनवरी १९६३ तक भाखरा की नहरें बिल्कुल बन्द रहीं। और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ९ नवम्बर को नोहर में दौरा किया उस वक्त उनके ध्यान में यह बात लाई गई, मैंने कहा कि बाकी के इलाके में तो क़हत है लेकिन नहरी फसलें तो अभी तक खड़ी हुई हैं। अगर आप पानी की व्यवस्था कर सकें तो इतना हो जायगा कि जिला गंगानगर अपने आपको फीड कर सकेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यही कहा कि कुछ करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता कि जहां हमारी इस प्रकार की नहरें ढाई महीने तक बन्द रहें और पंजाब की नहरें पूरे वेग से चालू थीं जब हमारी नहर खोलने की बारी आई २५ जनवरी को तो पंजाब सरकार ने अपनी मैन लाइन का सिल्ट निकालने के लिए १५ दिन के लिए उसको बन्द रखा। इस पर हमारी राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और न पंजाब सरकार से जाकर यह कहा गया कि अगर सिल्ट निकालना है तो दोनों की नहरें बन्द करनी चाहिए थीं। लेकिन कहे कौन? हमारे जो माननीय सिंचाई मंत्री है उनको तो कभी नहर के सहारे जाते नहीं देखा है। उनको शायद मालूम नहीं होगा कि नहर के क्या प्रोवीजन हैं, यह दूसरी बात है कि भाखरा बान्ध पर आप सैर करने के लिए चले जायं। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि हमारे जो गांव बिल्कुल सीमा से लगते हैं वहां हमारी फसल, हमारे गेहूं, हमारा चना और हमारी सरसों बरबाद हो गई नहर नहीं खुलने की वजह से, वहां १०० कदम के फासले पर पंजाब में १५ मन की बीघा सरसों, २० मन बीघा की कणक, १५ मण बीघा का चना होने की गुन्जायश है। वह इसलिए है कि पंजाब का जो अमला है वह नहरी पानी के लिए सतर्क हैं।

सबसे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात तो यह होगी कि पंजाब में लिसाड़ा बान्ध बनाया जा रहा है। उसके बनने से घग्घर का जो पानी है वह सारे का सारा राजस्थान में आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार हम अनावृष्टि के शिकार हुए, नहरी पानी की कमी के शिकार हुए। आज गंगानगर का इलाका जो कि हिन्दुस्तान में सबसे सरसब्ज़ इलाका है वह ऐसा पड़ा हुआ है जैसा कि शेखावाटी का इलाका पड़ा हुआ है। यह अनावृष्टि के कारण हुआ है। आयन्दा साल के लिए मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, वित्तमंत्री की भविष्यवाणी गलत हो जाती है, आपके घाटे का बजट बाद में जाकर मुनाफे का हो जाता है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगले साल गंगानगर आपका लिसाड़ा बान्ध बन जाने पर लाज़िमी तौर पर बाढ़ से पीड़ित होगा और वहां की फसलें, वहां के कस्बे बरबाद होंगे, ऐसी बात होगी जो कि पिछले ५० वर्षों में कतई नहीं हुई थी। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि राज्य-स्तर पर पंजाब सरकार पर इस बात का दबाव डाले कि वह लिसाड़ा बान्ध न बनाये और अगर बनादे तो पानी को इस ओर नहीं आने दे। अगर यह नहीं होता है

(श्री हरदत्तसिंह)

तो घग्घर पर बान्ध बनाया जाय और घग्घर की नहरें खोदना शुरू की जाय। उसका पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़ और चूरू तक जा सकता है। उसकी व्यवस्था, अगर, अध्यक्ष महोदय, की जाय, तो मैंने रेवेन्यू के आंकड़े देखे हैं चूरू और शेखावाटी का लेवल वहां से नीचा है और वह पानी वहां आ सकता है, लेकिन सरकार को आराम है, उसको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बाढ़ आयेगी तो मिनिस्टरों का काफिला नजारा देखने के लिए पहुंच जायगा। कुछ रुपये और खर्च होंगे, और अफसोस के भाषण होंगे, इसके अलावा और नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं तावान के लिए और अर्ज करूं। उसके बिना मेरी बात अधूरी रहेगी।

मैंने आपसे यह निवेदन किया कि गंगानगर जिले में जहां एक अकाल प्रकृति का है वहां दूसरा अकाल तावान का है। अध्यक्ष महोदय, हर आदमी जो बराबर एक काम करता है उसमें वह स्पेशियलिस्ट हो जाता है। हमारी राजस्थान सरकार भी पैसा वसूल करने में और खास तौर से किसानों से तावान वसूल करने में स्पेशियेलिस्ट है। इन्होंने तावान की किस्में बढ़ाई हैं! चार किस्मों से तावान वसूल करती है। अगर माननीय राजस्व मंत्रीजी होते तो बड़ी अकड़ के साथ कहते कि तावान जरूर वसूल करेंगे, नाजायज तौर पर जमीन पर काश्त करने से वालों तावान जरूर वसूल करेंगे। मैं भी कहता हूं कि तावान लीजिये लेकिन उनसे जो कि नाजायज काश्त करते हैं। लेकिन आप तो गंगानगर में उनसे लेते हैं जो कि जायज काश्त करते हैं। मिसाल के लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे भाखरा क्षेत्र में जिन लोगों के पास पुश्तैनी चार-साला जमीनें थीं वे सारी की सारी कोलोनाइज़ेशन विभाग के द्वारा एलॉट की गई हैं काश्तकारों को। उनको कीमतन एलॉट की गई हैं २८०) रु० बीघा और ४००) रु० बीघा। उस एलॉटमेंट के कागज सारे महकमा कोलोनाइजेशन में पड़े रह गये। उनका अमल-दरामद रेवेन्यू विभाग में नहीं हुआ। इसलिए रेवेन्यू विभाग का पटवारी उस एलॉटमेंट पर तावान रगड़ता है और हमारी सरकार उसको वसूल करती है। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, बहुत से हजारों काश्तकारों की हजारों मिसलें एलॉटमेंट की, अपने पूर्वजों की जो जमीन थी ५६ से लेकर अब तक पेंडिंग पड़ी हुई है और उनसे राजस्व महकमा तावान वसूल करता है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया : के कुछ कहने पर) मैं आपसे अच्छी तरह से कह सकता हूं।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : ये (श्री हरदत्तसिंह) आपसे (श्री उमरावसिंह से) पहले निकाले गये थे कांग्रेस से।

श्री हरदत्तसिंह : मुझको निकालने वाले आप ही थे। मैंने आपको कामयाब कराया तो दूसरे भाइयों ने मुझे निकाल दिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : फिर भी इनका अहसान नहीं मानता है।

श्री हरदत्तसिंह : भाखरा क्षेत्र में एक

(श्री हरदत्तसिंह)

नई चीज है। वहां पर ५४ में कोलोनाइजेशन लागू हुआ तो भाखरा जोन के नाम से वहां करीब २५० गांवों को उसमें सम्मिलित किया गया। उसमें दुर्भाग्य से नौहर भाखरा तहसील के भाखरा एरिया की बोर्डर पर २७ गांव इस जोन में आये। यह ऐसे गांव हैं जिनमें पानी लगाना तो बड़ी बात है पीने के लिए पानी भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनके साथ वही सलूक होता है जो पानी लगने वालों के साथ होता है। इन २७ गांवों में एलॉटमेंट तो इसलिए नहीं किया कि कोलोनाइजेशन विभाग ने यह कहा कि पानी नहीं लगता है इसलिए जमीन एलॉट नहीं करेंगे। पुश्तैनी जमीनें चारसाला वहां पर थीं। उनको खातेदारी राइट इसलिए नहीं मिले कि उनका नाम भाखरा जोन में आगया था, इसलिए जो खातेदारी राइट्स थे जो कि टेनेन्सी एक्ट के तहत उनको मिलने चाहिए थे वे उनसे महरूम रह गये और उन गरीबों पर तावान लगता है। अध्यक्ष महोदय, यह उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं। यदि वे जमीनें भाखरा जोन के नाम पर नहीं आतीं तो कभी के खातेदार बन गये होते। बराबर मुख्य मंत्री और डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर को यह सारी बातें बताई हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में कुछ नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, अब यह सुनते है कि उनको ५० रुपये बीघा से एलॉट करने की स्कीम है। वह बिल्कुल बारानी इलाका है। वहां पर नहरें, खाली, नाली कुछ भी नहीं हैं। वह चकबन्दी के बाहर हैं। वहां पर मुरब्बा बन्दी नहीं है, किला वगैरह नहीं है, फिर भी ५० रुपये बीघा इसलिए वसूल किया जाता है कि शुरू में जब भाखरा का एस्टीमेट बना था तो किसी की भूल के कारण इन २७ गांवों का रकबा भी उसमें शामिल कर लिया गया। इसका सही इलाज तो यही होता कि राजपत्र में एक विज्ञप्ति निकाली जाती और इन २७ गांवों को भाखरा जोन से बाहर डिक्लेयर कर देते तो उनको अपने आप में कुदरतन खातेदारी राइट्स मिल जाते, लेकिन यह सरकार तो पैसा चाहती है चाहे लोग मरें। इन कफनखोरों को हर जगह पैसे की जरूरत होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय सिर्फ २ मिनिट, सिर्फ दो मिनिट।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अब तक समय नहीं मिला।

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनिट में समाप्त कर देता हूं।

ऑक्शन करते हैं कोलोनाइजेशन विभाग वाले। ऑक्शन क्या करते हैं नीलाम बुलाया जाता है सरकारी जमीन का। आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि हमारे भादरा की एक अमरसिंह ब्रांच नहर है उसकी जमीन को ऑक्शन कर दिया। मेरे पास काश्तकार आये और कहने लगे कि पक्की नहर में हल कहां चलावें। मैंने कहा कि राजस्व मंत्रीजी के बंगले में जाकर चलाओ। जो ऑक्शन्स हुए हैं पक्की नहर की जमीन के उनके पैसे वापिस नहीं मिलते हैं।

(श्री हरदत्तसिंह)

इसी तरह से एलॉटमेन्ट में भी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। भाखरा नहर की कुछ जमीन एक काश्तकार के नाम एलॉटेड है। उसने मेरे से आकर कहा कि क्या करें, मैंने कहा कि केनाल के बीच में बच्चों को बैटा दो और उसके आस पास की जमीन पर काश्त कर दो। मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि उस आदमी ने सरकारी अधिकारियों को कुछ दिया लिया तब जाकर उसका पीछा छूटा। उसी तरह से कर्णपुर के पास से एक छोटी नहर निकलती है भाखरा की उसका हैड कर्णपुर के नाम से है वहां भी एक मुसलमान काश्तकार की हैड की जमीन थी। उसने मेरे से कहा कि क्या करें। मैंने उससे कहा कि तुम उसके नीचे सो जाओ। इस प्रकार को कार्यवाही वहां पर होती है। परन्तु हमारा राजस्व विभाग बिल्कुल सोता रहता है......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक बात और कह कर समाप्त करता हूं। वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा लगाये गये सर चार्ज की किसी ने भी ताईद नहीं की। मैं एक अर्ज कर देता हूं कि आपके कांग्रेसी विधान सभाई में से एक भी अगर इस सरचार्ज की ताईद कर दें तो आप इसको कायम रखिये नहीं तो हटा दीजिये। यदि यह नहीं हटेगा तो अगली बार आप सभी हट जाओगे।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कोई हर्ज नहीं है।

श्री फतहसिंह (चौहान) : अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्रीजी ने बजट भाषण दिया है उसमें काफी बढ़ा चढ़ा कर कहा है ऊंचे से ऊंचा आसमान तक उसको पहुंचाया है लेकिन उसमें तथ्य कुछ नहीं है। गरीबों के लिये कुछ नहीं किया है, अमीरों के लिये सब कुछ किया है। क्योंकि आप भी हजार या ऊपर वाले अमीरों की केटेगरी में आ जाते हो। इसमें गरीबों के लिये कुछ नहीं है। १००) या उससे नीचे की तनख्वाह पाने वालों को ज्यादा फायदा देना था और बड़े बड़े लोगों के भत्तों में कटौती करनी थी। मुझ को यह पता नहीं चला कि सरकार दिन दिन घाटे में क्यों जा रही है। घाटे में जाने का कारण यही हो सकता है कि या तो आपका खर्चा ज्यादा है या इन्तजाम ठीक नहीं है या खुद खाते हो। इन तीनों में से कुछ न कुछ कारण जरूर है कभी अकाल पड़ गया, कभी अमेरिका ने धक्का दे दिया, कभी चीन का धक्का लग गया। धक्के तो लगेंगे। हटना भी पड़ेगा यदि पब्लिक का ध्यान नहीं रखोगे तो। इसलिए आपको पब्लिक का भला करना चाहिये।

अब मैं आपको बोर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे बोर्डर की हालत बड़ी खराब है। पाकिस्तान ने अपने बोर्डर के गांवों के लोगों को १० हजार बन्दूकें बांटी हैं हमारे यहां बाखासर में मुश्किल से ५०, ६० बन्दूकें होंगी। यदि हमला भी हुआ तो कहां ५० बन्दूकें और कहां १० हजार बन्दूकें। सरकार बिल्कुल बेखबर है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार पब्लिक को बन्दूकें दे क्योंकि हमको यह उम्मीद नहीं है कि आप हमारी रक्षा कर सकोगे। हम ही हमारी रक्षा करेंगे और हम ही लड़ेंगे जिन्दगी और मौत से। हम नहीं समझते कि आप हमारी रक्षा कर सकोगे। लेकिन हमारा बोर्डर मजबूत होना चाहिये....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह बड़ा कान्क्रीट सजेशन है बोर्डर पर वितरण किया जाय शस्त्रों का ।........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसीलिए तो उन्होंने इशारा किया है कि बोर्डर पर गम्भीर समस्या है ।

श्री फतहसिंह : हमारे बोर्डर पर इतनी गंभीर समस्या है और हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है । आप कोई विलायत में पैदा नहीं हुए हो । आपको भी मारवाड़ में रहते तीन चार साल हो ही गये हैं फिर कैसे नहीं समझते । बोर्डर के ऊपर क्या गवर्नमेन्ट ने स्कीम बना रखी है । उधर की तरफ पूरी मोर्चे बन्दी कर रखी है । वे लोग सीमेन्ट की स्लोप नुमा चीज रात को बनाते हैं और ऊपर से उसको पाट देते हैं ताकि पता नहीं चले । पता नहीं उन्होंने क्या स्कीम बनाई । उन्होंने पूरी मोर्चाबन्दी कर रखी है । उन्होंने बाखासर के पास भी मोर्चा बना रखा है । मैंने मालूम करने की कोशिश की कि किस तरह का मोर्चा वे बना रहे हैं ! उनकी क्या स्कीम है मैं यह नहीं कह सकता । इस तरह की पाकिस्तान की हरकत है । लेकिन हमारी सरकार क्या करती है ? मैं एक पाकिस्तान और हमारे अधिकारियों की मीटिंग में गया था । पाकिस्तान और हमारे बोर्डर के बीच में वह मीटिंग हुई थी । कुछ लेने देने का सवाल था । हमारे अफसर जो वहां पर मीटिंग में जाते हैं वे पाकिस्तान के अफसरों की खुशामद करते हैं । मैंने वहां पर जब उनको खुशामद करते देखा तो मुझे इतनी शर्म आई यह देख कर कि हमारे अधिकारी इस तरह से उनकी खुशामद करते हैं । किसी ने मेरे गांव का नाम लिया । मेरे अंडर में यह इन्तजाम आवे तो एक दिन में मीयों को सीधा कर दें । पर क्या करें हमारे पास हुकूमत नहीं है । सिफारिश अफसरों को करते हैं वे हमें क्या निहाल करेंगे । हमारे बोर्डर पर तो बहुत ही दबंग आदमी रहने चाहिये । यह सरकार तो इस तरह से कार्य करती है जिससे हाथ से लड्डू भी जाय और बाजरा भी जाय । बोर्डर पर जो कुछ हो रहा है उसमें सेन्ट पर्सेन्ट गवर्नमेन्ट का ही हाथ है । वे ही तस्करी कराते हैं, वे ही चोरी और डकैती कराते हैं । पानों का जब धंधा चला तो रोज ५०,६० मोटरें वहां के एस० पी० भटनागर साहब के बंगले के सामने होकर निकलती थीं । और एक एक पर इनको १०),१०) रुपये मिलते थे ५०,६० के कितने हो जाते हैं । इन लोगों को खाने को मिल जाता था इसलिये वे क्यों इन मोटरों का ध्यान रखें (शेम शेम) पब्लिक के आदमी मारे जाते हैं तो भी डी० आई० जी० को और इनको कोई ख्याल नहीं कि हमारे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है । यह कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेन्ट थोड़े ही है । यह कोई हुकूमत थोड़े ही है । मैंने जो बातें कही हैं उनकी सरकार जांच करावे । हम झूठे हैं तो हमको जेल में धर दे या मैं इनको जेल में धर दूं । यह कोई बात हुई ?........

एक माननीय सदस्य : आपको धर देंगे ।

श्री फतहसिंह : मेरे को धरने में जोर पड़ेगा।

दूसरा अफीम का तस्करी धंधा होता है। कोटा से अफीम आती है और पाकिस्तान जाती है। ऐसे तस्कर करने वालों को पकड़ने का प्रावधान गवर्नमेन्ट ने कर रखा है। उन लोगों को जब पकड़ते हैं तो वे कहते हैं कि हमको पकड़ कर तुमको नौकरी में नहीं रहना है क्या? किस को पकड़ रहे हो? नौकरी में रहना है या घर जाना है? + + + + इसमें झूठ नहीं है सच्ची बात है, मैंने कान से सुनी है। जो जीप पकड़ रखी थी उसको छोड़ दिया। इस तरह की हरकतें चलती हैं। ये धंधे किया करते हैं मौज करने के लिये। लेकिन कुछ पब्लिक का भला करके मौज करो जहां तक तो ठीक है। लेकिन हमारा सिर कटा कर मौज करो यह कहां तक ठीक है....?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : + + +

श्री फतहसिंह : + + +

श्री बालकृष्ण काल मैं (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे गोल बात नकरें स्पष्ट कहें।

श्री फतहसिंह : जिस के अंडर में प्रिवेन्टिव फोर्स होगी उसी का होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : "होगा" नहीं कहिये "है"।

श्री फतहसिंह : है। है। है। मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह जो माननीय सदस्य ने एक आरोप लगाया है उसकी बाकायदा तफ्तीश की जाय और इन्क्वायरी से सिद्ध हो जाय कि जो उन्होंने आरोप लगाया है वह ठीक है या गलत है।

श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप फर्माते हैं—डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली ! मेरे पास पावर्स नहीं हैं जिससे मैं सबूत दूं। मेरे को पावर्स दे सरकार तो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो चीज साबित न कर सकें उसके बारे में आरोप सदन में न लगायें। इसलिए जो आरोप लगाया है उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जायगा। आयन्दा के लिए में निवेदन करूंगा कि कोई बात कहना चाहें तो पहले लिख कर दे दें, कि मैं फलां मंत्री महोदय पर आरोप लगाना चाहता हूं जिससे मंत्री महोदय तैयार होकर आयें और माननीय सदस्य से भी पूछा जाय कि उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या नहीं हैं। किन्तु जांच से कुछ निराकरण न हो इस तरह के आरोप न लगायें। सदन का वातावरण ठीक तरह चल सके, उसमें सहयोग दें।

श्री फतहसिंह : अब मैं सरकार से निवेदन करूं कि पशुओं की हालत इतनी खराब है कि उनको बचाने का कोई तरीका नहीं है। लोगो में बड़ी निराशा हो गई है। दस-पन्द्रह हजार गायें मर गईं, गायें मर गई ठंड लगने से। दूसरे पचपदरा, देवगढ़, जोधपुर से पांच छः हजार गायें कटने चली गई हैं। लेकिन मिनिस्टर महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, न सरकार इसका ख्याल

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए

(श्री फतहसिंह)

करती है कि गायें जा कहां रही हैं। घास इतना महंगा हो गया है कि घास खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। उनके सामने समस्या है कि वह गाय का पेट पाले या अपना, अपने बच्चों का पेट पाले। इस ओर गवर्नमेंट पूरी तरह से ध्यान दे। उनके पास न तो घास खिलाने को थी और न फोडर डिपो का काम शुरू हुआ है। सेंक्शन तो हो गई है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूं, वह साबित हो या नहीं हो, हमारे यहां पाकिस्तान के सी. आई. डी. हैं। ये लोग कौन हैं। बाडमेर के एक बड़े भारी कांग्रेसी लीडर हैं, जो पाकिस्तान के सी० आई डी० ही हैं; उनके बारे में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : 'बड़े भारी कांग्रेसी लीडर है'—यह सम्माननीय सदस्य कह रहे हैं। कांग्रेसी मिनिस्ट्री है, उसमें से किसी मिनिस्टर का नाम आ जाय तो वे जवाब दे दें, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई जवाब नहीं देगा।

श्री फतहसिंह : हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ सुबूत....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेसी नहीं होंगे। खादी के कपड़े पहिन लिये होंगे। वह कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस का दुश्मन है।

श्री फतहसिंह : हमने एप्लीकेशन कलेक्टर को दी; यह आदमी है, इसको पकड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस का नेता है। तुम तो डुबोगे हो, हमें भी डुबाओगे....

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : कौन है नेता ?

श्री फतहसिंह : एक नहीं, चार-पांच सी० आई० डी० हैं। हम उनके नाम नहीं लेना चाहते। चार-पांच आदमी हैं....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फिर वही तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, तकरीर में रेफरेन्स डालने के और इन्डाइरेक्टली कहने के कि कांग्रेसी हैं। माननीय सदस्य साफ साफ कहें, कौन कांग्रेसी है, क्या करता है ? और पूरा सवाल सामने रखें। इस तरह सदन का वातावरण दूषित करना चाहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : विशेष आरोप नहीं लगाया।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह सकता हूँ कि इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन इसके मायने क्या ? यह तरीका नहीं है। माननीय सदस्य को बोलना नहीं आता है कि किस तरीके से बोलना चाहिए....

कुछ माननीय सदस्य : On a point of order.

(व्यवधान)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह माननीय मंत्री की बेजा बात है।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे जरा कहने दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उन्हें बोलना आता है या नहीं, लेकिन मंत्री महोदय को तो बोलना नहीं आता है।

श्री बालकृष्ण कौल : किसी माननीय सदस्य को इस सदन में जो तरीके हैं बातचीत करने के वे नहीं आते हैं तो उससे इस हाउस का वातावरण दूषित नहीं करना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं। यह जरूर मानता हूँ कि सदन सुप्रीम है, सावरिन है, इसकी इजाजत है; लेकिन हमारे मुंह से जो अल्फ़ाज़ निकलें वे इस किस्म के होने चाहिए जो सदन की शान को बढ़ायें। जो चीज आये, उसका रेफरेन्स दें, यह नहीं कि इनडाइरेक्ट तरीके से एस्पर्शन लगा दें और जिस वक्त माननीय अध्यक्ष, आप पूछें कि आप साफ साफ कहें तो कुछ कह न सकें। इसके मयाने क्या हैं ? इस तरीके से हाउस की शान है वह दिनों दिन गिरती जायगी। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जो भी माननीय सदस्य बोलें वे जो कुछ कहना चाहें वह साफ कहें। कांग्रेसी है तो कांग्रेसी का नाम लें और बतायें वह कौन है ? वह क्या करता है ? क्योंकि हर आदमी कांग्रेसी नहीं होता है। आज कल के जमाने में हर एक आदमी खद्दर पहन लेता है लेकिन खद्दर पहनने से वह कांग्रेसी नहीं हो जाता।

श्री फतहसिंह : हम कोशिश कर रहे हैं बोलने की....

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से पहले निवेदन किया कि अपने जो सदन के नियम हैं उसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगायें उससे पहले अध्यक्ष को सूचित करें—मुझे मेरी बहस में किसी व्यक्ति के खिलाफ किस तरह के आरोप लगाने हैं। बिना ऐसा किये, यह कहें कि अमुक व्यक्ति ने कहा, कलेक्टर ने कहा तो यह बात न तो साबित हो सकती है और न इसकी जांच की जा सकती है। इसलिए जो वित्त मंत्रीजी ने आपत्ति की है वह सही है। इस तरह की बात न कही जाय जिसको साबित न कर सकें और सदन का वातावरण दूषित बने।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : जो बात कही कि बोलना नहीं आता....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपने आपको वापिस....

(व्यवधान)

Order please ! जो आप कहना चाहते हैं वह बात समझ गया। मंत्री महोदय, समझ गये, इसलिए स्वयं के वाक्य को सुधारते हुए कहा, जिसे मैं काफी समझता हूँ कि सदन के नियमों के अन्तर्गत बहस हो, इनकी धारणा यह थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कोई केस लाये जायें तो पक्के सुबूत के साथ लाये जायें जिससे सदन में विचार करने में सुविधा हो। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो गया है, क्योंकि और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, इस बजट का निस्सन्देह एक प्रकार से हमें स्वागत करना चाहिए। राज्य के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब कि ऐसा बजट पेश किया गया है जिसमें कोई खास टैक्स नहीं लगे हों। इस बजट के पेश होने से पहले लोगों का ख्याल था, एक निश्चित धारणा थी कि इस बार भी और टैक्स लगाये जायेंगे चाहे वह अकाल की वजह से किसानों पर नहीं हों, अनजा पर नहीं हों लेकिन रूरल प्रोपर्टीज़ पर जरूर होंगे। इस आशंका से लोगों ने विरोध करने की भी तैयारी कर रखी थी। अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक आश्चर्य की तरह हमारे सामने आया है। कितना अच्छा होता, यदि सरकार इस प्रकार से दो तीन साल पहले ही इस सूझ से काम लेना शुरू कर देती।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट का स्वागत करते हुए और वित्त मंत्री की सराहना करते हुए भी मुझे कहना पड़ता है कि यह बजट कोई आदर्श बजट नहीं है जिसे हम समाजवादी गवर्नमेंट का समाजवादी बजट कह सकते हों। भुवनेश्वर में जो घोषणायें की थीं, जो नीति अपनाई थी उसकी मुझे कहीं छाया भी नहीं दिखाई देती। मैं इसे समाजवादी बजट न कह कर एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के खर्च खाते की, हिसाब मात्र की संज्ञा देना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा राज्य एक विषम परिस्थिति में होकर गुजर रहा है, कई समस्यायें उभर करके हमारे सामने आयी हैं इस दृष्टिकोण से हमें।

(१०.५८ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस बजट को देखना है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए इसमें क्या क्या कदम उठाये गये हैं। आज तो हमारे सामने सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी और प्रथम— (विराम) आचार्य जी, ऐसा मत कीजिये।

प्रथम जो समस्या है वह है अकाल की, बल्कि कहना चाहिए डबल अकाल की जो प्रकृति प्रदत्त अकाल की समस्या है उसका मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं, अपनी नीतियों की जो घोषणायें की हैं उनकी मैं तारीफ करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ।

(११.०० म० पू०)

जो कदम उठाये गये हैं वे बहादुरी के हैं तथा मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि आज तक इतनी उदारतापूर्ण नीति अकाल का मुकाबला करने के कभी नहीं अपनाई गई। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना है कि एक तो अकाल और दूसरा मनुष्य प्रदत अकाल डबल अकाल पड़ा हुआ है। इसका मुकाबला करने के लिए बजट में क्या प्रावधान रखा है, क्या कदम उठाये गये हैं। आज अनाज का भाव बहुत ऊंचा चढ़ गया है। मक्का जो हमारे यहां पहले १० रुपये मन था वह आज २०) मन मिल रहा है और जौ आज २२ रुपये मन मिल रहा है। यह भाव कल तक बाजार में था। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि मक्का और जौ इसी भाव, जो मैंने बताये हैं, मिल रहा है। अभी परसों ही मैं खुद अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाकर देख कर आई हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब हमारे राज्य में सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर में अकाल ने जबरदस्त हमला कर दिया था उस समय हमारी राज्य सरकार

Page No. 69

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

मक्का बाहर दे रही थी। यह बात सरकार के सामने थी कि हमारे यहां पर घोर अकाल है फिर भी मक्का की निकासी बन्द नहीं की। लोगों ने कहा कि मक्का की निकासी बन्द की जावे। मगर सरकार ने उतनी ही तेजी से मक्का को बाहर निकाला। मक्का व्यापारियों ने उस समय १० रुपये मन में खरीदी थी वह आज २०)मन में बेची जा रही है। निकासी के लिये माननीय मंत्री यह कहेंगे कि यह आल इण्डिया पॉलिसी थी कि जब हमें नाज की जरूरत होती है तो बाहर से फूड ग्रेन देते हैं तो हमें भी देना चाहिये। मैं कहूंगी कि यदि यह मक्का लोगों के पेट भरने और खाने के लिए बाहर जावे तो हमें कोई शिकायत नहीं लेकिन वह मक्का लोगों के खाने के लिए बाहर नहीं गई स्टार्च बनने के लिए अहमदाबाद में गई। जब लोगों को यहां पर मक्का पेट भर खाने को नहीं मिलती है और मिलों में स्टार्च के लिये जावे तो यह असहनीय है। हमारी सरकार को चाहिये कि अगर सेन्ट्रल फूड मिनिस्ट्री की यह पॉलिसी हो तो उसके लिए वह इसका कड़ा विरोध करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह कहूंगी कि खैर यह जो हुआ सो हुआ भविष्य के लिए भी चेत जावें तो बहुत अच्छा हो। रबी फसल हमारे यहां हुई है। यह माना कि शीत लहर की वजह से नुकसान हुआ है मगर शीत लहर से फसलें बिल्कुल चौपट हो गई हो ऐसी बात नहीं है। फसलें बिल्कुल चौपट नहीं हुई हैं। लाखों करोड़ों मन जौ, चना पैदा होगा। राज्य सरकार बार-बार यह कहती है कि वह किसानों के फायदे और उनकी बहबूदी के लिए कार्य करती हैं। सरकार किसानों के बीच में मिडल मेन को नहीं रखना चाहती है और सरकार की यही नीति रही है कि मिडिल मेन नहीं रहे। इसी नीति को लेकर राज्य सरकार चलती है, और इसी नीति को लेकर हमारी सरकार ने जागीरदारी, बिश्वेदारी प्रथा को खत्म किया है। मगर मैं कह कहना चाहती हूं कि आज, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार और किसानों के बीच में मिडिल मैन खड़ा है जो एक के दो कर रहा है। सरकार इसके लिये क्या कर रही है। पिछले साल यहां के व्योपारियों ने १४) मन के भाव से लगा कर १७) मन के भाव के गेहूं खरीदे थे और वही गेहूं आज २५) रु० मन में मिलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार मिडिल मैन को नहीं चाहती तो फिर ये मिडिल मैन क्यों। आज जो एक के दो कर रहे हैं ऐसा कभी जागीरदारों ने एक के दो नहीं किये। सरकार आज उनके खिलाफ रोक लगाने के लिये क्यों कोई कार्यवाही नहीं कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि आज सरकार सबसे पहले इस आने वाली फसल पर रोक लगाए, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगी कि कीमतें मुकर्रर कर दी जानी चाहिये। वाजिब कीमतें मुकर्रर कर दी जावें ताकि वाजिब कीमतों पर अनाज हमारी जनता के पास तक पहुंच सके। दूसरी बात इसी सिलसिले में अर्ज करना चाहूंगी कि जयपुर शहर में आटे की काफी खपत है। मजदूरों को इतना समय नहीं मिलता कि गेहूँ मोल ले कर आटा पिसा सकें। ज्यादातर लोग गेहूँ के बजाय आटा

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

लेकर खाते हैं। जयपुर में कुछ ऐसे फ्लोर हैं जिनको आटा पीसने के लिये सैकडों मनों गेहूँ मिलता है। सरकारी कोटा भी मिलता है लेकिन यह देखने की कोई व्यवस्था नहीं, आटा बाहर तो नहीं जा रहा है या उसका मेदा बनाते हैं क्या या राज्य के बाहर भी इसको बेचा जा रहा है ? इसलिये मैं यह चाहती हूँ कि सरकार को चाहिये कि वह आटे की कीमत तय कर दे और उसको जयपुर शहर मे ही बेचा जावे। अगर ऐसा प्रबन्ध किया जावे तो जयपुर की जनता को राहत मिलेगी।

इसके लिये हमारे फूड मिनिस्टर यह कह सकते हैं कि जगह जगह हमने सस्ती धान की दुकाने खोल दी हैं जहां लोगों को सस्ती अनाज मिलता है। मैं यह कहता चाहती हूँ कि जो दुकानें सस्ते अनाज की खोली गई है वे बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि यह व्यवस्था की जा रही है वह विदेशी गेहूँ के वितरण की व्यवस्था मात्र है। मैं चाहती हूं कि जो गेहूँ हमारे यहां पैदा होता है वही हमारे यहां जनता को दिया जावे।

दूसरी समस्या उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने खाद्य पदार्थों के भावों के ऊंचे होने की है। भाव बहुत ही तेजी के साथ ऊंचे चढ़ रहे हैं। मंहगाई इतनी बढ़ गई है कि मिडिल मैन लड़खड़ाने लग गया है और सेलेरिड व्यक्ति की हालत खराब हो गई है और उनमें असंतोष दिनों दिन बढ़ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे तीसरे प्लान में कमी की गई है और बराबर कमी की जा रही है। पिछली बार २३६ करोड़ का प्लान था उसको दो हिस्सों में बांट दिया (१) कोर और (२) नोन कोर में यों २८ करोड़ की कमी की गई। इस साल भी चीफ मिनिस्टर के भाषण में सुना कि ४० करोड़ की कमी की जावेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि यह जो गंभीर समस्या है, लेकिन बजट में क्या कदम उठाये गये हैं। यदि हम इस नजर से बजट को देखते हैं, तो देखते हैं कि न तो इस स्थिति को गंभीर रूप से लिया गया है और न इसको सुधारने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं। हम देखते हैं कि तीसरे प्लान में बराबर कमी की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम यह चाहते हैं कि हमारी योजनाएं आगे बढ़े। यह भी ठीक है कि धन के बिना प्लान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये अपनी राज्य सरकार को आमदनी के तरीके निकालने चाहिये। अगर सरकार आमदनी के तरीके निकालना चाहे तो तरीकों की कमी नहीं। मिसाल के तौर पर राजस्थान रोडवेज विभाग है। इसमें आपने इन्वेस्ट किया था एक करोड़ २५ लाख रुपया। इसका रिटर्न हमको एक साल में मिला है २६ लाख। यह सारा खर्चा निकालने के बाद बिल्कुल नेट प्रोफिट हुआ है। यद्यपि राजस्थान रोडवेज का प्रबन्ध कोई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। फिर भी यदि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए तो आमदनी बढ़ सकती है। इसके अलावा मैं बार बार निवेदन कर चुकी हूँ कि हमें नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहिये। यदि हम रोडवेज को बढ़ा सकें तो आमदनी बढ़ेगी। इनके साथ साथ लोड को भी सरकार अपने हाथ में ले ले। तो इससे भी आमदनी बढ़ सकती है।

इसलिये उपाध्यक्ष, महोदय, अगर हमारे वित्तमंत्री और अन्य मंत्री गण चाहें तो इसके

Page No. 71

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

लिए तरीका निकल सकता है। आपने कई कम्पनीज को डिबेन्चर्स और लोन दे रखे हैं उनको शेयर में परिवर्तित कर दिया जाय तो डिविडेन्ड का भी लाखों रुपया मिल सकता है। यह तो मैंने मिसाल के तौर पर अर्ज किया है। मैं इस लाइन को जानती नहीं लेकिन मैं यह निवेदन करूंगी कि सरकार इसकी ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दे और ऐसे अन्डरटेकिंगो, जिनको स्टेट हाथ में ले सकती है, ले। यही एक जरिया है जिससे नोन टैक्सेबल रेवेन्यू बढ़ सकती है।

अन्त में मैं इस बजट का स्वागत करती हूं और इस आशा के साथ कि मेरे इन सुझावों पर माननीय मंत्री ध्यान देंगे, मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम !

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो ६४-६५ का बजट सदन में पेश किया उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो धन जनता से इकट्ठा कर के लगाया जाता है, जो धन टैक्सों के रूप में जनता से इकट्ठा किया जाता है, उसका अधिकारीगण ठीक तरह से उपयोग नहीं करते हैं। जो भी कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा होता है, यह प्राय: भ्रष्टाचार के जरिये होता है और उस भ्रष्टाचार के कारण जितने निर्माण कार्य होते हैं वे सही ढंग से नहीं होते, वे सही मायने में ठीक तरह से तैयार नहीं होते हैं और ठीक तरह से इन कार्यों के नहीं होने का नतीजा यह है कि जो भी भवन निर्माण होते हैं वे समय से बहुत पहले ही टूट जाते हैं, जो सड़कों का निर्माण होता है वे बहुत पहले ही टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और इस तरह से इस धन का सही ढंग से कोई सदुपयोग नहीं होता, अपव्यय होता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो योजनाएं बनती हैं और इन योजनाओं को जिस आधार पर काम में लाया जाता है, उनका सही ढंग से सारे राजस्थान में, सब क्षेत्रों में वितरण नहीं किया जाता। मैं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी जमवा रामगढ़ के बारे में निवेदन करूं, जब से राजस्थान बना है इस क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे कि जनता को संतोष हो। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि आजादी के पहले जो कार्य वहां हुआ था उसको भी वहां से हटा दिया गया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो भी कार्य हो क्षेत्रीय भावना से न होकर सारे राजस्थान के सभी क्षेत्रों में समान रूप से होने चाहिये।

श्री देवीलाल : आजादी के पहले भी कार्य हुए थे क्या ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : आजादी के पहले कार्य हुए हैं और उनको भी इस सरकार ने घटा दिया है। आप बीच में नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा ? यह हमारी कमजोरी है कि कोई सही बात कहता है तो बीच में गड़बड़ करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करूं कि जब से राजस्थान सरकार

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

बनी है तब से कोई भी नया हाई स्कूल इस क्षेत्र में नहीं बनाया गया है इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों का अच्छे ढंग से प्रबन्ध होना चाहिए। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की तरक्की के लिये, इनको प्रोत्साहन देने के लिये बातें की जाती हैं, हमारे विधान में भी इन्हें प्राथमिकता देने का प्रावधान है, पर उसके माफिक इस क्षेत्र में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है इस क्षेत्र में सरकार ने पिछड़े-वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने की कोई खास सुविधा नहीं दी है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल खोल कर यहां शिक्षा का सुचारु रूप से प्रबन्ध करे।

दूसरे मैं यातायात के साधनों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। हमारे इस क्षेत्र में बिलकुल नाम मात्र को भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, पहले से ही वहां सड़कें नहीं हैं, फिर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण में कमी है इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार यहां पर आवागमन के साधनों की ओर, सड़क निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, वहां पर कोई सड़क का निर्माण नहीं किया गया है उसी प्रकार चिकित्सा के सम्बन्ध में भी सरकार ने इस क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं किया है, यहां सरकार चिकित्सा का प्रबन्ध करने में बिल्कुल असफल रही है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में अस्पताल और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का समुचित प्रबन्ध करे।

अब मैं निवेदन सिंचाई के बारे में करूंगा। वैसे कहने को सरकार कहती है कि उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिये। यह कहती जरूर है पर उत्पादन बढ़ाने के तरीकों के लिए सरकार कोई प्रावधान नहीं करती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार बनाती है और उन बड़ी योजनाओं में जो क्षेत्र नहीं आये हैं उनके बारे में राज्य सरकार ने क्या सोचा ? कुछ नहीं। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करूंगा कि बड़ी योजनाओं में नहीं आने वाले क्षेत्रों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिये। जमुवा रामगढ़ क्षेत्र ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजना में नहीं आता है इसलिये उसके सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये, जिससे कि उत्पादन बढ़े और वहां के रहने वाले किसानों को भी राहत मिले। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि राजा महाराजाओं के जमाने में क्या कार्य हुआ। मैं निवेदन करूं कि रियासत के जमाने में एक बन्ध जमुवा रामगढ़ बनाया गया था उस बांध से कुछ पानी जयपुर को मिलता था और कुछ पानी सिंचाई के लिये काम में आया करता था। इस साल से उस बांध का पानी भी सिंचाई के लिए बन्द कर दिया गया है। तो पहले जो सुविधा थी उस सुविधा को भी इस क्षेत्र में खत्म कर दिया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो उस बांध का पानी रोका गया है, इस पानी से जितना क्षेत्र सिंचाई में आता था उस क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार से सिंचाई की सुविधा देनी चाहिये ताकि जो

(श्री डूंगाराम)

जमीनें असिंचित हो गई हैं, उनको पानी मिले। वहां पर तकावी का भी ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध करना चाहिये, कुए, छोटे मोटे बांध की कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वहां के किसानों को कुछ तो राहत मिले।

अब मैं बिजली के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बिजली के लिए सरकार कहती है जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां बिजली पहुंचाने के लिये सरकार कहती है कि हमारे पास अर्थाभाव है। पर जहां बिजली मौजूद है वहां सरकार बिजली किसानों को क्यों नहीं देती है। जयपुर से जमवा रामगढ़ और जमवा रामगढ़ से दौसा बिजली गई हुई है वहां सरकार बिजली किसानों को क्यों नहीं दे रही है, एक तरफ सरकार लोगों से उत्पादन बढ़ाने के लिये कहती है और दूसरी तरफ बिजली नहीं देती है। जमवा रामगढ़ क्षेत्र में बड़ी आसानी से बिजली दी जा सकती है, वहां बिजली दे दी जाय तो राज्य सरकार की मंशा पूरी होती है और किसानों को भी राहत मिल सकती है।

जो वित्त मंत्रीजी ने टैक्स लगाये हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। टैक्टरों के ट्यूब और टायर्स पर ६ प्रतिशत टैक्स लगाया है, इन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये क्योंकि ये खेती के काम में आते हैं।

दूसरा टैक्स पक्के चमड़े पर लगाया है, पक्के चमड़े और कच्चे चमड़े का काम करने वाली पिछड़ी जातियां हैं। पिछड़ी जातियों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है तो इनको प्रोत्साहन न दे कर चमड़े पर टैक्स लगाया है यह उचित नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो कच्चे व पक्के चमड़े पर टैक्स लगाया है उसे हटाया जाय। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलपतसिंह !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information, Sir.

श्री दलतपसिंह (आबू) : I am in the possession of the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस वक्त कोई भी मिनिस्टर साहब सदन में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ये डिप्टी मिनिस्टर हैं साहब। मैं तो चाहता हूँ कि इनको पूरा मिनिस्टर बना दें।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, सामान्य प्रशासन) I represent the Finance Minister here.

श्री उपाध्यक्ष : According to rules ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लेकिन बजट के वक्त मिनिस्टर जरूर रहना चाहिए। हमको सच्ची बात कहने में जोश नहीं आता।

श्री परसराम मदेरणा : We are Ministers all right.

श्री दलपतसिंह : आज हमारे सामने राजस्थान का १९६४-६५ का जो बजट वित्त-मंत्री ने पेश किया है........ ...

श्री उपाध्यक्ष : 10 minutes please.

श्री दलपतसिंह : मैं एक ही सब्जेक्ट लूंगा। मैं बजट को देखते हुए वित्तमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। मैंने गत ६-७ साल के बजटों को भी देखा है और इस बजट को भी देखा है। उन्होंने समाजवाद का ध्यान रखकर एक ही सेक्टर पर कुछ टैक्स का बोझ डाला है जिससे कि वह उस बोझ को उठा सके। इस बजट पर माननीय सदस्यों ने काफी रिफलेक्शनस अपने अपने एरिया के लिए कि टैक्सज का क्या भार पड़ा है पब्लिक पर। मैं भी जब इन बातों की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ कि आज किसान सेक्टर पर क्या क्या डिफीकल्टीज़ आ रही हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर क्या क्या हो रहा है। ऐसी बाधाएं आ रही हैं कि गरीब किसान बड़ा परेशान हो रहा है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नए तरीकों से सरकार खेती की तरक्की कर रही है इसमें संदेह नहीं। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि अच्छे बीज, अच्छे इम्प्लीमेंट्स और खेती के जो नए तरीकें हैं सरकार जगह जगह उनका उपयोग कर रही है। पैकेज प्रोग्राम और कई तरीकों से किसान को ऊपर उठाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे काश्तकारों पर इन टैक्सज का क्या भार पड़ा है और काश्तकारों की क्या हालत है। इसलिए मैं वित्तमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि काश्तकारों पर कई कैलेमिटीज़ आई हैं। अकाल पड़ा है। और फिर उस पर सरचार्ज है। काश्तकार पहली अप्रेल से ही जमीन पर प्रिपेरेशन करना शुरू करता है। बारह महीने ही उसे उसी पर रहना पड़ता है दूसरा धंधा या आय का साधन उसके पास नहीं होता है। कल कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जब फ़सल होती है तो भाव चढ़ जाते हैं। आज भी एक सदस्य ने कहा कि मक्की का भाव एक दम चढ़ गया। मैं कहता हूं कि आपने सिर्फ एक ही तरफ नज़र डाली है। किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि तीन साल पहले क्रूड आइल का ड्रम ४०) रुपये में आता था उसका मूल्य अब १००) रुपये हो गया। क्रूड आइल, बाकिन्स मशीन और इम्प्लीमेंट्स जो बहुत महंगे पड़ते हैं। और फिर ट्रैक्टर पर-टैक्स बढ़ा दिया। या तो सरकार खुद उचित भावों में अन्न ले ले या सरकार सिक्यूरिटी ले ले कि जो गेहूँ वगैरह काश्तकारों के आएंगे, हम लेंगे। सरकार का यह रवैया नहीं होना चाहिए कि जब प्रॉडक्शन का टाइम आता है तो भावों को गिराने की कोशिश करे। किसान की १२ महीने की इकॉनामी उस फसल पर निर्भर रहती है। यह ठीक है कि बढ़े हुए भावों से जो सर्विस वाले लोग या दूसरे गरीब लोग हैं उन पर असर पड़ता है। सरकार ५-५ मील के रेडियस में दुकान खोलें ताकि भाव गिर जायं। लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी है कि काश्तकार का प्रॉडक्शन जिस समय अप्रेल में आता है उसका भी काश्तकार को अच्छा भाव मिलना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि भाव बढ़ गए और दूसरी साइड में देखिए काश्तकार को हर टैक्स में शेयर करना पड़ता है। पैसेन्जर टैक्स में भी वह शेयर करता है। अगर साबुन भी वह खरीदेगा तो सेल्स टैक्स, माचिस भी खरीदेगा तो भी टैक्स, he should meet the necessities, जो भी नसेसिटीज़ की चीजें हैं उनको वह पूरी करता है। वे चाहते हैं कि शक्कर खा लें लेकिन

(श्री दलपतसिंह)

पैसा नहीं। आबू क्षेत्र के अन्दर कम से कम ६० प्रतिशत आदिवासी हैं, बैकवर्ड एरिया है, शक्कर नहीं खाते और वह शक्कर मिडिलमैन को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पास पैसा नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर है। १२ महीने ही मेहनत करते हैं। फिर भाव गिर जाने से कई ऐसी दिक्कतें आती हैं जिनमें से ऊपर उठने का अवसर नहीं है। इस कारण से मैं वित्तमंत्री से कहूँगा कि कम से कम इस समय तो सरचार्ज बिल्कुल हटादें। एक बात आपने देखी होगी सरचार्ज के अन्दर। मुझे एक कहावत याद आ जाती है। एक बार आई० ए० एस० आफीसर्स की कान्फ्रेन्स हुई। मैं उनके पास बोरड़ी की झाड़ का टुकड़ा ले गया। मैंने उनसे पूछा कि इसके पत्ते कैसे तोड़ोगे। उन्होंने कहा कि चीपे से चुनेंगे। मैंने कहा ये बेचारे किसान कैसे पत्ते झाड़ लेते हैं। तो ऐसे आई. ए. एस. आफीसर सेक्रेटरियट में बैठे हैं। आज हमारे हाऊस में जो भी टैम्पो बनता है, उसका बिल्कुल गलत इम्प्लीमेन्टेशन होता है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हमारी मन्शा थी कि जो काश्तकार ५० रुपये के नीचे बांटा देते हैं उनसे सरचार्ज वसूल नहीं किया जायगा। मुझे कई जगह जाने का मौका मिला। कोई कहता है कि २०) रुपये का बांटा देता हूँ तो कोई कहता है २५)रु०। फिर भी पटवारियों ने सरचार्ज वसूल कर लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि यह सेक्रेटरियट भी समझदारी से काम नहीं लेता है। तो भोले पटवारी को कहां दोषी ठहराएं? इसलिए कानून का बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिस भावना के साथ हम विधान सभा में पास करें उसी तरीके से काश्तकार से लगान लें। जो डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन हुआ, बाद में जितना भी डेवलपमेंट सेक्टर में गांवों के अन्दर काम हुआ उसका काश्तकार पर भार पड़ा है। आप देखेंगे गांवों में ५० परसेंट श्रम किए बिना सरकार कुछ भी पे नहीं करती। अरबन सेक्टर में स्कूलों का भार सिटीजन्स पर नहीं है। गांवों में जितने भी काम हैं स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो अपना श्रम पहले देंगे फिर सरकार और देगी।

दूसरा उदाहरण मैं मृत्युभोज के कानून का देता हूं। इसके अन्दर ४ साल पहले विधान सभा में कानून पास किया था कि उसके अन्दर १०० आदमी खा सकते हैं। लेकिन उसका इम्पलीमेन्टेशन क्या होता है? काश्तकार कहता है मेरी मर्जी है, मैं मेरे सौ मिलने वालों को खिलाता हूँ। लेकिन इसके द्वारा समाज में क्रांति आ गई। हजारों आदमियों का मृत्युभोज करते थे वह बन्द हुआ। कम हुआ। कानून के द्वारा क्रांति लाये और सुधार किया। लेकिन पुलिस वाले कढ़ाई देख लेते हैं तो काश्तकारों के नाम केस दर्ज कर देते हैं। जिस प्रकार से कानून का इम्प्लीमेन्टेशन गांवों में हो रहा है उससे काश्तकार का मगज़ खराब होता है।

आबू रोड से जीरा, बराली, कपास एक्सपोर्ट होता है। काश्तकार ट्रक भर कर ले जाता है तो उससे नौ नौ सौ रुपये टैक्स के वसूल कर लिये जाते हैं। कौनसा विधान है? वित्तमंत्रीजी जरा एक्सप्लेन करें कि किस कानून के कौनसे क्लाज के तहत, जब डीलर

(श्री दलपतसिंह)

के तहत काश्तकार नहीं आता है तो इतना टैक्स उससे किस प्रकार वसूल किया जाता है ? कहा जाता है कि काश्तकार अपील करे यदि वसूल किया जाता है तो। काश्तकार १२ महीने अदालतों में जांय तो फिर प्रोडक्शन का क्या हाल होगा यह भी विचार किया है ? प्रोडक्शन फेल होगा। काश्तकार को कहां टाइम है कि वह अदालतों के चक्कर खाता फिरे। सुबह बाजरा बोने में और शाम को बाजरा बोने में प्रोडक्शन पर फर्क पड़ जाता है। कहां टाइम है काश्तकार के पास कि वह अदालतों में फिरता फिरे। सिर्फ सेक्रेटरीज़ की टेक्निकल गलती के कारण यह हो रहा है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त-मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी कानून इम्प्लीमेन्ट हो वह ठीक प्रकार से इम्प्लीमेन्ट हो। विधान सभा में कानून पास होता है, क्लाज पास करते हैं, लेकिन उसका असर काश्तकारों पर क्या होता है यह देखने की बात है। उसको देखना चाहिये। आप कह सकते हैं कि अपील करके रिफन्ड ले लें। काश्तकार कहां तो अपील करने जायगा ? कहां उसके पास समय है ? उसको तो आप को इन सब आफतों से मुक्त रखना चाहिये ताकि वह फ्री होकर प्रोडक्शन बढ़ा सके। जितनी आप उस पर बन्दिशें डालेंगे उतना ही वह परेशान होगा और उसका परिणाम आपके प्रोडक्शन पर पड़ेगा और उसकी हालत पर भी असर पड़ेगा।

आबू की तलहटी में आदिवासी एरिया है। माउन्ट आबू का एरिया आपने डेवलप किया। लेकिन नीचे के काश्तकारों को कहां फुरसत है कि ऊपर जांय। नीचे हालत यह है कि उनके कुओं में पानी नहीं है। उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है। माउन्ट आबू का डेवलपमेन्ट कर देने से मैं नहीं समझता कि आपने काश्तकारों का डेवलपमेन्ट कर दिया है। तहसील के पचास गांव तो ऐसे हैं कि जहां कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया है। दस वर्ष से नदी चलने के बाद पानी इतना गहरा चला गया है। वहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, सौ सौ फीट नदी नीचे चली गयी है। इससे एग्रीकल्चरिस्ट के कुओं में पानी बिलकुल नीचे चला गया है। माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, किसान के पास फन्डामेन्टल कोई चीज़ है तो वह कुआं है। यही उसका ट्रेजर है। सरकार जब तक उनके कुओं को सुधारवायेगी नहीं, सर्वे नहीं करायेगी कि कितने कुओं का पानी सूख गया है, कितने कुओं का पानी नीचे चला गया है तब तक काश्तकार की हालत सुधरेगी नहीं। कितने ही कुओं में पानी अवेलेबल नहीं है। तकावी आप पंचायतों को दे रहे हैं। आप यह देखिये कि आप सर्वे करवा के कितने कुओं को सुधरवा सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चार मिनिट और उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : Just two minutes.

श्री दलपतसिंह : अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुओं की हालत सुधारी जाय। नहीं तो होता क्या है कि आदिवासी अहमदाबाद चले जाते हैं आबू को छोड़े कर, जहां कि उनको कुछ महनत मजदूरी से काम चलाना पड़ता है। मैंने मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दो तीन दिन पहले ही

(श्री दलपतसिंह)

कराया था। मेरे एरिया को आप कितना रुपया देना चाहते हैं। अकाल तो पड़ा है आप करेंगे। मेरे एरिया में तो ६ वर्ष पहले जो काश्तकारों की हालत थी वैसी ही आज भी हालत है। अकाल तो आज पड़ा है। कई अहमदाबाद चले गये। जो नदियां वहां हमेशा बहती थीं वे इतनी गहरी चली गई है कि जिससे आस पास के एरिया के तमाम कुओं का पानी बहुत गहरा चला गया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक परमानेन्ट प्रोब्लेम है। इसको जल्दी से जल्दी सुधारिये। नहीं तो काश्तकारों की क्या स्थिति होगी यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। उनको अपने गांव के गांव छोड़ने पड़ जावेंगे।

आखरी वर्ड मैं यह कहूंगा कि सर चार्ज बिलकुल विड्रो कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री **रामकिशन** (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से बजट पर वादविवाद चल रहा है। इस बजट को जिस ढंग से मैंने देखा है मैं निश्चित तौर पर कुछ मामलों में चक्कर में पड़ गया हूँ। सरकार का यह दावा है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं जब कि प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों को यह भय है कि समाजवाद देश में आया ही नहीं और न ही आशा की जा सकती है इस प्रकार के तरीकों से। तो ये दोनों ही बातें भ्रमात्मक हैं, गलत हैं। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्तमंत्रीजी से और सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों से कि 'समाजवाद' शब्द का इस प्रकार हल्के तरीके से प्रयोग न करें। ऐसा लगता है कि सरकारी पक्ष जानबूझ कर 'समाजवाद' शब्द का दुरुपयोग करना चाहता है जिससे आगे आने वाली संतति उसका सही प्रयोग न कर सके। 'समाजवाद, अहिंसा और लोकतंत्र' इस तरह के शब्द हैं जिनका प्रयोग तो बखूबी करते हैं लेकिन उनको जब अमल में देखते हैं और उसका नतीजा निकालना चाहें, परिणाम निकालना चाहें तो निश्चित तौर पर वह दूसरा ही होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। जैसे उन्होंने बूढ़ों के लिए पेन्शन की व्यवस्था की। इसी प्रश्न को लेकर सोशलिस्ट लोग सन् ५८, ६१, ६२ में जेल में गये थे। बूढ़े आदमियों को सरकार ने पेन्शन देने की व्यवस्था की है उसके लिए मैं सरकार को और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। यह कदम ऐसा है जैसा वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में भी केन्द्रीय सरकार उठाती तो निश्चित कल्याण होता। एक बात तो यह है कि बूढ़े आदमियों के लिए जो पेन्शन देने की व्यवस्था की है उसके लिए मैं धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता।

दूसरी कुछ ऐसी बातें और हैं जिनके लिए भी मुझे सरकार को और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना है। वित्त मंत्रीजी ने जगह जगह यह बताया है कि सेल्स टैक्स में आमदनी बढ़ी है। सरकारी मशीनरी को कस कर टेक्सेशन की चोरी को कम किया है। इससे एक बात यह दृष्टि गोचर होती है कि सरकारी मशीनरी को कस कर टेक्सेशन विभाग ने पैसा वसूल किया इसका मतलब यह रहा कि

(श्री रामकिशन)

एक विभाग इस ओर सतर्क रहा और ईमानदारी से काम किया और बाकी के सरकारी विभाग, उनकी मशीनरी निष्क्रिय रही। वित्त मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि टेक्सेशन विभाग की मशीनरी को सतर्क करके इस ओर आमदनी की व चोरी को चाया।

यह पहला मौका है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में और वित्त मंत्रीजी के भाषण में सरकार ने अपनी कमजोरियों को प्रकट किया है। आप देश में लोकतन्त्र की जड़े जमाना चाहते हैं। लोकतन्त्र चले यह चाहते हैं। लोकतन्त्र का वास्तविक मतलब ही यही है कि कमजोरी को प्रकट करें न कि छिपायें। वित्त मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

उसके बाद जिन चीजों को हम देखते हैं तो यही पाते हैं कि वही उनका पुराना दिमाग है और वही पुरानी सोचने की स्थिति है। वित्त मंत्रीजी ने शुरू में ही अकाल, कीमतें और दूसरी २ चीज़ों का सहारा लिया है और उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने से और आमदनी गिरी है और इससे प्रति व्यक्ति की आमदनी में और राष्ट्रीय आमदनी में गिरावट आयी है। जब अनाज की पैदावार बढ़ जाय तो सुखाड़ियाजी की तारीफ करें कि योजनाओं के कारण पैदावार बढ़ गयी है और जब पैदावार घट जाय तो भगवान को गाली देवें और इन्द्र को गाली देवें यह ठीक नहीं। भाखरा और राजस्थान केनाल का चक्कर छोड़ दें। निश्चित तौर पर मंहगाई आयी है, अकाल पड़ा है, उसके लिए भगवान दोषी नहीं है। आप स्वयम् दोषी हैं। दुनियां के किसी भी देश को ले लीजिये, चीन, कम्बोडिया, थाईदेश, वहां मौसम में परिवर्तन होता रहता है। यह कोई नयी चीज़ नहीं है। इसके लिए हमारी कमजोरी है और मैं समझता हूँ कि हमारी यह कमजोरी रही है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के जो लक्ष्य रखे गये थे उनको पचास प्रतिशत भी पूरा नहीं कर पाये। यदि उनको पूरा कर दिया होता तो न अकाल होता और न ही भगवान को याद करना पड़ता। इस प्रकार का भुलावा देने की कोशिश न करें। देश को धोखा देने की भी चेष्टा न करें। मैं समझता हूँ कि जैसा उन्हें धोखा देने की आदत है, अपने दल को तो कम से कम धोखा नहीं देना चाहिये। सही सही बातें सही सही रूप में आनी चाहिये। जो मंहगाई बढ़ी है वह पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमारे लक्ष्य निर्धारित थे उनको पूरा न करने के कारण ही है। इसके लिए भगवान को दोष देना बेकार है।

खेती के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। राज्यपाल के भाषण के वक्त तथ्य प्रस्तुत कर दिये थे। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा।

एक बात भाषण के शुरू में वित्तमंत्रीजी ने कही कि स्वर्गीय श्री केनेड़ी की मृत्यु का असर पड़ा है। यह मैं नहीं समझ पाया कि वित्त मंत्री ने श्री केनेड़ी का जिक्र किस कारण से किया है ? निश्चित रूप से श्री केनेड़ी महान थे लेकिन उनका उल्लेख आप ने बजट भाषण में किस रूप से किया यह मैं नहीं कह सकता। यदि आपने इसलिए किया हो कि उनसे हमें हमारी योजनाओं के लिए धनराशि मिलती तो यह अनुपयुक्त है। श्री केनेड़ी के जीवन से अगर

(श्री रामकिशन)

आपको प्रेरणा मिलती तो निस्सन्देह यह गौरव की चीज़ होती। उनका अपना सिद्धान्त था। उन्होंने जाति पांति काले गोरे के भेद को मिटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वे महान् थे। वे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने काले गोरे के भेद को मिटाने में अपने प्राण गवां दिये। आपने उनको इसलिए याद किया हो कि वे हमें अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए धन देते तो, मैं समझता हूँ, आपने यह उस महान् व्यक्ति के प्रति न्याय नहीं किया। अगर सरकारी पक्ष भी उनकी नीति को समझ ले तो हमारे देश का कल्याण हो सकता है। उन्होंने काले और गोरे के भेद को मिटाने के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिये, लेकिन आज हमारी सरकार में जो बैठे हुए हैं वे जाति पांति को भी नहीं मिटा सके। आप चाहें यहां की गद्दी ले लें या दिल्ली की गद्दी ले लें जो भी शासक रहे हैं उनको जनता ने धक्का देकर हटाया है, तभी हटे हैं या उनको गुसलखाने में लकवा मार गया हो तब पद छोड़ा है। उन्हें भी चाहिये था इस तरह से अपनी महानता का आभास करवाया होता। उन्होंने किस तरह से देश के लिए अमूल्य त्याग किया उनके सिद्धान्तों को आप सोच समझ कर उन पर आचरण करें तो अच्छा परिणाम निकल सकता है।

हमारे वित मंत्री अपने भाषण में समाजवादी लोकतन्त्र की दुहाई देते हुए कहते हैं कि हमारे पास साधनों की कमी है। मैं वित मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह आपको कैसे भ्रम हो गया कि आपके पास साधनों की कमी है, देश में साधनों की कोई कमी नहीं है। आपमें और स्वतन्त्र पार्टी में सिद्धान्तों के लिहाज से, मैं समझता हूं, कोई भेद नहीं है। आपके कार्यक्रम में और स्वतन्त्र पार्टी के कार्यक्रम में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस के गद्दीनशीन फिजूल खर्ची और उदार दिली पूंजीपतियों का संगठन है उसी प्रकार स्वतन्त्र पार्टी के लोग भी वे ही हैं जो या तो गद्दी से हटाये गये हैं या पद लोलुप हैं और स्वतन्त्र पार्टी नम्बर २ के तंगदिल पूंजीपतियों की पार्टी है। न इनमें फर्क है और न आपमें फर्क है। स्वतन्त्र पार्टी के माननीय नेता योजना को महत्वाकांक्षी योजना बताते हैं। उनका कहना है कि हमारी योजनायें बहुत बड़ी हैं, इस तरह की योजना नहीं बननी चाहिये। मैं उनकी दलील से सहमत नहीं हूं, लेनिक मैं स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि बगैर योजना के किस प्रकार से गरीबों को रोटी दी जा सकती है? अगर वे कहते हैं कि जिस प्रकार पहले चलता था उसी तरह चलने दिया जाय। जिस तरह से डेढ़ सौ वर्ष पूंजीवादी व्यवस्था में चलते रहे उसी प्रकार चलने दें। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही पूर्व में गरीबी और पश्चिम में युद्ध है। इससे पूंजीवाद से कोई परिणाम नहीं निकल सकता। इन पन्द्रह सालों में सरकार पूंजीवादी व्यवस्था पर हो चली है यह साफ दिखाई देता है। आपने गांवों की हालत में सुधार किया हो या उनको मजबूत किया हो यह बात अगर कहते हैं वित मन्त्री महोदय तो यह उनको भ्रम है। मैं आपको एक चीज़ बताये देता हूं। आपके पास प्रगति का क्या मापदण्ड है? इसके बारे में आपका दिमाग साफ नहीं है। हिन्दुस्तान और एशिया में प्रगति का मापदण्ड, हम इससे आंकते हैं

(श्री रामकिशन)

रिक्शा वालों से और वेश्यालयों से। आपने देखा होगा सन् ४८ में यहां एक भी रिक्शा चलता हुआ नज़र नहीं आता था। आज हमारे यहां राजस्थान में लगभग आठ हजार रिक्शा चालक हैं। यह हमारी आर्थिक गिरावट का स्पष्ट नमूना है। इससे अधिक आर्थिक गिरावट की सीमा नहीं हो सकती जब मनुष्य पशु के समान आचरण करने लग जाय, मनुष्य मनुष्य को खींचने लगे, इससे अधिक आर्थिक गिरावट और क्या हो सकती है, इससे अधिक प्रगति की ओर आप क्या आशा कर सकते हैं इस राज्य से। एक बात जरूर है। आपकी इन पंच वर्षीय योजनाओं से एक वर्ग के लोग, एक जाति के लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग गले लंगोट लगाने वाले लोग हैं, उनकी हालत में सुधार हुआ है। यह ठीक है, मैं आपको अभी हमारे पार्लियामेंट में जो इस सम्बन्ध में बहस हुई उस सम्बन्ध में जो आंकड़े सामने आये, वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जिससे यह स्थिति और भी स्पष्ट हो जायगी........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह गले लंगोट लगाने वाले कौन हैं?

श्री रामकिशन: जिसे अंग्रेजीमें टाई कहते हैं मैं यह कहना नहीं चाहता।

अभी जो नन्दा साहब ने पार्लियामेंट में वित्त मंत्रालय की अर्ध वार्षिकी रिपोर्ट पर बहस हुई उस समय आंकड़े प्रस्तुत किये उसमें जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है उन आंकडों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 'अर्थ-शास्त्र' नाम एक अखबार निकलता है उसने लिखा है राजस्थान में ३२ लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी दैनिक आय सिर्फ दो आना मात्र है। और दो लाख के आस पास ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी और खर्चा ३३ रुपया रोज है। जो आर्थिक समस्या आपके सामने है उसका हाल बिल्कुल सामने पड़ा है, सरकार कहती है कि साधन नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दो लाख के आस पास लोग हैं जिनकी दैनिक आय ३३ रुपया है मैं उनके लिए यह नहीं कहता कि उनकी आय को आप १ रुपये तक ले आइये, इतना तो करने की आपकी हिम्मत नहीं हो सकती, इस प्रकार का कदम तो आप हर्गिज उठा नहीं सकते। अगर सरकार में साहस है, हिम्मत है तो इन ३३ रुपये रोज आमदनी वालों को १५ रुपया रोज पर लाया जा सकता है। इस तरह से एक वर्ष में ७० करोड़ की बचत हो सकती है और पांच साल में साढ़े तीन अरब रुपया आपको मिल सकता है जिसको छोटे मोटे कल कारखानों में उद्योग धन्धों में लगा सकते हैं। उससे यह होगा कि जिनकी आमदनी दो आना रोज है उनको हम १४ आने तक ला सकेंगे, लेकिन सरकार इन पर हाथ डालने नहीं पायेगी। क्योंकि इन लोगों का दबाव है, इन पर हाथ नहीं डालने वाली है; तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप साधनों की कमी का बहाना न लें, साधन बहुत हैं लेकिन आप में हिम्मत नहीं है उन साधनों को काम में लाने की।

कल ही कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री रामानन्द जी ने कहा था कि आप राजाओं को दी जाने वाली प्रीवी-पर्स और जागीरदारों को दिया जाने वाला मुआवजा खत्म कर दीजिये। मैं उन बातों को फिर दोहराना नहीं चाहता। आप केवल समाजवादी समाज

(श्री रामकिशन)

बनाने की बातें करते हैं असमानता को दूर करने की बातें करते हैं लेकिन आपके सामने जब सुझाव आता है तो आप उसको मानने से इन्कार कर देते हैं। अब तो आपके सामने इनको खत्म करने का अच्छा मौका है। महारानी गायत्री देवी ने भी महाराजाओं को दी जाने वाली प्रीवी-पर्सेज़ को खत्म करने को कहा। जिस संदर्भ में उन्होंने कहा उससे उनका मतलब था इससे राजाओं की गुलामी दूर हो जायगी और वे खुले रूप में कांग्रेस का विरोध करेंगे। इसलिए महारानी साहिबा का प्रस्ताव आपको स्वीकार कर लेना चाहिये। इससे दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो राजा लोग आज़ाद अनुभव करने लगेंगे और दूसरा वे कांग्रेस का डट कर विरोध करेंगे। अगर महुआ के उपचुनाव में कांग्रेस हारती नहीं तो बुड्ढों को पेन्शन भी नहीं मिलती। इस तरह से बानसूर, ब्यावर और हनुमानगढ़ इन तीनों चुनाओं में भी अगर कांग्रेस हार जाय तो लावारिस बच्चों को पेन्शन और जिन लोगों की आमदनी सौ रुपये से कम है उन लोगों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा आदि ये दो तीन सुधार और हो जायेंगे। इस तरह से तीन चार हार और कांग्रेस की हो जाय तो इनकी अक्ल दुरूस्त हो सकती है इसलिए मुझे महुआ में स्वतन्त्र पार्टी की जीत पर खुशी है। कांग्रेस की हार और स्वतन्त्र पार्टी की जीत इससे गरीबों को आराम मिल सकेगा यह कभी संभव नहीं है क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ एक ही प्रकार की कार्यक्रम वाली हैं। इस तरह से यदि दो-तीन उप-चुनाव में हार जाय तो देश के निर्माण के कार्यक्रम में कुछ गति मिल सकती है, देश के निर्माण के नये नये तरीके अपनाये जा सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कौओं के कांव-कांव से कभी ढ़ोर नहीं मरा करते।

श्री रामकिशन : सरकार कहती है कि हम योजना बनाकर अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं। स्वतन्त्र पार्टी के जो नेता लोग हैं उनका कहना है यह योजना महत्वाकांक्षी योजना है। राजस्थान में दो करोड़ लोग रहते हैं। जिनमें से दो लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो ३३ रुपया रोजाना खर्च करते हैं इतना अधिक देशों यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं उनका भी नहीं आता। इससे मैं तो यह कहता हूं कि यह योजना महत्वाकांक्षी योजना नहीं है। यह योजना बड़ी कमजोर और हल्की योजना है जिससे समाज के सारे लोगों को फायदा नहीं हो सकता। हमारा यहां का सिलिंग यूरोप से भी अधिक बढ़ा है। आपने पहली योजना में जो धन की वसूली का कार्यक्रम रखा था उससे आपने १३ करोड़ रुपया अधिक वसूल किया है। आप फिर भी कहते हैं कि जनता का सहयोग नहीं मिला। इसी प्रकार तीसरी योजना में जहां आपने ३७ करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है उसके तीन वर्षों में २२ करोड़ से अधिक वसूल कर चुके हैं। तो टैक्स लोग आपको दे रहे हैं। योजना में कटौती की जरूरत नहीं। उन अंगों को काटने की जरूरत नहीं। हां उन हिस्सों को काट दें जिनसे पूंजीपतियों की शान शौकत और ठाठ बाट बढ़े हैं। मैं दो मिसालें देना चाहता हूँ आपको इसकी।

वित मंत्रीजी भी जयपुर में रहते हैं, मुख्य मन्त्रीजी भी, दूसरे मिनिस्टर लोग भी और अन्य लोग भी रहते हैं। जयपुर में आप कभी किसी दिन नीरोज होटल में

(श्री रामकिशन)

जाइये । आपको दिखाई देगा कि उस में सरकार के बड़े बड़े अफसर पचास प्रतिशत और व्यापारी वर्ग के बड़े बड़े लोगों का चालीस प्रतिशत आपको वहां जाता आता मिलेगा, जो हर व्यक्ति ३०) ४०) रुपया रोज खर्च कर रहा है। तो आपकी आज की योजनाओं से एक सम्पन्न वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को फायदा हो रहा है। एक तरफ यह वर्ग बढ़ रहा है और दूसरी तरफ रिक्शा वाले बढ़ रहे हैं। एक तरफ नीरोज बढ़ रहे हैं, शान शौकत टाठ बाट फिजूलखर्ची से पतन का रास्ता बढ़ रही है और दूसरी तरफ गरीबी, दरिद्रता के प्रतीक रिक्शा वाले, निर्धन बढ़ रहे हैं।

आपके पास साधन हैं, तरीके हैं, इस विषमता को हटाइये। आप हटा सकते हैं। हिम्मत चाहिए। हिम्मत मत हारिये। आलोचना होती है कि योजनाओं में पानी पीने का न दो, सड़कें न बने पैदावार न हो तो यह उनकी १००-१५० साल पुरानी आदतें हैं। आप उनकी इन बातों से घबरायें नहीं। मगर आप भी क्या करें ? आप भी तो उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। चोला आज आपने चाहे कांग्रेस का धारण कर लिया हो। आप अन्तर से तो स्वतन्त्र दली हैं ? जनसंघी हैं, हिन्दू महा सभाई और लीगी हैं। सन् ४७ से पहले के कर्मठ सिद्धान्तवादी कांग्रेसी तो पांच प्रतिशत भी नहीं हैं। इस प्रकार की इस नई भरती से यह कांग्रेस क्या करेगी ? फौज तो है ऐसी और इसको समाजवाद के मोर्चे पर आप ने लगा दिया है जिसके सैनिक मोर्चे पर जाकर पस्त हिम्मत हो जाते हैं, गोली उनसे चलाई जाती नहीं, चलाना जानते भी नहीं। अनुशासन उनमें नहीं। तो आज तो यह कांग्रेस अनुशासनहीन, अर्द्ध मृत-प्राय, अकर्मण्य आलसी, सिद्धान्तहीन, मौकापरस्त, पदलोलुप लोगों का संगठन मात्र बन कर रह गयी है। न आज आपका कोई अनुशासन है, न जीवित बॉडी है, आप चलते फिरते भले ही हों, रैंगते हैं, न आपका कोई कार्यक्रम है, न आपके पीछे चरित्रवान, निष्ठावान् सिद्धान्तशाली आदमी हैं, न आपकी कोई इस समय की उपलब्धि है। इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अब भी आप अपने दल को एक जीवित बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको समाजवाद की सही तस्वीर अपने मनों में उतारनी पड़ेगी। आप कहते हैं हम समाजवाद लावेंगे। आप नारा लगाते हैं आवड़ी में इसके लिये। पर जानते नहीं समाजवाद क्या है। आवड़ी के सात साल बाद भुवनेश्वर में आपके समाजवाद की व्याख्या हो रही है। यह सब इसलिए है कि आप में आज जीवन लक्षण रह नहीं गये। आपका संगठन मृत-प्राय हो गया है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि आप इसकी ठीक व्याख्या करने का कष्ट करें। पर हम तो देखते हैं कि आपके दिमागों में समाजवाद की तस्वीर है ही नहीं।

कहते हैं आप उत्पादन बढ़ाओ। उत्पादन पर टैक्स ले लेना ही उत्पादन बढ़ना नहीं है। समाजवाद में उत्पादन बढ़ाने का अर्थ है गरीब अमीर का अन्तर कम किया जाय।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत पहले भी निवेदन किया था और आज फिर कह रहा हूं कि एक तरफ तो दो आने रोज़ कमाने वाले हैं और दूसरी तरफ है ३३) रोज कमाने वाले। संसार के किसी हिस्से में इतना अन्तर नहीं है।

Page No. 83

(श्री रामकिशन)

डेढ़ सौ गुना से अधिक का अन्तर और फिर बात करते हैं हम समाजवाद ला रहे हैं। पूंजीपति देश अमेरिका में भी इतना अन्तर नहीं मिलेगा और बाकी के लोगों की आमदनी भी मैं बताता हूँ। राजस्थान में आज ३२ लाख आदमियों की आमदनी २ आने रोज है और दो लाख की ३३ रुपया रोज़ है। बाकी की किसी की बारह आना है, चौदह आने और एक रुपया रोज़ है। तो इस अन्तर की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये अपनी योजनाओं को और उत्पादन को इस तरीके से चलावें कि यह अन्तर कम हो जाय तो इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): यह अन्तर कम कैसे किया जा सकता है ?

श्री रामकिशन : अब अगर सभी बातें मैं आपको बता दूं तो फिर आप इस गद्दी से कैसे हटेंगे ? रोग का इलाज आप स्वयं ढूंढें। हम बता देंगे तो फिर आप क्या करोगे ? हां भीमसेनजी अलग से पूछेंगे तो मैं उनको बता दूंगा। वे हमारे ही पुराने साथियों में से हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके पास आपकी पार्टी के पास क्या कोई ऐसा अलादीन का चिराग है जिसको आप छिपाकर ही रखना चाहते हैं जब कि देश मर रहा है ? आप बतावेंगे नहीं।

श्री रामकिशन : मैंने उस चीज़ को बता दिया है और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको भी बता सकता हूँ। आप हमारी पार्टी के संस्थापक साथियों में से रहे हैं। और कांग्रेस में भी पुराने आदमी हैं। मैंने आप जैसे ही कुछ साथियों का खयाल करके इसे मुर्दों की जमात नहीं कहा है. अर्द्ध मृत प्राय संस्था ही बताया है। अर्द्ध जीवित लोगों का संगठन कहा है। बांदीकुई और जयपुर में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तो उसमें आप भी पधारे थे।

मुझे इतना ही निवेदन करना है कि सोच विचार कर इस समाजवाद की स्थापना के सही रास्ते हर हिम्मत से आप चलें। हिम्मत न हारें। हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे लिए पार्टी का पूरा टाइम तो है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, पर सुराणाजी भी बोलेंगे।

श्री रामकिशन : मुझे इसका ध्यान है। हम हिसाब रख लेंगे।

एक बात का जिक्र किया गया कि शीत लहर के कारण खेती पर बुरा असर पड़ा है। पर ताज्जुब है शीत लहर के कारण जहां भरतपुर जिला बरबाद हो गया, अलवर जिला तबाह हो गया, पूर्वी क्षेत्र बरबाद हो गया, पर वहां कोई रिलीफ सरकार ने अनाउन्स नहीं किया। जब कि आगरे की तरफ आप चले जाइये, मथुरा, मुरैना, भिंड और मध्य प्रदेश के इलाकों में चले जाइये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सरकारों ने अपने राजस्थान से लगने वाले इलाकों में जहां शीत लहर से नुकसान हुआ है उन भागों में लगान की वसूली स्थगित कर दी, सभी तरह के कर्ज़ों की वसूली रोक दी है। पर राजस्थान सरकार

(श्री रामकिशन)

ने अपने पूर्वी इलाकों में कोई राहत नहीं दी। इन इलाकों में आपके कांग्रेसी उम्मीदवार चुनाव में जीतते नहीं तो इसका दण्ड आप किसानों को क्यों देते हैं ? अगर आपने इस बार भी उनको कोई रिलीफ नहीं दिया तो अभी तक तो आपने तीन सीटें वहां से ली हैं, आगे एक भी सीट आपको नहीं मिलेगी। हम तो चाहते हैं आपकी सीटें बढ़ें। हम रहें या न रहें इतिहास में, हमारी कोई गिनती नहीं है, हम चाहते हैं कि जनता जीवित रहे। वह बड़ी है। उसको तकलीफ न हो। हम और आप तो छोटे छोटे लोग हैं। सड़कों पर चलते हैं। आज यहां हैं, कल यहां से चले जावेंगे, सड़कों की खाक छानेंगे। हमारा महत्व नहीं है कुछ भी। पर सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि उससे निम्न श्रेणी के दुखी और दरिद्र छोटे लोगों को राहत मिले।

वित्त मन्त्री ने कीमतों का जिक्र किया। सदन को मालूम है कि कीमतें क्या हैं आज। राज्यपाल ने इसके लिए घोषणा की है कि १२०० सस्ते भावों की अनाज की दुकानें सारे राजस्थान में खोली जावेंगी। वे समझते हैं इससे समस्या हल हो गई। और वे भी कहां खोलेंगे ? जहां छः हजार की आबादी का गांव है। राजस्थान में ३१ हजार गांव हैं। जिनमें २४ हजार तो ऐसे छोटे गांव हैं जहां की आबादी ५०० से भी कम है। तो इस तरह से ३१ हजार गांवों में २०० गांवों में अनाज की सस्ती दुकानें खोलने से इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। यह जो कीमतों का सवाल है, आबू से आने वाले माननीय सदस्य गलत समझ रहे हैं। सरकार भी गलत समझ रही है। मैंने पहले भी अलग से इस पर सवाल उठाया था। वित्त मंत्रीजी के ध्यान में होगा। यह कीमतों का एक महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। क्यों ?

जब अनाज की फसल बाजार में आती है, पैदावार की कमाई सीधे किसान के घर में जाने का समय आता है उस समय तो अन्न के भाव गिर जाते हैं। अच्छे से अच्छा अनाज १४) मन तक आ जाता है और जब उसके खरीदने का वक्त आता है तो ऊंचे से ऊंचा चला जाता है। मैंने पिछले १२ सालों का हिसाब लगाया है सरकारी आंकड़ों के ही आधार पर, जिस पर से मैं यह साफ और दृढ़तापूर्वक दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले इन बारह सालों में इन कीमतों की इस तरह की घटा बढ़ी के कारण राजस्थान के चन्द व्यापारियों ने तीन अरब रुपया मुनाफे के रूप में इस व्यापार से कमाया है। वह छोटा सा एक वर्ग मलामाल हो गया। किसान मर गया, उसकी जेब में तो उतना ही गया जितना भर इन्होंने देने की सोची। बाकी उपभोक्ता मारा गया और छोटे किसान मारे गये। हमारा कहना यह नहीं है कि किसान को उत्पादन का पूरा पूरा लाभ न मिले, उसी को उसके उत्पादन का पूरा २ लाभ मिले, हम तो यही चाहते हैं पर मुश्किल यह है कि सरकार की ऐसी नीति है कि जब पैदावार का समय आता है कीमतें गिर जाती हैं और किसान के खरीदने का वक्त आता है तो कीमतें आसमान छूती नज़र आती हैं। सरकार चुप्पी साधे पड़ी है। वह अनुचित मुनाफा उन चन्द व्यापारियों की जेबों में जाते रोकना नहीं चाहती यह सरकार। यह भी तो उसी थैली की चट्टी बट्टी है। प्राइस पॉलिसी के बारे में सरकार ने कहा है कि तीसरी योजना से पहले इस प्रकार होगी, मध्य में इस प्रकार की रहेगी और बाद में ऐसी होगी। पर उस

(श्री रामकिशन)

पर अमल नहीं करती। उसे इस समस्या को भी समाजवादी तरीके से हल करना चाहिये।

दूसरा निवेदन यह है कि केवल कीमतों के नियन्त्रण से ही काम नहीं चलेगा। कारखाने के उत्पादन की कीमतें तो बढ़ती गई हैं पिछले बारह सालों में लगातार इकतरफा रूप से और अनाज की कीमतें नीचे होती गई हैं। रूई, कपड़ा, मिट्टी का तेल, इनकी कीमतें बारह सालों से लगातार ऊंची जा रही हैं और अनाज की कीमतें आठ बार नीचे और केवल दो बार ऊंची गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सरकार अन्न के थोक व्यापार को अपने हाथों में ले और बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजें। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि दूसरी योजना काल में व्यापार में लोगों को अन्न के लिए १५ अरब रुपया बैंकों ने दिया। इस तीसरी योजना में एक पैसा भी लोगों ने बैंक से नहीं लिया। इसलिये निवेदन है कि भुवनेश्वर में आप समाजवाद की बात करके आये हैं आप कम से कम भावों के मामले में तो इसे निभा दें। अनाज का थोक व्यापार आप अपने हाथ में लेंगे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण निश्चित तौर पर करेंगे तो आप सामान्य जनता को कुछ राहत पहुंचा सकेंगे और स्थायी तौर पर इन कीमतों को कन्ट्रोल में रख सकेंगे।

(लगातार समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं दो मिनिट में ही समाप्त कर देता हूँ। वित्त मन्त्रीजी ने लोगों की वृद्धावस्था की पेन्शन के लिए ६५ साल की उमर रक्खी। आप वर्ग विहीन समाज बनाना चाहते हैं। पर दूसरी तरफ भेदभाव की वृद्धि कर रहे हैं। सरकारी नौकरों को तो आप ५८ साल में पैंशन देने की बात करते हैं और उनको ६५ साल में आप देंगे। यह कौनसा आपका समाजवाद है ? इसलिए कहता हूं कि आप इसको भी ६५ के बजाय ५८ कर दीजिये।

अब इसके अतिरिक्त जो लावारिस बच्चे हैं, विधवायें हैं,उन के लिए भी कुछ देने की कोशिश की जावे। राजस्थान में दस लाख विधवाएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करे। अगर इस तरह से इन निम्न वर्गों को दलित शोषित और पीड़ित वर्ग को राहत देगी तो समाजवाद आयेगा, नहीं तो केवल भाषणों से समाजवाद नहीं आने वाला है।

इन्हीं बातों को कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने विचार सदन में रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जो भाषण वित्त मन्त्रीजी ने दिया और जिस भाषा में दिया उसके लिये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हिन्दी की बिलकुल हत्या करने को कोशिश की है। जिस तरह से मुसलमान भाई अपनी मुर्गी को हलाल करते हैं और फिर उसको पका कर खा जाते हैं उसी तरह से इन्होंने इस हिंदी भाषा की हत्या करके इसे काटा है। तो हम आदिवासी लोग जो केवल साधारण हिन्दी में समझ सकते हैं उनके हिसाब से यह भाषण उनका न हिन्दी में था, न उर्दू में था और न अंग्रेज़ी में। तो हम इसे क्या समझ सकते हैं ? एक तरह से केवल लीपापोती करने की उन्होंने कोशिश की है।

(श्री विजयपाल कटारा)

मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बजट भाषण है उसके अन्दर आदिवासियों के लिए कोई ऐसा राहत कार्य नहीं मिलने वाला है। आदिवासियों के लिए सबसे अधिक उत्थान के कामों की आवश्यकता है।

(१२.०० मध्यान्ह)

लेकिन इन लोगों को हमेशा छोटी मोटी बातें करके और आश्वासन देकर अपना कार्य खत्म कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेवेन्यू विभाग की दो बातें कहना चाहूंगा। रेवेन्यू विभाग के अन्दर आज बहुत गड़बड़ियां हैं। उनको आज कोई नहीं देखता। आज आदिवासियों के बीच में कम से कम १९५६ का सेटलमेन्ट किया हुआ है और जो जमीन नोतौड़ थी उसका पन्द्रह गुना लगान वसूल किया गया है। जब कि एक समय था सभी लोगों को अन्न अधिक उपजाने के लिए नारा दिया जाता था कि अधिक से अधिक अन्न उपजाया जाये। इन लोगों ने अन्न उपजाने के लिए जमीन को अधिक से अधिक काश्त के काबिल बनाकर काश्त करने की कोशिश की। लेकिन जहां सरकार की गलतियां हैं उनको जनता के ऊपर थोपा जाता है। जहां १० साल के पहले पैमाइश हो चुकी थी उस समय के जमीन के पट्टे अभी तक नहीं मिले। पट्टों के अन्दर आई हुई जमीन पर १५ गुना पैनल्टी लगाकर लगान वसूल किया है। नोतौड़ जमीन के इस प्रकार पैनल्टी लगाकर लगान वसूल करने से काफी गांवों के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा आपने यह भी नियम बनाया जिससे वहां जितने ग्राम थे वह खत्म करा दिये। आपने एग्रीकल्चर सरचार्ज लगाया-यह नियम भी बनाकर गरीब लोगों की हत्या की है। आपने और भी नियम पास कर लिये हैं कि उन पर पैनल्टी भी लगा दी जायेगी और उनकी खड़ी सफल भी खत्म कर दी जायेगी, नीलाम कर दी जायेगी और उनको बेदखल करके बिलकुल छोड़ दिया जायेगा। तो यह जो सरकार की नीति है बिलकुल गलत नीति है। इस नीति के आधार पर हम लोगों को पूरी तरह से राहत नहीं मिल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम गिरदावरी एक साल के बाद तहसील में पहुंचती थी। आज ३ साल तक गिरदावरी पटवारी के पास रहने से गिरदावरी में पक्षपात करके आदिवासियों को बीच में गुमराह करके लोगों की हत्या कर दी है। कम से कम गिरदावरी हर साल तहसील में पहुंचनी चाहिये। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि एक न्याय पंचायत में एक पटवारी....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (श्री केदारनाथ के सदन के प्रांगण में आर-पार जाने पर) देखिये, He has crossed the floor; हमारे और आपके बीच से क्रास करके गये हैं।

श्री विजयपाल कटारा : आप सोचिये, वे गिरदावरी न्याय करने वाले किस ढंग से करेंगे।

इसके अलावा दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि भूमि के अलॉटमेन्ट के लिए एक अलॉटमेन्ट कमेटी बैठती है और समय के अनुसार भूमि अलॉट नहीं होने की वजह से आज काश्तकार अपने मनमाने से जमीन जोत लेते हैं। तो मैं आपसे निवेदन

Page No. 87

(श्री विजयपाल कटारा)

करूंगा कि उस जमीन को अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा समय पर दी जाये ताकि हम जमीन ले सकें वर्ना वे बेदखल कर लिये जायेंगे और इससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी होगी। आज डूंगरपुर के अन्दर नोतोड़ ३ गुना, ४ गुना, १५ गुना और १६ गुना भी लगान वसूल किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों ने अपने खेत तक गिरवी रख कर सरकार का कर्जा चुकाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कम से कम उन बातों का अधिक से अधिक ध्यान करके सुधार करने की कोशिश करें।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, खाद के बारे में है। एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदार विभाग है। वह डूंगरपुर से बांसवाड़ा लेजा कर रख छोड़ा है। इतनी दूर, बहुत दूर हैड आफिस होने की वजह से डूंगरपुर के काश्तकारों को समय पर खाद, समय पर बीज, समय पर बैलों की तकावी प्राप्त न होने से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बांसवाड़ा कम से कम आने जाने में २० रुपये लोगों को खर्च पड़ता है। तो खाद को अगर आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग को कम से कम डूंगरपुर वापिस लाया जाये ताकि जो गरीब जनता है वह उससे लाभ उठा सके। वर्ना हम पहले ही पीछे हैं और भी पीछे करने की यह कोशिश हो रही है। आज कांग्रेस सरकार ने ऐसे नियम बनाये हैं कि जो गरीब थे वह गरीब ही हैं और जो अमीर थे वह आज भी अमीर हैं। आज जो कांग्रेस सरकार गरीबों के आधार पर जिन्दा रहने वाली है, आज कांग्रेस सरकार को मजबूत करने वाले आदिवासी हैं जंगलों में रहने वाले, महुआ खाने वाले, बोर्डर की रक्षा करने वाले लोग हैं। आप अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते। आज एक आदिवासी पुलिस में ५० रुपये पर नौकर है। आप हजार-हजार और दो-दो हजार रुपया पाते हैं लेकिन बाउन्ड्रीज़ पर सर कटायेगा वह आदिवासी। आप तो अपना बजट बनाकर बैठ गये लेकिन आगे कौन जायेगा? कम से कम आप उनको आर्थिक सहायता तो दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय मिलना चाहिए। मैं एक दो बातें और रखना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : According to your Whip's suggestions, 10 minutes.

श्री विजयपाल : जंगलात के अन्दर।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, sir, कन्वेन्शन सदन का यह है कि आपकी निगाह जिस पर पड़े...

श्री विजयपाल कटारा : जंगलात के अन्दर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, sir, उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था पार्टियों की हो सकती है, लेकिन सदन का कन्वेशन यह है कि आपकी निगाह जिस पर आ जाये वह खड़ा हो जाये और बोलने लगे, or he catches your ear वह बोलने लगेगा। बाकी यह बात सदन में ठीक नहीं है उसको एक्सपंज कर दिया जाये कि आपके व्हिप ने

Page No. 88

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह कर दिया था-न वहां कोई व्हिप है और न कोई और हैं। हम सदस्य हैं और वही बोलने वाले हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि यह गलत है और चेयर की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : He has caught my eye. There is no question of catching my ear

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह बहुत ही अनपार्लियामेन्टरी है। न जाने किन भावनाओं से माननीय सदस्य ने कहा है और यह आसन की प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is a parliamentary expression.

श्री उपाध्यक्ष : Order please. Catching the ear is not parliamentary.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, शिक्षा) : It is very bad, it should be expunged.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Catching the ear is not parliamentary.

श्री विजयपाल कटारा : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि १९५२ की खाद की वसूली की जा रही है। जब कि सरकार ने खाद दी या नहीं दी, लेकिन आज ५२ से ६३ तक की खाद की वसूली आदिवासियों से होती है। यह बड़े शर्म की बात है कि जब कि सरकार ने बीच में कभी मांग नहीं की और अब सरकार कहती है कि खाद का पहला बकाया है वह दीजिये। आज सन् ६४ चल रहा है, उसमें वसूली ५२ से हो रही है। पंचायत समिति सीमलवाड़ा और जिला परिषद् से बारबार इसको लिखा गया है कि खाद का कम से कम रेगुलेराइज़ कर दीजिए। जब कि मैं निवेदन करूंगा कि सीमलवाड़ा के अन्दर खाद का कोई हिसाब ही नहीं है। आप कम से कम जब कि आदिवासियों ने खाद नहीं लिया फिर भी उनके ऊपर थोपा जा रहा है। जो घाटा हो रहा है वह उनसे वसूल किया जा रहा है यह उनका कसूर है या सरकार का है ?

इसके अलावा आज जो हर प्रकार के कार्य कराये जाते हैं वह आधे श्रम दान से कराये जाते हैं। मैं कहूंगा कि आदिवासी एरिया होने की वजह से श्रमदान बहुत कम मिलता है। वहां के कई कार्य अधूरे हैं। हजारों कुवे अधूरे पड़े हैं। ५२ से लेकर आज तक कम से कम रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से निवेदन करूंगा कि वह इसमे प्रावधान रखते और इन अधूरे कार्यों को पूरा कराते। लेकिन हमारे जो अधूरे कार्य हमारे पास पड़े हुए हैं और दूसरे नये खड्डे और खोदने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहले कदम उठायें। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में इन अधूरे कार्यों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनी थी तो उसने क्या सिफारिश की और क्या जांच की ? कितने काम अधूरे हैं और कितनी रकम की उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आवश्यकता है ? लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। और नये तालाबों का सर्वे कराया जा रहा है। वह भी इलेक्शन के टाइम पर वोट प्राप्त करने के लिए कराया

(श्री विजयपाल कटारा)

जाता है। वोट प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आपको पसीना जरूर आयेगा। गरीबों को आगे रखने वाली सरकार, जो कि गरीबों के आधार पर मौजूद है, जो कि उनके आधार पर ही टिकी हुई है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आपने ६०-६५ साल के लोगों के लिए पेन्शन की है लेकिन जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास ५-५, ६-६ एकड़ एकड़ जमीन है उनको लगान में छूट कर देनी चाहिए। अगर ऐसा करती तो कांग्रेस सरकार और जिन्दा रह सकती थी दस साल के लिए, लेकिन मैं अब यह आशा करता हूं वह ज्यादा ज़िन्दा नहीं रह सकती।

मैं जंगलात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जंगलात से रिहायश के लिए कबाड़ा मिलना चाहिए। मैं दावे के के साथ कहता हूं कि वह किसी को नहीं मिलता है। कानून के अन्दर प्रावधान रखा जाता है कि आदिवासियों को रिहायश के लिए कबाड़ा दिया जायगा, लेकिन वह नहीं दिया जाता है। लोग बांसों के लिए भटकते हैं, कोई बांसवाड़ा जाता है, कोई डूंगरपुर जाता है और इस तरह से १०) २०) रुपये तो उसी में खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रजातन्त्री शासन में, पंचायती राज्य के अन्दर सस्ता न्याय मिलेगा लेकिन वह सबसे ज्यादा मंहगा हो गया है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलात के गार्डों की शिकायत है। जहां पर रक्षा की अवश्यकता है वहां पर हमारे भाई लोग रक्षा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फारेस्ट गार्डों के पास हथियार नहीं हैं, न उनके पास जूते हैं और न वर्दी है। हमारे यहां के एक गांवाई जंगल में दो आदमी रखे थे तो उनके पास न तो हथियार थे और न कुल्हाड़ी थी। उनको जंगल में बान्ध दिया गया था तो दूसरे रोज जाकर उनको छुड़ा कर लाये। यह हालत है उनकी। उसको कम से कम सुधारने की कोशिश करेंगे। जंगल विभाग के लोगों को सुविधाएं दी जायं तो वे रात-दिन उसकी रक्षा करेंगे। हमारे पास में बोर्डर पर गुजरात का बोर्डर है वहां पर रोज गाड़ी लगती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक पोइन्ट पर और बात कहनी है खास तौर से जो हमारा विभाग है उसके बारे में। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक शिक्षा का सवाल है तो सबसे ज्यादा आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार जरूर हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट और बोल लें।

श्री विजयपाल कटारा : ५ मिनिट और दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री विजयपाल कटारा : तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे पास बी० ए० और एम० ए० पढ़े हुए लड़के हैं। आप कहते हैं कि आदिवासी और हरिजनों को ऊंची ऊंचों सर्विसेज़ में लगायेंगे। मैं कहता हूँ कि मैं १० बी० ए० और एम० ए० पास लड़के दे सकता हूँ, लेकिन आज जगह

Page No. 90

(श्री विजयपाल कठारा)

खाली होते हुए भी उनको जगह नहीं है। यह एक ताज्जुब की बात है।

हमारे समाज-कल्याण विभाग को हमारे मिनिस्टर से हटाकर दा साहब के पास दे दिया है। दा साहब शायद इस काम को सम्हाल न सकें। वे दौड़-धाम करने वाले नहीं हैं। वे जयपुर और अजमेर के बीच में घूमने वाले हैं। पहले भीखाभाई थे वे दौड़-धाम कर सकते थे। ठीक तरह से कोशिश कर सकते थे। अपने काम को जिम्मेदारी से सम्हाल सकते थे। उनके पास से समाज-कल्याण विभाग दा साहब के पास आ गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग को और भी मजबूत किया जाय। आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं लगाई जांय।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

और प्रशिक्षण के जरिये वे लाभ उठा सकें, और जहां डूंगरपुर के अन्दर वस्तुओं की आवश्यकता है उनको पूरी करें वर्ना आगे बहुत दिक्कतें होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या हम लोगों को समय नहीं दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं अपनी शक्ति के अनुसार दूंगा।

श्री नाथूराम : उधर बैठने वाले आदिवासियों को समय दिया गया है और इधर बैठने वालों को नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा कि माननीय श्री ज्वालाप्रसाद ने कहा कि मेरी आई केच करने का प्रश्न है, फिर भी जो कुछ लिस्ट आती है व्हिप्स से उनको प्राथमिकता देता हूँ और उसी के अनुसार बुलाता हूँ।

श्री नाथूराम : पिछड़े वर्ग के साथ में ऐसा क्यों पक्षपात होता है। हमें अभिभाषण पर भी समय नहीं दिया गया है। समाज-कल्याण विभाग पर हम पिछड़े वर्ग की ओर से प्रकाश डालना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बात कर लें पार्टी में।

श्री नाथूराम : बात क्या करें, लिखकर दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जब पार्टियों का, इधर की और उधर की पार्टियों का तवज्जुब है जब एक ही राश शुरू हो जाता है तो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ की बात आनी चाहिये, क्योंकि आधा टाइम इधर का है और आधा टाइम उधर का है। तो मेरा सजेशन यह है कि एक इधर से बोले और एक उधर से जिससे दोनों साइड के व्यू आ जाय।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बजट पर आज तीसरे-रोज वाद-विवाद हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : केवल १५ मिनट।

श्री अब्दुल जब्बार : बहुत जल्दी ही।

इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री महोदय को थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ और वह

Page No. 91

(श्री अब्दुल जब्बार)

सजेशन बिल्कुल नया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे मेरे सजेशन को मानेंगे।

सबसे पहले मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि बजट पद्धति आज की नहीं है वह वर्षों से चली आ रही है, और बजट में क्या चीज़ होनी चाहिये इस बात के लिए खास तौर से अर्ज करूंगा कि जहां एक तरफ रूलिंग क्लास या रूलिंग पार्टी प्रिविलेज रहती है कि बजट बना सके तो उसकी पद्धति में जो सैंकड़ों वर्षों से जो नियम था वह मैं सुनाता हूं ?

'The king should enjoy fruits everywhere, but, at the same time, he should act like a slave in protecting his people.'

यह एक पद्धति टैक्सेशन की, राज्य करने की राजाओं के समय से चली आ रही है। लेकिन आज क्या चीज़ होती है कि जनता को प्रोटेक्ट करने में पैसा खर्च करने की व्यवस्था नहीं रखी जाती है, बल्कि अपने ऐशो-आराम में लगे हुए हैं, लक्ज्यूरियस लाइफ पास करते हैं, और जो सच्चे मायने में जनता को राहत चाहिये उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

इससे पहले कि टैक्सेशन पर आऊं, मैं टैक्सेशन की पद्धति पर अर्ज करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद में जो मैं सजेशन रखूंगा वित्त मंत्री महोदय उस ओर अवश्य ध्यान देंगे। To use Kautilya's figure of speech, taxes should be obtained as the fruit is plucked when ripe without injury to the plant. The flock should be shorn and not flayed. A carefully devised system of taxes, while producing adequate revenue, should not reduce the productivity of the tax-payer :

इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि यह जो टैक्स लगा दिया है वह टैक्स किस से लिया जा रहा है और उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य-मात्र के लिए राजस्थान प्रान्त के तमाम माननीय सदस्यों ने रिप्रेजेन्टेशन दिये लेकिन मैं पशुपालन विभाग को रिप्रेजेन्ट करता हूँ कि उन मूक-याचना करने वाले पशुओं की तरफ ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : यह किस इलहामी किताब से पढ़ा जा रहा है।

श्री अब्दुल जब्बार : राजस्थान में पशुधन कितना है, उस पर क्या व्यय होना चाहिए। इस ओर खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है।

१,८०,७२ ०००) एनिमल हस्बेन्ड्री के बजट में रखे हैं वित्त मंत्री महोदय ने और राजस्थान में गायें १,३१,८०,२५१ हैं, ८०, १८,०७७ भैंसे हैं। भेड़ें वगैरा कुल मवेशी ३,३५,१३,६१८ के करीब यह फिगर पहुंचता है। ऐसी स्थिति में जो बजट के प्रावधान हैं उनमें एस्टाब्लिशमेन्ट और रिसर्च वगैरा पर खर्चा जाता है। लेकिन राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने इस बात की कोशिश नहीं की कि राजस्थान की जनता को अच्छा विटेमिनाइज्ड फूड मिले जिससे उनकी तन्दुरुस्ती

(श्री अब्दुल जब्बार)

ठीक हो और बाह्य आक्रमण हो तो उन लोगों से हम लड़ सकें इस तरह की व्यवस्था हो सके इसके लिये उन्होंने दूध की ओर ध्यान नहीं दिया।

आप बाहर के देशों की नकल करते हैं लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बाहर के देश अपने समाज के लोगों के लिये क्या क्या किया करते हैं। इस संबंध में मैं आपके सामने कुछ कोटेशन्स रखता हूं "Milk in Englan" से और इस संबंध में अर्ज करता हूँ कि वहां पर ९५ हजार टन, या २० मिलियन गैलन दूध कए सप्ताह में होता है।

In any one week in Britain more than enough fresh milk is drunk to float the Queen Elizabeth–95,000 tons, or about 20 million gallons a week. जिससे महारानी एलिजाबैथ आराम से तैर सकती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जहां बटर मिल्क आदि का विटेमिनाइज्ड फूड में परसेन्टेज क्या होना चाहिये इस दिशा में हमारी सरकार ध्यान नहीं देती है। बजट बनाते समय मेडिकल ओथोरिटीज और हैल्थ ओथोरिटीज को बुलाकर उनसे इस बात की राय नहीं ली जाती कि कितने मिल्क बटर आदि की हमें व्यवस्था करनी चाहिये। प्रेस्क्राइ्ड डाइट में ८७ परसेन्ट वीट आदि, ४ परसेन्ट बटर, ४।। परसेन्ट मिल्क, फिर शुगर आदि, .२ परसेन्ट मिनरल आदि होने चाहिये। डाइट की इस प्रकार की किस्म होनी चाहिये लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जहां ३ करोड़ से ऊपर मवेशी रहती है उनके लिये हमारी सरकार ने इस बात की कि कोशिश नहीं की, उनके लिये घास आदि का पूरा प्रबन्ध करें। बड़ी बड़ी नर्सरीज जो दूसरी का काम करती हैं उनको बंद करके घास के लिये प्लोट तैयार करने चाहिये थे ताकि चरागाह का अच्छा प्रबन्ध हो सके और मवेशी चर सकें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि बजाय इस योजना के आज की शासन पद्धति के अन्तर्गत चारागाह फाड़े जा रहे हैं, घास के लिये और चारागाह के लिये जो लैंड थी वह और कामों के लिये ली जा रही है। सरकार तो क्या, स्वयं मुख्य मंत्रीजी यह फरमाते हैं कि जानवर पालने हैं तो घर में पाले जायं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे कहा जाता है? आज लोगों की हालत यह है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने प्रोफेसर महलोनोबिस को एक्सपेन्डिचर एक्सपर्ट की हैसियत से यहां के लोगों की माली हालत की जांच करने के लिये बैठाया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहां पर १० परसेन्ट लोवर स्टेटस के लोग ऐसे हैं जो आधा पेट खाते हैं और १० परसेन्ट ऐसे हैं जिनको पेट भर खाना तो दूर रहा तन ढ़कने को कपड़ा नहीं मिलता और रहने को उनके पास मकान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान का हिसाब रिसोरसेज और पोपुलेशन के आधार पर लगावें तो हमारे यहां लाखों आदमी ऐसे हैं जो आधा खाना खाते हैं या अर्ध नग्न रहते हैं। सरकार ने गरीबों के उद्धार के लिये क्या किया ? इस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो खर्चा किया है उसको आप देखें। जहां रिटर्न आने का सवाल है, नेशनेलाइजेशन करने का सवाल है अमाउन्ट लगाने के बाद उसका रिटर्न किस तरह से प्राप्त होता है उस तरफ ध्यान नहीं दिया है।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना

(श्री अब्दुल जब्बार)

चाहता हूँ कि देश क्या चाहता है ? देश खाने को रोटी चाहता है, तन ढांकने को कपड़ा चाहता है और रहने के लिये मकान चाहता है । आज हमारे प्रान्त में ३ लाख रुपयों की बड़े फख्र के साथ व्यवस्था मछली पालने के लिये वित्त मंत्रीजी ने की है । मछली पालने के लिये नर्सरीज वगैरा कायम की जायगी, फार्म्स खोले जायेंगे । इस तीन लाख रुपये को मैं वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि आप कट कर दीजिये । मछलियें खुद व खुद पलती हैं । इनको पालने की आवश्यकता नहीं है । आपका रिसर्च का ढंग गलत है । मैंने मध्य प्रदेश में देखा है । मछलियां गड्ढों में पड़ी पड़ी मर जाती हैं । जैसे पी० डब्ल्यु० डी० वाले सड़कों पर पेड़ लगा देते हैं पर उनको पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं करते इसलिये वे पेड़ सूख जाते हैं, उनको जिन्दा करने का साधन सरकार नहीं मुहैया करती इसी तरह से मछली पालने के केन्द्र बनाना भी व्यर्थ जायगा । हर साल ६१ में, ६२ में या ६३ में आप देख लीजिये ढ़ाई तीन लाख रुपये इसमें चले जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्नति की है आपने मछली पालने में ? तालाब बने हुए हैं उनमें मछलियां खुद ब खुद पैदा होती है, वे लाखों की तादाद में अंडे देती हैं । केवल सुधार करने की पद्धति यह है कि लाइसेन्स देने की पद्धति को ठीक कर दीजिये । इसके लिये कानून में अमेन्डमेन्ट करने की आवश्यकता हो तो अमेंडिंग बिल ले आइये । जितने लाइसेन्स दे सकते हों, देने चाहिये, ठेके की व्यवस्था करनी चाहिये । मछली पालन में आपने ये जो ३ लाख रुपये रखे हैं उनकी बचत की जा सकती है । आप कहते हैं कि बचत के क्या रास्ते हैं यह बताओ ? हम खाली तर्क के तौर पर ही नहीं कहते हैं बल्कि सही रास्ता बचत करने का आपको बता रहे हैं । ये ३ लाख रुपये मछली पालन के लिये रखे हैं ये बचा सकते हैं और २ लाख रुपये मुर्गी पालन और सुधारने के लिये रखे हैं ये ५ लाख रुपये आप बचा सकते हैं ।

हमारे यहां बाहर से गुड़ आता है । हमारे यहां गुड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये १ करोड़ टन गन्ने का उत्पादन बढ़ाना चाहिये क्योंकि गुड़ की ईल्ड टोटल वेट की चौथाई बैठती है । ऐसी स्थिति में १ करोड़ टन गन्ना ज्यादा उगाना चाहिये । मैं सहकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास कौनसा तरीका है जिससे गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ? सरकार के पास दो ही साधन हैं जो गन्ना उत्पादकों को उत्साहित कर सकते हैं वह है शुगर फेक्ट्रीज । राजस्थान की खुशकिस्मती या बदकिस्मती से यहां पर दो फेक्ट्रीज हैं-एक गंगानगर में और दूसरी उदयपुर के पास भोपालसागर में । ये एरियाज़ इतनी फसल देते हैं जिससे इन फेक्ट्रीज़ का काम चलता है । शुगरकेन के प्रॉडक्शन को किस तरह प्रोत्साहन देना चाहिये ? मजाक की बात यह है कि यहां पर गुड़ बनाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से सक्यूलर निकलेगा कि गुड़ नहीं बना सकते । और जब गन्ना ज्यादा मिलने लग जाता है तो मिल वाले नोटिस देकर उसको बंद कर देते हैं । १ करोड़ मण गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये बजट स्पीच और बजट मेमोरेन्डम में सरकार ने कहा है कि इतना प्रोडक्शन बढ़ायेंगे । ऐसी स्थिति में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मुर्गी पालन और मछली पालन फालतू हैं । मुर्गी तो मैं भी पालता हूँ अपने घर में और मेरी औरत भी मुर्गी पाल लेती है ।

Page No. 94

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप तो बताइये कि मुर्गी वालों को दिक्कत क्या है ? यह वित्त मंत्रीजी को बताइये ।

श्री अब्दुल जब्बार : शुगर फेक्ट्रीज़ कायम करने के लिये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ । आप कहेंगे कि बजट नहीं काटा जा सकता है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बड़ी प्लान में कट हो सकता है तो बजट में भी कट हो सकता है और इन्डस्ट्री लग सकती है पब्लिक सेक्टर में । उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा । जनता को राहत मिलेगी और काश्तकारों को प्रॉडक्शन की कीमत मिलेगी, गन्ना ज्यादा बोया जायगा और ज्यादा बोये जाने से उसकी युटिलिटी ठीक होगी और देश में कमी दूर होगी और आपको समाज सेवा का मौका मिलेगा ।

इसी तरह जब दुनियां भर के खर्चे करने के बाद किसी तरह इस बात की कोशिश नहीं करती है कि हम किस रूप में उस वर्ग को खुशहाल कर सकते हैं जिनसे सेवा लेते हैं । जहां एडमिनिस्ट्रेशन का लाखों रुपयों का बजट रखते हैं । एडमिनिस्ट्रेशन को खुशहाल रखना सरकार का काम है ऐसी बात न हो कि बदगुमानियां रहें । राज्य का यह नियम होना चाहिये कि गारन्टी ऑफ सर्विसेज हो । एड-मिनिस्ट्रेशन पर जहां इतने रुपये खर्च होते हैं वहां यदि आपने गारन्टी ऑफ सर्विस नहीं रखी तो आपका काम सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा । मैं आपके सामने दो लेटर्स कोट करता हूं और वित्त मंत्रीजी व जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दें: Office of the Settlement Commissioner and Ex-Officio Consolidation इनका लैटर नं० ८। अर्थ। २१६ डेटेड २४ सेप्टेम्बर ६१ इसमें से मैं २२ आदमियों के नाम पढ़ता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : २२ आदमियों के नाम न पढ़ें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Table of the House पर रख दीजिये ।

श्री अब्दुल जब्बार : इस तरह के जो तमाम ड्राफ्ट्समेन हैं उनको कन्फर्म नहीं किया जाता है । मैं निवेदन करता हूं कि कन्फ-मेंशन के बिना गवर्नमेंट सर्विसेज़ में सिक्यो-रिटी नहीं रहती है और उन्हें हमेशा यह खतरा रहता है कि हमें कभी भी कहीं फेंक दिया जायगा, हमें कभी भी टर्मीनेट कर दिया जायगा और कहीं फेंक दिया जायगा तो न जाने कहां फेंक दिया जायगा । मैं समझता हूं, ऐसी सूरत गवर्नमेंट सर्विसेज में ठीक नहीं है ।

इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में मैंने कई बार कहा है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में कन्फ-मेंशन नहीं होता है । असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स दस दस साल से सर्विस कर रहे हैं लेकिन उनका कन्फर्मेशन नहीं होता है । इससे हमारे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बद-गुमानियां फैलती हैं और उनके काम में स्लेकनेस आती है । आप लोगों को कहते हैं कि उन्हें वफादार होना चाहिए । लेकिन हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट आज कर्मचारियों की अवहेलना करती है और उसके कारण कई बातें खड़ी होती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सेनिटरी इन्स-पेक्टर को प्रमोशन देना चाहते हैं तो उसके सम्बन्ध में बराबर कार्यवाही नहीं होती है । सेनिटरी इन्सपेक्टर और मलेरिया इन्सपेक्शन

(श्री अब्दुल जब्बार)

में बड़ा भारी अन्दर है, इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं ।

एजूकेशन डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अर्ज करता हूं कि यह डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट है जहां देश के भावी नागरिकों का निर्माण होता है, जहां भारत के स्तम्भ तैयार होते हैं, जहां नाबालिग बच्चों को तैयार किया जाता है जो जवान होने के बाद अपने कन्धों पर देश की बागडोर सम्भाल कर उसको आगे बढ़ावें और उसे ऊंचा उठाने की कोशिश करें, भारतमाता की लाज रखने में तन-मन-धन न्योछावर करेंगे । आपके इस विभाग में क्या हो रहा है ? अफसोस है इसका कि इसमें आप कोई सुधार नहीं करते हैं । हायर सैकेन्डरी एजूकेशन के लिए जिस किताब को रिजेक्ट कर दिया जाता है वह बराबर चलती है । मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसी मजबूरी है मंत्री महोदय की, कौनसा प्रेसर है कि एक तरफ तो विद्यार्थियों का मॉरल बनाना चाहते हैं और इस दृष्टिकोण से सरकार कहती है कि यह किताब रिजेक्ट कर दी गई है, और दूसरी तरफ वह किताब पढ़ाई जाती है ।

इसके साथ ही स्कूलों में चोरियां होती हैं, किताबों की चोरियां होती हैं, और सामान की चोरी होती है । बेनीपार्क के स्कूल में चोरियां होती हैं । लेकिन उनके कारण गरीब मारे जाते हैं । इसके साथ ही हिन्दुस्तान आजाद हो गया लेकिन जो दासता की भावना है वह समाप्त नहीं हुई है । मैं समझता हूँ कि जब हर एक आदमी आजाद है तो इस दासता की भावना को समाप्त करना चाहिये । जिस तरह राजा महाराजा के जमाने में दबे हुए लोगों से बेगार ली जाती थी उसी तरह आज फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स से बेगार लेते हैं । आज उनसे कपड़े धुलवाते हैं और दूसरे काम करवाते हैं । मैं समझता हूं कि कानून के जरिये इस दासता की भावना को बन्द करना चाहिये । जो कानून का उल्लंघन करे उनके केसेज पुलिस को सौंपने चाहिए । मैं उप शिक्षा मंत्री को निवेदन करूंगा कि यदि आप बनीपार्क के सम्बन्ध में जांच करना चाहते हैं तो मेरे पास पोथी है, अखबारों की कटिंग है । दुनियां भर की चीजें इकट्ठी कर रखी हैं । वह सब मैं दे सकता हूं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अन्त में मैं यह कह कर समाप्त करता हूँ कि शिक्षक वर्ग में असमानतायें हैं उनका दूर करने की सरकार कोशिश नहीं करती है । तेरह, चौदह करोड़ का बजट में शिक्षा के लिए प्रावधान होता है लेकिन शिक्षकों में कितनी बैचेनी है, वे कितने परेशान हैं इसकी ओर ध्यान नहीं देते ।हैं । शिक्षकों की पीस आफ माइन्ट डिस्टर्ब होने के बाद उनसे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं । मैं उनकी पीस ऑफ माइन्ड डिस्टर्ब करने के लिए डिपार्टमेंट को जिम्मेवार ठहराता हूँ । डिपार्टमेंट उनकी ओर ध्यान नहीं देता है, और पक्षपात होने की वजह से बहुत सारे टीचर्स वहीं रह जाते हैं और जूनियर आदमी प्रमोशन पाते हैं । सीनियर आदमी का नम्बर १२ होता है तो उसको २१२ बनाया जाता है, अगर २१ होता है, तो २२१ बना दिया जाता है । मैं समझता हूँ कि इस तरफ शिक्षा

(श्री अब्दुल जब्बार)

विभाग को ध्यान देना चाहिये। आज इसके अलावा आप ग्रेजुएट टीचर्स लेते है, हायर सैकेन्डरी और कॉलेजेज के लिए तो नोटिस निकालते हैं, एम्प्लायमेंट नोटिस निकालते हैं और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को इन्फार्म करते हैं लेकिन शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है कि कितने ग्रेजुएट्स ऐसे हैं राज्य में, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में हैं और जिनको प्रमोशन नही मिलता। उन्होंने अपनी डाढ़ियां बढ़ा रखी हैं। उन्होंने शपथ ले रखी है कि तब तक डाढ़ियां बढ़ाये रखेंगे जब तक कि हमारा उद्धार नहीं होगा। वे ग्रेजुएट्स पड़े हुए हैं प्राइमरी स्कूल में। मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस रवैये को छोड़िये और बजाय इसके कि कोई नये ग्रेजुएट्स आप लायें उन्हीं ग्रेजुएट्स को हायर सैकेन्डरी और कॉलेजेज में उन्हें रखिये और नये लोगों को नीचे के स्कूल में रिक्रूट कीजिए। ऐसा नहीं करेंगे तो शिक्षा पद्धति खराब हो जायगी। मैं आज खुले रूप से कहता हूँ, आप चाहे मानें या न मानें कि सरकारी नौकरी में पक्षपात खुले आम होता है। मेरा निवेदन करना है कि इतना भारी बजट सदन से पास करवाना चाहते हैं तो जो सजेशन्स केबिनेट के मंत्रियों को और गवर्नमेंट को देते हैं तो उनका यह कर्तव्य होता है कि वे उन पर ध्यान दें। मैं वित मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि यह बजट सबके लिए नहीं तो कुछ के लिए अच्छा है। लम्बी चौड़ी बात मैं बाद में करूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन ने मुर्गीवालों की दिक्कतें पूरी तरह से सुन ली होंगी........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अब तांगे वालों की बात सुनिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप सुन लीजिए। समझने वाले समझ गये हैं; आप नहीं समझें, तो न समझें।

श्रीमान् बजट पेश हुआ, लफ्ज़ों की लताफत सुनने को मिली, एक शब्दाडम्बर से भरी हुई चीज़ हमारे सामने है। इस सिलसिले में संस्कृत के एक श्लोक से अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहूंगा :

"अहम् ढ़पोल शंखोऽस्मि
वदाम्येव ददामि न !"

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अपभ्रंश है या संस्कृत ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं ही हूं, मैं बैठा हूं। आपने अच्छा याद दिलाया। एक शेर उसके लिए याद आया—
"गुलशन परस्त हूं गुलशन ही से नहीं लगाव"
मैं कांग्रेसी हूं !

"फूलों की नहीं चाह,
कांटों से किये जा रहा हूं निवाह !"

एक माननीय सदस्य : शुभानल्लाह !

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इससे आगे बढ़ाइये कदम !

"मुझे होश है नहीं गुनाह किये जा रहा हूँ मैं"
आगे बढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय १५ मिनट का है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी रक्षा की जाय इन लोगों से तो पन्द्रह मिनट मेरे लिए काफी हैं। रक्षा नहीं की जायगी तो वह टाइम मेरे समय में से निकलवा दें।

श्री भैरोंसिंह : इनके पन्द्रह मिनट अब से गिने जयं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह निवेदन हमारा भी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पिछली साल बजट के वाद-विवाद के समय मैंने एक प्रश्न उठाया था। वह प्रश्न उठाया था इस बात का कि ओवर ड्राफ्ट ३६ करोड़ रुपये का है। ३६ करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट था, वह अब "Cat is out of the bag" इस बजट में पहली मर्तबा देखने को मिला है कि लोन्स के रीपेमेन्ट का भार जनता पर पड़ रहा है और हमारे सारे आर्थिक ढांचे के अन्दर, हमारे बजट के अन्दर, हमारी सारी बातों के अन्दर एक बहुत बड़ा वजन हमारे ऊपर रखा है। हम इसके लिए सीधे तरीके से चलें और जनता को कॉन्फीडेन्स में लेकर आगे चलें। इसमें मेरी तो इतनी बात नहीं। मैं इसके विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह ओवर ड्राफ्ट सिर्फ राजस्थान पर ही नहीं था बल्कि यह ओवर ड्राफ्ट दूसरी स्टेट्स पर भी था। लेकिन यह हमारी सरकार है यह सरकार एक बेकवर्ड सरकार है और यह उसी तरह बनी है जिस तरह पहले की स्टेट्स को मिला कर राजस्थान बना है। यह सरकार इस तरह की चीज को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मनवाने में नाकामयाब रही है। इसके अलावा और भी चार स्टेट्स थीं, जिन पर ओवर ड्राफ्ट था उन्होंने उस अमाउन्ट को राइट ऑफ करने की बात सोची और सरकार को रिप्रेजेन्ट किया। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस सरकार की तरफ ३५-३६ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट किया है, जिसको चुकाने के लिये कर्जे की व्यवस्था की है और जिस कारण कर्ज चुका कर घाटे का बजट बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में आज के दिन जहां राजस्थान की स्थितियों के बारे में इतनी इतनी बात करते हैं वहां इस तरह का बजट रख रहे हैं जो जनता को बिल्कुल राहत नहीं देता; बल्कि आप राहत देते हैं सिर्फ एक बात की और वह यह कि किस तरह से ३६ करोड़ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाया जावे। आप जनता पर टैक्स लगा देते हैं और वह भी ऐसे वक्त में जब जनता की ताकत टैक्स देने की नहीं है टैक्स लगाते समय जनता की ताकत को देखा जावे कि आया जनता की ताकत ४ या ५ करोड़ रुपये टैक्स के देने की है या नहीं। आप यह कहेंगे कि हमारी प्लानिंग है उसको कट नहीं किया जावे, इसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी है तो इस तरह की बातें करते हैं। मगर आज की तारीख में आप ३५करोड़ का कर्जा कमिट करते हैं जब कि दूसरी स्टेटों में इसी प्रकार के कर्जे को राइट ऑफ कराने की बात है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जिस तरह से दूसरी स्टेटों को रियायतें दी गई उसी प्रकार हमारी स्टेट को भी रियायतें दी जा सकती थीं। आप उसके लिए कोशिश करते मगर आपने इस संबंध में कुछ नहीं किया इसको हमारी जनता जानती है। प्रश्न यह है कि आज जिस समय ओवर ड्राफ्ट पेश होता है तो भूतपूर्व वित्त मंत्री यह ऐलान करते हैं कि शिक्षा पर ज्यादा खर्चा होता है इसलिए इस ओवर ड्राफ्ट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से राइट ऑफ करा दिया जावे। इसके लिये अगर आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लिखते और कोशिश करते इसी असनाय में जब रिज़र्व बैंक ने आपको पैमेंट के लिए कहा कि अगर इसका पैमेंट नहीं किया जायगा तो हम आपके प्लानिंग को कट कर देंगे। तो हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लोन लेकर पे कर दिया और भविष्य में आपने इसके पैमेंट के लिये कमिटमेंट कर लिया। मैंने बार बार यह कहा कि आप बताइये कि 'तरजीह बरफा' क्या है, फाइनेन्स मिनिस्टर को बताना चाहिये। मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। मुख्य मंत्री ने बताया कि कुछ तो है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह 'तरजीह बरफा' क्या है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप पर यह होगा तो पता चलेगा।

मुझे तो राजस्थान में रहना है। आपको रूस से पता चलेगा कि यह क्या है ? तो आपने जो कमिटमेंट किया है उसकी वजह से हमको दिक्कत आ रही है। आपको इस मामले को सदन में लाना चाहिये था मगर आपने इसको सदन में नहीं रख कर दूसरा रास्ता अपना लिया। मैं यह कहूँगा कि आपने इसको कमिट करने में इस सदन को कोन्फीडेन्स में नहीं लिया। आपने यह नही बताया कि रिज़र्व बैंक ने प्लानिंग में से कट करने की बात कही है और इस वजह से उस ओवर ड्राफ्ट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से चुका रहे हैं। इसका असर जनता पर यह होगा कि अगली दफा पेट पर पट्टी बांधनी पड़ेगी और जो आपने वायदे किये हैं उनके अनुसार देखा जावे तो अभी दो साल बाकी हैं तीन साल बीत गये हैं। ३५ करोड़ के हिसाब से १५ करोड़ रुपये साल के देने चाहिये। इस बोझ को हम सब सहन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आज जनता की हालत क्या है। जनता की हालत खराब है :

"बुभुक्षितः किं न करोति पापम्
क्षीणाः जनाः निस्करुणा भवन्ति"

(वित्त मंत्री महोदय के हंसने पर)

आपको तो हंसी आ रही है। आप इस को कैसे समझेंगे। आप तो इसको समझने के लिये लालायित हैं, मगर आप जैसों के समझ में यह नहीं आ सकती।

"बुभुक्षितः किं न करोति पापम्
क्षीणा : जना : निष्करुणा : भवन्ति"

(वित्त मंत्री महोदय के पुनः हंसने पर)

इस पर आप हंसते हैं तो हंसिये।

आपने अपने भाषण में कहा है विरादराना रिश्ते और कल्चर के बंधनों के बावजूद हमारा यह पड़ोसी हमारे बढ़ाये हुए हाथ को ठुकरा रहा है"। इसकी तकरीर आपने रखी है। इस बात पर मुझे बहुत आपत्ति है। वित्त मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कहा था हाथ बढ़ाने के लिए और आप होते कौन हैं हाथ बढ़ाने वाले ? यह काम आपका नहीं है। यह हाथ बढ़ाने का काम केन्द्र का है।

(विराम)

आप कहते हैं कि "विरादराना रिश्ते और कल्चर के बंधनों के बावजूद हमारे इस पड़ौसी ने हमारे बढ़ाये हुए हाथ को ठुकरा दिया है"। इस बात का आपसे किसने डिक्लेरेशन चाहा था जो आपने यहां दिया ? इस संबंध में जो

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कार्यवाही हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर रही है वह सही है। आप कौन होते हैं ? आप कोई नहीं होते। आप इस तरह से तरजियें पेश नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान से कोई सीधी बात नहीं करेंगे।

(विराम)

हमारा कोई रिश्तेदारी व विरादाराना हाथ नहीं बढ़ा हुआ है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में हम दो चीजें देखते हैं। एक तो यह कि हम जीना चाहते हैं और दूसरी यह कि जो आजादी हमें मिली है उसकी रक्षा हम करना चाहते हैं। इन दोनों चीजों के बाद दूसरी सभी चीजें हमारे लिये सेकन्ड्री होती हैं। जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो आपकी पुलिस का जो काम है उसे देख कर अफसोस होता है और गुस्सा आता है।

एक माननीय सदस्य : आप किससे बातें कह रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे बातें करता हूँ और करूंगा बात इनसे क्योंकि हुकूमत हमारी है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि जो बातें यहां पर कही जाती हैं वे हुकूमत को ही कही जाती हैं। हुकूमत सुन रही है इसलिये कहते हैं। आज जो पुलिस का निकम्मापन है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। रुपये पैसे खाना डेमोक्रेसी में गुनाह माना जाता है। आज हमारी आजादी पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिये। यह हमारा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। देश की रक्षा करना और इसके प्रति आपके डिपार्टमेंट का जो एटीट्यूड है और खास तौर से पुलिस का, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि आपकी असावधानी की वजह से आजादी को खतरा हो और वह कहीं छिन न जाए।

मैं आपको यह कहूँ तो मुझे कोई चिन्ता नहीं कि एक पाक नागरिक जो एक स्टेटलेस आदमी है अजमेर म्युनिसिपल बोर्ड में चुना जाता है और सदस्य रहा उसके लिये बताया जाता है जब सरकार को तो, सरकार की तरफ से यह उत्तर मिलता है कि यह ऑब्जेक्शन नोमिनेशन फार्म की जांच के समय उठाया जाना चाहिये था। इस तरह का दृष्टिकोण राष्ट्रीयता पनपाने में न तो सहायक हो सकता है और न हमें बर्दाश्त हो सकता है। इस तरह का देश में एप्रीहेन्शन कभी भी बर्दाशत नहीं किया जा सकता है।

(हिअर हिअर)

मैं जानता हूँ और इस बात को मानता हूँ कि हमारा संविधान है वह हमारी पवित्र आस्थाओं का प्रतीक है। कोई पार्टीबाज़ी नहीं है। किन्तु मैं यह कहूंगा कि कोई स्टेटलेस आदमी हो वह अगर आ कर हमारे बीच में दखल देता है और आप उसको प्रोटेस्ट करें तो यह एक बड़े शर्म की बात है। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात हकूमत के लिए और क्या होगी ? हमारे यहां पर एक हाई कोर्ट तो बाकायदा कॉन्सटीट्यूशन पर बना हुआ है और एक दूसरा हाई कोर्ट आपने सेक्रेटेरियेट में खोल रखा है। कोई भी ऐसी बात हो जिसको आप टालना चाहते हैं उसको लॉ डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। और लॉ डिपार्टमेंट और हाई

Page No. 100

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कोर्ट में जितना फर्क होना चाहिये, है। जिस चीज़ में आप अपनी जिम्मेदारी बचाना चाहते हैं उस मामले को लॉ डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग सेवाओं में नहीं चुने जाते। सिंध में प्रेसिडेन्ट क्या करता था वह मैं आपको बताता हूँ। वह क्या करता था कि लोगों को इकट्ठा करके एक पुस्तक जिसमें ६६ धाराएं बनी हुई होती थीं लेकर उन लोगों को कहता कि इसकी १०८ धारा है उसके अन्दर यह लिखा है कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको सज़ा हो जावेगी। उस समय बेचारे बिना पढ़े लिखे लोग होते थे वे उसी समय हाथ खड़ा करके वोट अपना दे देते। उसी तरह से आप ऐसे मामलों को लॉ डिपार्टमेंट को दे देते हैं। आपका यह लॉ डिपार्टमेंट ऐसा है जो कानून को पीछे की जगह लगाता है। जो कानून की किताबों में पेज नहीं होते हैं उसके आगे के पेजों में देखने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा करके आपका लॉ डिपार्टमेंट सारे मामले को गोल माल कर देता है। इसलिये मुझे यह कहना है कि जो बातें राष्ट्रीयता के खिलाफ हों उनको न करें। आपकी पास पोर्ट और आपकी पास पोर्ट बुक्स आदि कानून के तहत हैं उन पर ठीक तरह से निगाह रखी जाये और चिट फंड बन्द कर दिया जावे। जब आपसे कहा कि किसी अजनबी को हमारे कॉन्सटीट्यूशन की कसम मत खाने दें तो आप कहते हैं कि इस मामले को लॉ डिपार्टमेन्ट के पास भेज दिया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब देश मौजूदा समय में इस प्रकार की हालत से गुजर रहा है तो आपको किसी अजनबी को अपने कॉन्सटीट्यूशन की कसम नहीं खाने देना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं करता हूं, क्रिटिसाइज़ करता हूँ। इसके अलावा इन सारी बातों के साथ साथ मैं मेरी हुकुमत को आगाह करना चाहता हूं और एक मिसाल देता हूँ। आज कोई भी आदमी विदेश के आदमी के साथ सांठ गांठ करें, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, कानून की निगाह में सभी बराबर होने चाहिये। इसी तरह से सांठ गांठ करके बाहर के मुल्क से डिप्लोमेटिक, फोरिन एक्सचेन्ज के साथ साथ और बातें करें और ऐसा मामला हो और सरकार हमारी सोती रहे और हमारे इन्टेलीजेन्स विभाग को पता नहीं चले और उसके बाद वह आदमी यहां पर फिरता रहे तो फिर इस हुकूमत को क्या कहा जाए? मैं आगाह करना चाहता हूँ कि यह न स्वतन्त्र पार्टी का सवाल है न हमारा है, सभी पार्टियां कहेंगी कि उसको फौरन बन्द करना चाहिये, इसमें हम और दूसरे भी मदद करेंगे सरकार की, वे चुप क्यों हैं, हां क्यों नहीं करते? हम मदद करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, शिक्षा) : यह जनरलाइजेशन ठीक नहीं है, जब किसी आदमी के बारे में कह रहे हैं और हमसे जवाब मांग रहे हैं तो नाम बताना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उस व्यक्ति का नाम बताया जाय। जब तक किसी का नाम नहीं बताते तब तक क्या जवाब दिया जा सकता है?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपको जानकारी बहुत पहले ही दी जा चुकी है

(श्री भैरोंसिंह)

और आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ये १६४२ के पहले के कांग्रेसी बोल रहे हैं और आप १६५० के बाद के कांग्रेसी हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सदन की तरफ से कह रहा हूँ, इस प्रकार की गद्दारी, ट्रेटरशिप को नहीं पनपने देना है, इसमें सारा सदन आपके साथ है। आप पूछते हैं तो बता देता हूँ। श्रीमन् मुझे माफ किया जाय। एक साहब यहां से मोटर से गये पाकिस्तान। पाकिस्तान किस तरह गये? आपकी इजाजत से ही गये होंगे, ऐसा मेरा शुब्हा है।........

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिलकुल गलत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ठीक है आप तो यही कहेंगे, पर मैं तो प्रोसीक्यूटर हूँ, आगे की चीजों के लिए भी यही कहते रहना अगर हिम्मत हो तो। तो वह पाकिस्तान गये, घोड़े खरीदे, घोड़ों की कीमत, मरी के घोड़े बड़े अच्छे काम के होते हैं, उनकी कीमत करीब २० हजार है। कह दो आप कि १६ हजार ही थे, मैं 'तोताराम' नाम लेऊं तो आप 'सीताराम' बता देना, मुझे एतराज नहीं। फिर मरी जाते हैं, मरी लाहौर में एक जगह है........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : रावलपिण्डी के पास है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रावलपिण्डी के पास। वहां से घोड़े खरीदे गये, घोड़ों की कीमत २० हजार रुपया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : घोड़े कितने थे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : घोड़ों में आपको इन्क्लूड नहीं किया ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इनको गधों में किया है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इनको सेकिन्ड डिग्री में किया है क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं पॉइन्ट की बात करता हूं। देश की आजादी की रक्षा का सवाल है। इसलिये मैं यहां यह रख रहा हूँ। प्रत्येक घोड़े की कीमत ५ हजार से कम नहीं होती। पांच, चार घोड़े खरीदे गये। इसमें प्रश्न उठता है कि ये महाशय कौन थे ? किस तरह पाकिस्तान गये ? किस तरह २० हजार रुपयों में खरीददारी हुई। वे घोड़े ट्रेन से नहीं सड़क से राजस्थान में आए। आप पूछेंगे ऐसी हस्ती कौन है। मैं कहना चाहता हूँ कि अयूबखां जो पाकिस्तान के डिक्टेटर हैं या प्रेसिडेन्ट हैं उनसे बातचीत हुई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ देश की बात है इसलिए राजस्थान सरकार के सामने लाता हूँ, सब पार्टियों के सामने लाता हूँ मेरी गलत बात होगी तो उसके लिए क्षमा याचना करूंगा, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है, मैंने दर्शन नहीं किये किसी के। मैं यह कहना चाहता हूँ कि या तो फोरेन एक्सचेन्ज सरकार ने दिया है, यह मेरा चार्ज है सरकार पर, जो गरीब यहां से जाते हैं उनको आप ५) रुपये भी नहीं देते और आने वालों के साथ लाने नहीं देते पर आपने घोड़े खरीदने के लिए २० हजार का फोरेन एक्सचेन्ज दिया, बोलें तो सही राम के नाम पर ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of information, Sir, ये फैक्ट्स दे रहे हैं इधर उधर के और हम से जवाब पूछते हैं । हम कोई उत्तर नहीं दे सकते जब तक कि पूर्ण रूप से फैक्ट्स न रखे जायें, एम्बीग्युअस रूप दे रहे हैं तो यह उचित नहीं होगा । I would like, Sir, that there should be a direction from the Chair to the Hon' Member that he should give the name and full facts while making certain allegations. एलीगेशन्स रखें with the name.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इनका इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है ? इतना सब कुछ होता है और इनको कुछ पता ही नहीं । यह जानकारी मैं देना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि किसी विशेष बात की ओर संकेत कर रहे हैं तो स्पष्ट कहें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He wants a reply from us, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ये मुझे इन्टरप्ट करते हैं, इनसे मुझे बचाया जाय, श्रीमान् !

श्री निरंजननाथ आचार्य : We want to know because he wants to get a reply from us.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : २० हजार रुपया उनको दिया या अयूब खां साहब ने इन्तजाम कर दिया, पर घोड़े राजस्थान में आये । अब मैं नाम लेता हूँ, इसकी एन्क्वायरी की जाय । ये घोड़े, हमारे महाराजा साहब जयपुर हैं, अयूब खां से उनका सम्बन्ध है, उनके लड़के श्री जयसिंह महाराजकुमार ये घोड़े लेकर आये हैं ।

यह बात मैंने इसलिए नहीं कही कि शायद यह समझें कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी हो । मेरे सम्माननीय साथी, मेरे साथी हैं, मुझे उनके प्रति सम्मान है । आज इस तरह से सरकार की इन्टेलिजेंस ब्रांच क्या काम करती है, पूरी निगाह रखनी चाहिये और कोई भी आदमी हो चाहे वह कितना ही बड़ा हो, ए.से जेड. कोई हो, आपने पहले हिम्मत का काम किया है, जब कहा गया कि पूंजीपतियों की सरकार है तो पहले नोटिस में आते ही पकड़ा है । इस तरह का कोई फॉरेन एक्सचेंज का मामला हुआ है तो आप अलर्ट हों, अलर्ट ही नहीं, एक दिन में जवाब दें कि इस तरह की चीज़ यहां हुई है । मैं स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से, राजा रानी की तरफ से पावर लेता हूँ कि आज इस तरह की बात का दण्ड दें, इस तरह की बात हुई है तो फौरन कानूनी कार्यवाही करें ।

(१२.५५ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति पदासीन)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : यह कौनसे साल का किस्सा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दिसम्बर, जनवरी १९६३ का । आपके पास वायरलैस नहीं है, चिट्ठी घोड़े-गधों से आती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : घोड़ों का प्रश्न और पाकिस्तान से खरीदे जायं जैसे यहां घोड़े हैं ही नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जैसे घोड़े यहां बहुत हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो फिर घोड़े खरीदने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऐसे घोड़े की कीमत कितनी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जितनी भैरोंसिंहजी की है उससे सवाई।'

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिये। इस तरह के घोड़े हिन्दुस्थान में नहीं हैं, पोलो के लिए घोड़े खरीदते हैं मरी डिस्ट्रिक्ट से। मरी डिस्ट्रिक्ट के घोड़े सारी दुनियां में मशहूर हैं। आपने अगर फॉरेन एक्सचेन्ज नहीं दिया है तो इसके पीछे पूरा षड्यन्त्र है, इसकी पूरे तरीके से जांच होनी चाहिये। बालकट जैसा आदमी यहां आया, बालकट के बारे में आपकी इन्टेलिजेंस ब्रांच को पता नहीं चला, आपको उसके बारे में पता नहीं चला. लोक सभा में महारानी जवाब देती हैं और आपको पता नहीं। यहां होटलों में लोग फॉरेन करेंसी एक्सचेन्ज करते हैं, होटलों में बड़े बड़े लोगों के द्वारा इस तरह के काम होते हैं, इन पर आपकी इन्टेलिजेंस ब्रांच निगाह नहीं रख सकती, इससे देश की आजादी को खतरा पैदा हो गया है।

(१.०० म. प०)

इस चीज में इन घोड़ों और गधों की बात नहीं है। यह तो कई दफा सुना है। ये घोड़े वे हैं जो पोलो के हैं। कई दिन तक वहां राजकुमार साहब रहे थे। २० हजार वहां से चुरा कर और २० हजार यहां से चुराकर, ये घोड़े कैसे आ गए। यदि वह प्रेज़ेन्ट है तो ऐसी प्रेज़ेन्ट घूस कहलायगी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir, यहां की व्यवस्था यह हो चुकी है कि ऐसे एलीगेशन्स अगर लगाए जांय तो हमारा प्रावधान बहुत साफ है। रूल २७४ के अनुसार आपको पहले ही नोटिस देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय उप-मंत्रीजी और माननीय सदस्य मिलकर बोल रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है, तब सारा मामला रख दिया जाय, इसके बाद पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो उनसे मिला हुआ ही हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हूं। झूठा चार्ज तो मुझ पर आपसे मिले हुए रहने का लगाया जाता है। उसकी सफाई आप देते हैं (+ + + + +, यह भी मैं कह सकता हूं।)

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत है कि मैंने बताया है। यह गलत है, इसको विद्ड्रा करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो कुछ भी आपने बतलाया उसकी मैंने जांच कराई। उसके बाद कहा है। आज आप डर रहे हैं। जहां खुशबू आती है, सूंघ-सूंघ कर दिमाग तर हो रहा है।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

+ + + + + अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी तक तो मैंने नेशनल मामले खत्म किये ।

हमारे बजट के अन्दर कोई समाजवाद नहीं आता है । हमने कहा है कि पीसफुल ढंग से डेमोक्रेसी के जरिए रीअलाइज करना चाहते हैं । इसमें आप अपनी नीतियों को खराब करते हैं, लूटने की नीतियां हैं आपकी, लुटेरे बन जाइये । गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने वाली सरकार किसी तरह से वायोलेंस से काम नहीं लेती । यह सरकार डेमोक्रेसी की लूट करती है......

श्री रामकिशन (वैर) : आप तो समाजवादी हो गए हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह समाजवाद नहीं जिसका कोई हुकूमत नहीं हो दुनिया के अन्दर । यह हमारी कांग्रेस का समाजवाद है । तो मैं कह रहा था कि इस बजट के जरिए सरकार हमारा गला घोंट रही है । हमारे गरीब किसान की हालत को देखिए । फोर्थ क्लास कर्मचारी की हालत को देखिए, उसको कोई एहसास नहीं है डेमोक्रेसी का । आज हमने इसको पांच रुपये बढ़ाकर दिए । मैं कहता हूं कि पांच रुपये खत्म करो, पांच रुपये हमें नहीं चाहिये । आप सस्ते अनाज की दुकानें खुलवायें, आप दाल, नमक, मिर्ची, तेल आदि की दुकानें खुलवाये और आज से पहले जो मंहगाई न थी उस भाव पर दिलाने का इन्तजाम करें । क्या आप रुपये खाते हैं ! रुपया कोई नहीं खाता । इनकी चीजें आती हैं । दिसम्बर अक्तूबर, नवम्बर में अनाज की ट्रेन्स जा रही थीं, लूट रहे थे । गरीब किसान १६ रुपये मन में लूटा जा रहा था । आप सोते रहें और आपकी मशीन कैसे चलती है ? जब समय निकल जाता है तो ३२) रुपये के भाव से गेहूं बिकते हैं । किसान १६) रुपये में बेचे और जनता ३२) रुपये में ले ले । यह जो बीच के करोड़ों रुपये राजस्थान के अन्दर कहां गए । राजस्थान का ७२ करोड़ का बजट है । ये ७२ करोड़ रुपये बीच वालों ने तीन माह में कमाए हैं । लूट हुई है, राजस्थान में ही नहीं, सब जगह । यह अनअर्न्ड मनी है जिसकी आपने व्याख्या की है, यह अनरीजनेबल मनी है । १६) रुपये मन वाला अनाज ३२) रुपये में बिके, यह षड़यन्त्र है, जनता के साथ ब्रीच है । इस रुपये ने हमारे सारे तबकों को खराब कर दिया । यह क्रिमिनल ब्रीच है जनता के साथ । जो मंहगाई जिस तरह से आई है उस मंहगाई के तहत जनता की तनख्वाह को लूटा गया है । हम इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते । मैं आपको एक बात और ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस एक मामला और है ।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें जल्दी समाप्त कर लें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कहना चाहता हूं कि एक बात यहां पर माननीय सदस्यों ने उठाई है । करप्शन है । मैं कहता हूं कि जो एक्साइज़ के ठेके हुए हैं उनके बारे में मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो गारन्टी सिस्टम लागू हुआ तो जो फर्मों के नाम लिए हैं उनको ६ महीनों की छूट दे दी गई कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तुम छः महीने में इम्प्रेस्ट मनी जमा करा देना। एक आदमी को लाया गया। इम्प्रेस्ट मनी एक साल चला। दूसरे आदमियों ने ४। परसेन्ट ज्यादा देना चाहा बाद में कागज साइन करके आगे बढ़ा दिया। दूसरे साल वह पार्टी चली। तीसरे साल क्या हुआ ? मैं यह सदन के सामने रखना चाहता हूं। मोटिव इम्प्यूट नहीं करता हूँ कोई। लेकिन वित्तमंत्री पर यह मोटिव लागू हो जब कि एनेमलो ऐसी होती है तो लोग कहते हैं कि भला आदमी था, लेकिन कोई न कोई इस प्रकार की चीज़ है तो बेईमानी की होगी। करप्शन की बात को लेकर कोई इन्क्वायरी करें तो वह पूरी तौर पर नहीं सफल हो सकती। साधन हैं तो दबा सकते हैं। यहां पर हुआ कि कीमतें हटा दी गईं। फिर केबिनेट का नोटिफिकेशन निकलता है, कीमतें इम्पोज़ की जाती हैं। कीमतों के बाद नाजायज ढंग से गवर्नमेन्ट की जानकारी में था, मिनिस्टर की जानकारी में था कि १) २) ज्यादा लेते रहे। मुझे ही नहीं मालूम है ....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं कि यह कहा जा रहा है कि मिनिस्टर की नोलेज में था, यह बिलकुल गलत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इसके लिए आज कहता हूँ कि मिनिस्टर साहब से सवाल किया गया था, एक अखबार में निकला था-'आजाद' में कि मेरी जानकारी में है, धीरे २ ठीक होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : यह गलत है, अखबार वाले जो चाहें लिख सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अखबार वाले ने लिखा है। अजमेर में इन्टरव्यू लिया है। नहीं कहा तो कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं निकाला।

श्री बालकृष्ण कौल : हर बात में कॉन्ट्राडिक्शन देना मैं मुनासिब नहीं समझता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो सच्ची बात होगी उसको भी कहना मुनासिब नहीं समझते।

केबिनेट ने तय की। अखबारों में निकला है। ठेले और साइकल पर शराब बिक रही थी। जब क्राइम बढ़ने लगे तो प्रासेज कन्ट्रोल की। उसके बाद इसके अन्दर गारन्टी रखी हुई थी टेन्डर मांगने का कर दिया। टेन्डर मांगे उसकी हालत बताता हूं। दो तरह के टेन्डर्स निकालते हैं। एक तरह का हो तो कोई फंस जाय। दस दुकानों के टेन्डर्स हैं। चिट्ठी एक को लिखते हैं। उसके बाद कोई दूसरा टेन्डर नहीं देता है इसलिए कि दस परसेन्ट इम्प्रेस्ट रखा है। शराब की कीमत का नहीं। एग्रेगेट एक्साइज की कीमत लगती उसका दस परसेन्ट। चार लाख रुपया कोई नहीं रख सकता। सेक्रेटेरियेट में आदमी गये। कहा कि ऊपर से होता है। इसके लिए इन्क्यारी करवा लेंगे। सवाल यह है कि चार लाख इम्प्रेस्ट मनी दें, एक टेन्डर आये, तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार आदमी आ सकते हैं क्या ? सब दुकानों के आयेंगे तो किसे देंगे ! जिसकी जमानत नहीं देनी होती है, पुलिस कोर्ट में कहती है कि २० हजार की जमानत ले लो। उसी की ली जाती है जो दे सकता है। सेशन जज़ के पास केस जाता है तो कहते हैं कि पांच सौ की ले लो। सब को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हक है । तीन साल से एक आदमी का पैसा लगे हुकुमत क्या कहती है ? चित्राल का गांजा मैं यह चार्ज लगाता हूँ, यहां जयपुर में आकर बिकता है । चित्राल पाकिस्तान से आया हुआ गांजा यहां जयपुर में आकर बिकता है । मैं यह चार्ज लगाता हूं । यह सब काम हो रहा है । आपकी नाक के नीचे हो रहा है । उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? यह कांग्रेस विरोधी नीति आपने अख्तियार की है । आपने क्या किया है ? आपके यहां स्प्रिट ही नहीं है । सब खत्म हो गयी । अब बनानी थी । वह ऐसा आदमी है नजीब, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, बिना कपड़े रहेगा, नंगा रहेगा, लेकिन शराब बिना नहीं रह सकता । आपने प्राइस बढ़ा दी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा ।

करोड़ों रुपया प्राप्त हो गया उनसे ? कौनसा कानून है इसमें ? आज भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से आदमी ईमानदार हैं । ऐसी बात नहीं है लेकिन न मालूम कौनसा स्पेशीयर बना लिया है । एक अफसर कलेक्टर बना हुआ है । एक फोरिन लीकर की दुकान थी उसको छूट दे दी, फाइल पर लिख दिया कि एफ. एम. डिजायर्स । आप चाहे तो 'एफ० एम० डिजायर्स' लिखा हुआ है देख सकते हैं । आप ईमानदार की ईमानदारी रखवाते नहीं हैं । जो आदमी कमजोर है चाहे उसकी कैसी ही रेपुटेशन को करेक्टर के माने में उसकी ईमानदारी को आप चलने नहीं देना चाहते । इस तरह की बातें हैं । हमारी सर्विसेज के अन्दर बहुत से ईमानदार आदमी हैं । जो ईमानदार हैं उनको थपथपाते नहीं हैं और जो खुशामद करने वाले हैं उनको सिर पर लादते हैं ।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

छोड़ दो इस पर जो सर चार्ज लगाया है । उसको छोड़ दो । वह सर चार्ज बिलकुल गलत है । आपको उसको छोड़ देना चाहिये ।

(विराम)

जब किसानों ने आपको यहां भेजा है । उसके साथ वफादारी रखनी चाहिये । ४६ परसेन्ट वे आपको आमदनी देते हैं । १३ परसेंट स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ देती हैं । १ परसेन्ट आपको देते हैं १२ आदमी, बिड़ला, कमानी आदि । उनको एवज़ में कितना सरकार देती है ? हेवी इन्डस्ट्रीज़ को कितनी छूट देती है । वे आपको फिर भी १ परसेन्ट इनकम देते हैं । सदन के लोग जानते हैं कि १ परसेन्ट देने वालों के क्या करिश्में हैं । माननीय सदस्य जब यहां से जावें तो जाते हुए यह देखें कि मजदूरों के हित चिन्तक कहलाने वाले और मजदूरों की कमाई पर पलने वाले वे १परसेन्ट जो आपको आमदनी देते हैं उनके चेम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्घाटन हो रहा है और वे जगमगाती हुई रोशनी आप देखेंगे । यह है एक परसेन्ट आमदनी देने वालों के करिश्में । इसके बावजूद भी आप उस भूखे और नंगे किसान और मजदूर पर ४६ परसेन्ट जो आप को आमदनी देते हैं उन पर सरचार्ज लगाना चाहते हैं ।

(करतल ध्वनि)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Order please!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इन शब्दों के साथ वित्त मंत्रीजी को उनके भाषण के लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करौल।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : माननीय सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : वे तो बोल चुके हैं।

श्री नाथूलाल करौल : माननीय सभापति महोदय, सन् १९६५-६५ के बजट भाषण पर वाद-विवाद हो रहा है। जो बजट के अन्दर प्रावधान रखे गये हैं वे इस प्रकार हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कॉम्युनिटी डेवलप्मेंट के लिए प्रावधान अच्छे रखे हैं लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूँ कि वे यह देखे कि राजस्थान के अन्दर लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण आपका सफल हो रहा है या नहीं। मैं माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस राजस्थान में यह डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सफल नहीं हो रहा है और इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह एक गलत कदम है।

मैं राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन को खत्म किया जाय। अगर यह खत्म हो जाता है तो बजट जो घाटे का पेश किया है उसकी पूर्ति हो सकती है।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार से मैं यह कहूँगा कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन एक अच्छा कदम है, लेकिन इस विकेन्द्रीकरण को मैं विनाशकरण ही कहूँगा क्योंकि इस विकेन्द्रीकरण के कारण गांव गांव में फिरकापरस्ती, जातिवाद और आपस में वैर-भाव का बीज बोया है। आज कांग्रेस का जो पतन का कारण बना है तो यह विकेन्द्रीकरण बना है। विकेन्द्री करण की वजह से कांग्रेस का सन्तुलन गिर गया है, नहीं तो कांग्रेस की महत्वता कभी नहीं गिरती। समय थोड़ा होने की वजह से मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहता क्योंकि इस बारे में कट मोशन्स भी मैंने दिये उस समय इस बात पर ज्यादा प्रकाश डालूंगा। अब मैं रोडवेज ट्रान्सपोर्ट के बारे में और सार्वजनिक निर्माण के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of Privilege, Sir, माननीय सभापति महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में जो मेरे लिए बात कही थी वह बिल्कुल सत्य नहीं है। उन्होंने मेरे लिये यह कहा था घोड़ों की खरीद के बारे में सूचना मैंने उनको दी थी यह बिल्कुल बेबुनियाद है। इस बात को लेकर मैं माननीम सदस्य से पूछना चाहूँगा अगर उन्होंने जो बात कही है वह सत्य है तो उसके बारे में वे प्रमाण पेश करें। अगर वह सत्य नहीं है तो उन्होंने जो शब्द मेरे लिये कहे उन शब्दों को वापिस ले लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मैं यह कहना चाहता हूँ उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं कहा, यह बात सही है कि जो बात रेकॉर्ड में आयी है वह मुझे उन्होंने नहीं बताई। मेरे साथी कुछ देश भक्त लोग उधर भी बैठे हैं जो उनके नज़दीक ही बैठते हैं उनसे मुझे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह जानकारी मिली है। और वही खबर मैंने सदन में देने की कोशिश की है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपको किसने कहा, यह तो बतलाइये ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको मित्र नहीं मानता। किसने कहा है, यह मैं नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह : तो ऐसी हालत में सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो मेरे बारे में कहा और जो रेकॉर्ड में आ गया है उसको एक्सपन्ज करने की आप आज्ञा प्रदान करें।

श्री सभापति : क्लेरिफिकेशन कर दिया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह बहुत आवश्यक है, वह इसलिए कि जब क्लेरिफिकेशन में यह साफ हो जाता है कि जो बात उनके द्वारा कही गई मेरे लिए वह असत्य है तो ऐसी चीज रह जाती हैं एक पोर्शन के अन्दर और दूसरे पोर्शन में इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन आ जाता है तो उसका क्या महत्व रह जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य द्वारा जब क्लेरिफिकेशन कर दिया, उससे मामला स्पष्ट हो गया। अब इसको एक्सपन्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, किसी सदस्य को मान लीजिए गाली निकाल दी जावे और उसके बाद माफी मांग ली जावे और गाली निकाली गई वह जो चीज़ रेकॉर्ड में आ गई उसको रेकॉर्ड से नहीं हटाया जाता है तो उसका माफी मांगने का क्या मतलब रह जाता है....

श्री सभापति : यह गाली नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : यह गाली आपके लिये नहीं हो सकती मैं। उसको गाली से भी सीरियस लेता हूं। मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि आप इन शब्दों को एक्सपन्ज करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ यह बेकार की कन्ट्रोवर्सी है। जिन सदस्य को जो कुछ कहना था वे कह गये। जब उन्होंने माननीय सदस्य का नाम लिया उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, अब एक घण्टे बाद कहते हैं ...

श्री चन्दनमल वैद (उपमंत्री, उद्योग): यह तो लोयल्टी दिखाने की बात है।

श्री मानसिंह महार : जिनका उन्होंने नाम बताया है वह जरूर प्रोसीडिंग में रहना चाहिये। गलत कह रहे थे तो उस समय रिफ्युट किया जाना चाहिये था, घण्टे के बाद में यह दिमाग में बात आयी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो अभी कह रहे हैं वे कई दफा दो दो घण्टे के बाद अपने शब्दों को वापिस लेते हैं। उनके उपदेश की जरूरत नहीं। न मैं आप से डरता हूँ, न भैरोंसिंहजी से डरता हूँ। उन्होंने मुझे कहीं भी यह बात नहीं बतलाई यह मैं फिर रिपीट कर देता हूं।

श्री मानसिंह महार : आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल झूठ है। यह कोई छोरे छोरियों का खेल नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : छोरे छोरियों के खेल के लिए तो आप ही काफी हैं।

श्री मानसिंह महार : आपको यह बात किसने कही, आप बताइये ना, आपमें हिम्मत है तो? आपने बिल्कुल हमारे पार्टी के सदस्य पर झूठा आरोप लगाया है। इधर के किस सदस्य ने आपको बतलाया, उसका नाम तो बताइये?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पहले गवर्नमेंट का जवाब आने दें, वह भी मैं बता दूंगा।

श्री मानसिंह महार : गवर्नमेंट से हमारा कोई मतबल नहीं आपने यह कहा कि हमारे मित्र स्वतन्त्र पार्टी में भी हैं उनमें से किसी ने बताया है इस प्रकार का आक्षेप हमारी पार्टी के सदस्य पर किया जाता है वह सरासर गलत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्वतन्त्र पार्टी में हमारे साथ में रहे हुए साथी भी हैं।

श्री सभापति (श्री करौल से) : क्या आप बोलना नही चाहते?

श्री नाथूलाल (करौल) : मैं रोड़वेज के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, रोड़वेज़ के कर्मचारी रोड़वेज़ में घाटा पटकते हैं। और बराबर पटकेंगे। ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स ऊपर के ऊपर पैसा होता है, खा जाते हैं, खजाने में पैसा भी जमा नहीं कराते हैं। कन्डक्टर पैंसेंजर से पैसा लेकर उनको बिना टिकट बिठा लेते हैं और पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं और इस तरह से रोड़वेज़ विभाग घाटे में रहता है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के अन्दर कहा है कि रोड़वेज़ की आमदनी व खर्च को राज्य के लेखे में से निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूं यह जो धन को निकाला गया है इसका अपव्यय है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं अभी चाकसू में होने वाले मेले पर इन रोड़वेज़ के कर्मचारियों ने खूब पैसा मारा है, खूब गबन किया है यह मैंने आखों देखा है। वहां पर उन्होंने पेसेन्जरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है जिसकी वजह से शाम के ४ बजे से लेकर सुबह चार बजे तक वहां पर पेसेन्जर पड़े रहे। मैंने रोड़वेज़ विभाग अधिकारियों से पहले ही यह कह दिया था कि आप इस रूट पर इस मेले के समय जितनी ज्यादा से ज्यादा बसें चालू रख सकते हैं रखें ताकि पेसेन्जर्स को तकलीफ उठानी न पड़े। अगर आपसे यह इन्तजाम न हो सकता हो तो प्राइवेट बसेज को चलाने की इजाजत दीजिए। उस समय Depot Managar ने कहा हम अपनी गाड़ियां लगावेंगे। पेसेन्जरों को किसी प्रकार भी तकलीफ नहीं होगी। सभापति महोदय, मेला वहां का चार बजे शाम को समाप्त हो जाता है। सुबह के चार बजे तक हजारों की तादाद में लोग वहां पर पड़े रहे उनके बच्चे तड़फते रहे अगर राज्य सरकार प्रकार का इन्तजाम न करती तो हम दूसरा कदम उठाते.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे एक दो बातें और कहनी हैं। या तो मुझे

(श्री नाथूलाल करौल)

कल समय दिया जाय या कुछ देर तक मुझे और बोलने दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे क्या निवेदन करूं राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन इन दो सालों में इतना गिर चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं लगातार सात साल से विधान सभा का सदस्य हूँ। इन दो सालों में जितना प्रशासन गिरा है उतना गत पांच सालों में भी नहीं गिरा था। इन दो सालों के अन्दर प्रशासन में बहुत कमजोरी आगई है जिससे ऐसा मालूम होता है कि यह राज्य अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं रेवेन्यू विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सरचार्ज लैंड रेवेन्यू राज्य सरकार ने लागू किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, लैंड रेवेन्यू सरचार्च........

श्री भैरोंसिंह : सदन का समय हो गया। आपने समय बढ़ाने का डिसीज़न नहीं लिया है ?

श्री सभापति : माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने जो प्रिविलेज का सवाल उठाया था I think these words should be expunged.

श्री नाथूलाल करौल : माननीय सभापति महोदय, लैंड रेवेन्यू सरचार्ज सरकार ने लगा दिया। सदन के इस ओर से और उस ओर से बोलने वाले सभी सदस्यों ने इसका विरोध किया था। सत्तारूढ़ दल ने तो बंधे होने से चुप्पी साधली और बैठ गये।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः आठ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० १ बज कर ३० मिनिट पर, कल म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक १२ मार्च, १९६४)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

चीनी का कोटा-पंचायत समिति क्षेत्र दूदू।

"जन ताकत" साप्ताहिक के सम्पादक की गिरफ्तारी।

जल प्रदाय योजना-चाकसू।

फील्डमैन द्वारा सरकारी रकम का दुरुपयोग।

कीटाणुयुक्त पानी के निकास की व्यवस्था।

कृषि स्नातक।

कैदियों को खुराक।

नर्सिंग शिक्षा।

गंगनहर क्षेत्र में मोगे तोड़ने पर तावान।

निवाई रेगर चर्म उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड के चमड़ा गोदाम की जमीन का मामला।

भूमि का मुआवजा, तहसील सांगोद।

रेवेन्यू तथा फोरेस्ट सैटलमेन्ट के नक्शों का मिलान नहीं करने से कठिनाइयां।

स्कम्भ

नये बांध का निर्माण, तहसील कामां।

सिवाय-चक भूमि का अलॉटमेन्ट और चरागाह।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि वितरण।

चुंगी चौकी, नगरपालिका दौसा पर काटी जाने वाली रसीदें।

सिधमुख ब्रांच नहर योजना।

वसूली के मामले-एस. डी. ओ. ऑफिस नीम का थाना।

तालाब निर्माण कार्य, ग्राम बेलार।

नगरपालिका, सोजत रोड।

तकावी की वसूली में बैलों की नीलामी, जिला बांसवाड़ा।

अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज योजना, गंगानगर।

पुनर्ग्रहीत उप-जागीरें, जिला झुन्झुनूं।

स्तम्भ

अलॉटमेन्ट कमेटी की बैठके तहसील बाड़ी।

व्हील बैरोज की खरीद।

गटर लाइन, जयपुर।

अकाल-ग्रस्त ग्राम-तहसील बाली व देसूरी।

थाना नोखा क्षेत्रान्तर्गत चोरियां।

शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में डकैतियां।

मुअत्तिल थानेदार।

करौली-महुआ-मन्डावर सड़क पर दुर्घटनायें।

बीकानेर नगर सुधार प्रन्यास।

जागीर मुआवजा-जिला जयपुर।

डाक्टरों का अभाव–जिला चित्तौड़गढ़।

सेनीटरी एवं फूड इन्सपेक्टर्स–जिला मुख्यालयों पर।

हॉस्पिटल, जिला भीलवाड़ा।

३. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(१) श्री भीखाभाई, श्रम मंत्री ने श्री शादूल टेक्सटाइल मिल्स, श्री गंगानगर के ४० मजदूरों को प्रबन्धकों द्वारा हटा दिये जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

स्तम्भ

(२) पुगल क्षेत्र के गांव आखासर को पाकिस्तान के डाकुओं द्वारा लूट लिये जाने के सम्बन्ध में श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया।

(३) श्री रामहेतसिंह, जिला जयपुर के सोशल वर्कर को मार दिये जाने के सम्बन्ध में श्री निरंजननाथ आचार्य, उप गृह मंत्री, ने एक वक्तव्य दिया।

४. स्थगन प्रस्ताव

(१) कस्बा राजगढ़, जिला चुरू से सांखू रोड पर अकाल सहायता के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हटा दिये जाने से सम्बन्धित, श्री रावतराम के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

(२) राज्य के आयव्ययक, १९६४-६५ से सम्बन्धित साहित्य, सदस्यों को वितरित किये जाने से पूर्व, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के संचालक द्वारा दिल्ली में पत्रकारों को दिये जाने के प्रश्न से सबंधित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं गई। इसी विषय पर श्री मुरलीधर व्यास के इस आशय के स्थगन प्रस्ताव को भी कि वित्त मंत्री का भाषण जयपुर प्रेस में

स्कम्भ

समय से पूर्व प्राप्त हो गया था, प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं दी गई ।

(३) जयपुर मधु फारमेस्युटिकल (Jaipur Madhu Pharmaceutical) की बनी हुई दवाई "एफेड्रोल" (Ephedrol) के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा एवं श्री हरिराम चौहान के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई ।

स्कम्भ

५. आय व्ययक

प्रथम अवस्था ।

सामान्य वाद-विवाद ।

आयव्ययक (बजट), १९६४-६५ पर आज भी सामान्य वाद-विवाद जारी रहा ।

शुक्रवार, दिनाङ्क १३ मार्च, १९६४
की कार्य सूची

आय व्ययक, १९६४-६५ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ का उत्तर देखिए)

सूची बकाया श्री मोहनलाल मोदी व नन्दलाल ठेकेदार

नाम महकमा	नाम बाकीदार	रकम	तारीख	वसूली रकम	वसूली तारीख	बाकी
१–माइनिंग डिपार्टमेन्ट	श्री मोहनलाल ठेकेदार नीमकाथाना	१,०००:००	२–२–५८	१,०००:००	३१–१२–५६	नहीं
२– ,, ,,	,,	६६१:००	२–२–५८	६६१:००	२१–१–६१	,,
३–सिविल सप्लाइज़	,,	२०४:१३	,,	२०४:१३	१८–११–५८	,,
४–मिसलेनियस	,,	२,३७३:००	६–१२–५८	२,३७३:००	११–६–६१	,,
५–इनकम टैक्स	उपरोक्त और १४ दूसरे	२४,३६२:४८	१२–७–६१	—	—	२४,३६२:४८
६–जिलाधीश महेंद्रगढ़	श्री मोहनलाल रामप्रताप लाइमकन्ट्रेक्टर मावन्डा	७,०७६:००	१–७–६१	—	—	७,०७६:००
७–इनकम टैक्स	श्री मोहनलाल पुत्र चौथमल मय अन्य हिस्सेदार	१,०००:००	३०–६–६२	८५६:००	—	१४१:००

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
८–एडिशनल कलेक्टर जयपुर	श्री मोहनलाल मोदी	६५:००	२६–१–६२	—	—	६५:००
६–कलेक्टर महेंद्रगढ़	,,	२४८:६२	६–८–६२	२४८:६२	१६–२–६२	—
१०– ,, ,,	,,	१०,४४२:५०	२६–१–६३	१०,४४२:५०	८–२–६३	—
११–माइनिंग डिपार्टमेन्ट	श्री नन्दलाल अग्रवाल हिस्सेदार	४००:००	११–२–६३	४००:००	१८–२–६३	—
१२– ,, ,,	,,	१६,०००:००	११–२–६३	१६,०००:००	१०–७–६३	—
१३–सैल्स टैक्स	श्री मोहनलाल मोदी मय हिस्सेदार	४३,१६१:२६	१४–१–६३	२०,०००:००	७–१–६३	
१४– ,, ,,	,,	११,३६५:६२	१४–१–६३	३,५००:००	१७–१–६३	६७,२६७:४२
१५– ,, ,,	,,	३०,७२६:७८	१४–१–६३	१,५००:००	१७–१–६३	
१६– ,, ,,	,,	१८,०६५:४३	१४–१–६३	११,८८५:००	३०–११–६२	
		१,६७,३१८:१५		६८,२७३:२५		६८,६४४:६०

परिशिष्ट

१	२	३	४	६	७
बाकी रकम की तफसील:—	१– स्टे आर्डर में	७,०७६:००			
	२– महकमें मुआलिका में स्पष्टीकरण में	६७,५०३:४२			
	३– कुर्कसुदा जायदाद की नीलामी की स्वीकृति के लिये रेवेन्यू बोर्ड में भेजी	२४,३६२:४८			
		९८,६४४:९०			

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न काल में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

तकावी की वसूली में बैलों की नीलामी, जिला बांसवाड़ा

३७७. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:....

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में सन् १९६२ से १९६३ तक तकावी की वसूली के लिए किसानों के बैल नीलाम किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने बैल ?

(२) जिन काश्तकारों के बैल नीलाम किये गये हैं उनके पास कितने कितने बैल थे ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज योजना, गंगानगर

३७८. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर शहर की गलियों व सड़कों का हाल पानी निकालने का समुचित प्रबन्ध न होने की वजह से बहुत बुरा रहता है व बरसात में हालत और भी अधिक खराब हो जाती है ?

(२) यदि हां, तो इस पानी के लिए जो अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज की योजना है उसके पूर्ण होने की कब तक उम्मीद है व इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(१) गंगानगर में गलियों व सड़कों के पानी के निकास के लिए नालियों (भूमिगत नालियां) अथवा सरफेस ड्रेन्स का अभाव है। गन्दे पानी की सफाई के लिए ट्रेक्टर ट्रालीज एवं भैंसा गाड़ियों द्वारा प्रबन्ध की व्यवस्था है। परन्तु पानी की मात्रा अधिक होने से एवं कुण्डियों की सफाई कम होने से सफाई में कठिनाई आती है।

बरसात में यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है क्योंकि नगर ऐसा समतल स्थान पर बसा हुआ है जिसका ढलान अत्यन्त कम है।

(२) अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज की योजना चीफ इन्जीनियर हैल्थ, राजस्थान, जयपुर द्वारा तैयार की जारही है और इस पर लगभग ८० लाख रुपये अनुमानिक खर्च की सम्भावना है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता है, जिसका अभी अभाव है।

नगरपरिषद् सरफैस ड्रेन्स बनाने की योजना शीघ्र ही कार्यान्वित कर रही है।

पुनर्ग्रहीत उप-जागीरें, जिला झुन्झुनू

३७६. ठाकुर श्री रघुवीरसिंह (मंडावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला झुन्झुनू की उप-जागीरों का बन्दोबस्त सम्वत् १९९९ में नहीं हुआ था और सम्वत् २०२० में हुआ ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त उप-जागीरें तारीख १-३-१९६० को रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट के तहत पुनर्ग्रहण की गई उस समय गैर बन्दोबस्त शुदा थीं ?

(३) यदि हां, तो इन गैर बन्दोबस्त शुदा जागीरों में से कितनों को जागीर एक्ट की धारा ७ के अनुसार मुआवजा दिया गया और कितनों को संवत् १९९९ के बन्दोबस्त के आधार पर ? कुल संख्या कितनी थी ?

(४) क्या यह सत्य है कि कुछ ऐसे छोटे उप-जागीरदारों को जिन्हें रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट की धारा ७ के अनुसार मुआवजा दिलाने की आज्ञा उप-जिलाधीश जागीर द्वारा दी जा चुकी थी, मयाद रिव्यू गुजरने के पश्चात् नोटिस जारी कर फिर रिव्यू द्वारा सुनाई की जा रही है ? ऐसे मुकदमात की संख्या क्या है और उनकी (उप-जागीरदारों की) वार्षिक आय क्या थी ?

(५) इन थोड़े जागीरदारों के ही खिलाफ रिव्यू की सुनवाई मयाद गुजरने के बाद करने का क्या कारण था ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) ४५ उप जागीरदारों को जागीर एक्ट की धारा ७ के तहत और ३२८६ को सम्वत् १९९९ के बन्दोबस्त के आधार पर मुआवजा दिया। कुल ३३३१।

(४) कोई केस रिव्यू नहीं किया गया।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलॉटमेंट कमेटी की बैठकें-तहसील बाड़ी

३८०. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) पिछले साल में बाड़ी तहसील में अलॉटमेंट कमेटी की कितनी बैठकें हुईं ? और कितनी जमीन कमेटी द्वारा अलॉट की गई ?

(२) कितनी जमीन केवल तहसील द्वारा अलॉट की गई ?

(३) कितनी कितनी जमीन किन-किन महीनों में अलॉट की गई जब कि अलॉटमेंट मई और जून में होना चाहिये था ?

उत्तर

(१) पिछले साल सन् १९६३ में तहसील बाड़ी में सलाहकार अलॉटमेंट कमेटी की ७ बैठकें हुईं उक्त बैठकों में ६१४ बीघा ४ बिस्वा आराजी अलॉट हुई ।

(२) कोई जमीन, केवल तहसील द्वारा अलॉट नहीं हुई ।

(३) निम्नलिखित महिनों में उनके सामने अंकित रकबा का अलॉटमेंट हुआ:—

फरवरी	१७३ बीघा	११ बिस्वा
जून	१७७ बीघा	७ बिस्वा
जौलाई	११८ बीघा	८ बिस्वा
अगस्त	१४४ बीघा	१८ बिस्वा
	६१४ बीघा	४४ बिस्वा

व्हील बैरोज़ की खरीद

३८१. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान की नगरपालिकाओं को भारत सरकार द्वारा व्हील बैरोज के लिए कितनी राशि दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि जितने रुपये की राशि भारत सरकार ने दी उतनी ही राशि नगरपालिका की ओर से मिला कर सम्बन्धित नगरपालिकाओं को व्हील बैरोज खरीदने के आदेश थे ?

(३) क्या यह सही है कि नगरपालिका रतनगढ़ को सन् ६० में ५,००० रुपये व्हील बैरोज खरीदने के लिए दिये गये थे ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त राशि तत्कालीन अध्यक्ष ने मनमाने ढंग से खर्च कर दी और इस राशि से व्हील बैरोज आज तक खरीद नहीं किये गये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि लोकल फण्ड ऑडिट विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट तारीख १३-४-६१ सन् ६०-६१ में उक्त राशि अनुचित रूप से खर्च करने हेतु तत्कालीन अध्यक्ष को दोषी ठहराते हुए उनसे वसूल करने की मांग की है ?

(६) इन रुपयों की वसूली के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उतर

(१) गत वर्षों में भारत सरकार द्वारा राजस्थान की नगरपालिकाओं को व्हील बैरोज के लिए दी गई राशि के आंकड़े संलग्न हैं।

(२) जी हां। नगरपालिकाओं को यह आदेश थे कि जितनी राशि उन्हें भारत सरकार से दी जारही है उतनी ही राशि वे अपनी ओर से मिलाकर व्हील बैरोज क्रय करें।

(३) जी हां। यह सही है कि नगरपालिका, रतनगढ़ को सन् १९५९-६० में व्हील बैरोज खरीदने के लिए ५,०००) रुपये की राशि दी गई थी।

(४) उक्त राशि तत्कालीन अध्यक्ष ने निर्धारित कार्य में खर्च न कर में अन्य कार्यों में खर्च करदी थी, जिसके लिए उन्होंने बताया है कि पालिका के पास पहिले से ही खरीदे हुये काफी व्हील बैरोज पड़े थे। अतः तत्कालीन नगरपालिका ने उनकी मिटिंग दिनांक ३०-४-६० में यह निर्णय कर लिया था कि व्हील बैरोज नहीं खरीद कर अन्य कार्यों में खर्च कर दिये जावें।

(५) लोकल फण्ड आडिट विभाग द्वारा उनकी रिपोर्ट में उक्त ५,०००) रुपये पालिका द्वारा निर्धारित कार्य में उपयोग में नहीं लिए बताये थे तथा उक्त रकम को राज्य कोष में वापिस जमा कराने हेतु लिखा गया था।

(६) यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

गटर लाइन, जयपुर

३८२. **श्री दुर्गालाल बादृदार** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर में किस किस चौकड़ी में गटर की लाइनें नहीं डाली गई हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार के पास शहर में सब स्थानों पर गटर लाइन डालने की कोई योजना है और यदि है तो वह कब तक क्रियाविन्त होगी ?

(३) राज्य सरकार जयपुर नगर में गटर लाइन डालने के लिए १९६३-६४ में कितना रुपया व्यय करना चाहती है ? और इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता और अनुनान मिलेगा ?

उत्तर

(१) जयपुर में चौकड़ी हवाली शहर गर्बी, तोपखाना हजूरी, हवाली शहर जनूबी, शर्कि शुमाली व ब्रह्मपुरी में गटर लाइन नहीं है।

(२) नगरपरिषद्, जयपुर के अधीन वर्त्तमान में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ?

(३) जयपुर में गटर लाइन के लिये १९६३-६४ में कोई प्रावधान नहीं है है।

अकाल-ग्रस्त ग्राम-तहसील बाली व देसूरी

३८३. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या मंत्री अकाल सहायता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले की बाली व देसूरी तहसीलों में वर्षा का औसत ३० इंच होते हुए भी सन् ६२-६३ में इन दोनों तहसीलों के गांवों में कुल मिलाकर ६" से १३ इंच तक ही पानी गिरा है ?

(२) क्या यह सही है कि इन दोनों तहसीलों के ग्रामों में सिंचाई का मुख्य साधन बेरे हैं और उनमें पानी की कमी होने से सिंचित रकबा एक तिहाई से भी कम रह गया है व खरीफ में तो मामूली चारे से अधिक कुछ भी नहीं पैदा हुआ ?

(३) क्या यह भी सही है कि बावजूद इन हालतों के इन तहसीलों के ग्रामों को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है और इससे किसानों में निराशा और घोर असन्तोष बढ़ रहा है ?

(४) क्या सरकार इन ग्रामों की सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करके आवश्यक राहत पहुँचाने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(१) जी न हां। बाली तथा देसूरी तहसीलों में वर्षा का औसत २२ इंच से २५ इंच है। बाली तहसील में इस वर्ष १८ इंच तथा देसूरी में ११.६५ इंच वर्षा हुई है।

(२) जी हां। इस वर्ष वर्षा की कमी से सिंचित रकबे में कुछ कमी हुई है बाली तहसील में गत वर्ष की अपेक्षा ६३० एकड़ कम और देसूरी तहसील में आधा रकबा ही सिंचित हुआ है, खरीफ संवत् २०२० की फसल में चारा व अनाज की पैदावार साधारणतया ठीक थी।

(३) बाली तहसील के ५ गांवों के अतिरिक्त अन्य गांवों की स्थिति ठीक होने के कारण तथा देसूरी तहसील के सभी गांवों में फसल में नुक्सान १ रु० में ६ आने से कम होने के कारण अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

(४) राज्य सरकार ने जिलाधीश पाली को इस विषय में दुबारा जांच करने के लिए लिखा था, और जिलाधीश ने बतलाया है कि देसूरी तहसील के किसी भी गांव में खरीफ की फसल को नुक्सान १) रु० में ६ आने से अधिक नहीं है। इसी प्रकार बाली तहसील के पांच गांवों को छोड़कर अन्य गांवों में नुक्सान ८ आने से कम है।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १४७ का उत्तर देखिए)

Statement showing the works executed by the Former City Improvement Committee and the Urban Improvement Trust, Bikaner from 1959 to 31st July, 1963.

1. Providing two open culverts on the channel in old sinani near Dera Mahajan.
2. Improving low area behind Municipal Hall and Sardar Hall near Mahron-Ka-Bas.
3. -do- -do- Part 'B'
4. Construction of metalled road from existing road near Degon-Ki-Pole and Joining tarred road inside Pabu Bari.
5. Construction of metalled road connecting Hospital road near Dhuriji-Ki-Dharamshala and Bungawlo No. 40 Sadulnagar.
6. Providing drainage system in Kamla Colony at Bikaner.
7. Improving area inside Kasaiyon-Ki-Bari.
8. Providing link road connecting main city road near Bagriyon-ka-Mohalla to Hamalon-ki-Bari, through Bachhawton-Ka-and Labu ji -Ka-Dhigga Part 'A'.
9. -do- -do- Part 'B'
10. Providing link road connecting Kote-Gate to New well & New Well to connecting Teliwara road through Manharon-Ka-Mohalla Part 'A'
11. -do- -do- Part 'B'
12. Providing cement concrete road Kash Nadi area inside Nathusar Gate at Bikaner.
13. Construction work of road from Kochron ka Chonk connecting Jail Sadar road near Arya Samaj Mandir.
14. Construction work of road from Jagman well to pabu Bari through Didwaniyon Ka Mohalla Bikaner.

15. Consturction work of road in Jassolai area inside Nathusar Gate at Bikaner.

16. Disposal of Nullah water of Chautina well area inside Sursagar channel.

17. Construction of two span culverts near Ware house.

18. -do- -do- Old Ginani.

19. Widening existing water way of pucca Nala and Improving road inside Pabu Bari at Bikaner.

20. Drainage and other Improvement works at Bfkaner. a- Part II-Lined and covered portion of Railway Nalla near Railway Station, Bikaner.

    b. Sursagar channel earth work 0 to 83 chain.

    c. Part II-lined and covered portion of Rly. Nallah 'B' Unlined portion of Rly. Nallah behind Dak Bungalow, earth work etc.

21. De-silting of Reilway Nallah near Goods Shed.

22. Construction of tarred road with surface drain in Mohalla Darjiyan inside Seetla Gate.

23. Construction of tarred road with foot path in Teliwara from Motilal Lakhani's Flour Mill to chowk Jagman.

24. Construction of roads in Modern Market (Shopping Centre at Bikaner).

25. Construction of covered drain joining with the Rly. Nallah along with Railway Station at Bikaner.

26. Construction of pacca drain in the bed of Katcha channel running along the City wall from Jassolal road to Nathusar Gate.

27. Repairs to cement concrete road outside Kasaiyon-Ki-Bari at Blkaner.

28. Construction of kerbs and Circle in New Modern Market.

29. Construction of tarred roads in Sadulnagar Colony.

30. Construction of covered drain in New Modern Market.

31. Construction of covered drain in Kamla Nagar Colony.

परिशिष्ट ४

(कृपया-अतारांकित प्रश्न संख्या १४६ का उत्तर देखिए)

S. No.	Name of Dispensary.	Sect. Strength.	Present.	Vacant.	Date of Vacancy.	Remarks.
1.	Gen. Hospital, Partabgarh.	4	3	1		
2.	Zenana Hospital, ,,	2	1	1		
3.	,, Govt. Hosp. Nimbahera.	1	1	-		
4.	Govt. Hosp. Chhoti sadri.	1	1	-		
5.	Govt. Hosp. Begun.	1	-	1	10.9.63	
6.	Distt. Hosp. Chittorgarh.	2	2	-		
7.	Deogarh sub. Dispy.	-	-	-		
8.	Rashmi dispensary.	1	1	-		
9.	Bhadesar Dispensary.	1	-	1	Comp.	Gr.I. working.
10.	Bansi Dispensary.	1	-	1	Sept, 63	-do-
11.	City Dispy, Chittorgarh.	-	-	-		
12.	Police Dispy. Chittorgarh.	-	-	-		
13.	Jail Dispy. Partabgarh.	-	-	-		
14.	Dhomatar. Sub Dispensary.	-	-	-		
15.	Dalled Dispensary.	1	-	1	Comp.	Gr.I. working.
16.	Nadwai Dispensay.	1	-	1	-do-	
17.	Bassi Dispensary.	1	1	-		
18.	Dungla.	1	-	1	Dec. 62.	

१	२	३	४	५
19. Arnod Dispesary.	1	–	1	Comp. Gr.I. working.
20. Bhensrodgarh P H C.	1	–	1	-do-
21. P. H. C. Kapasin.	2	2	–	
22. P. H. C. Sawa.	1	1	–	
23. P. H. C. Bararwada.	1	–	1	From beg.nniog.
24. P. H. C. Gangrar.	1	–	1	Aug. 63.
25. P. H. C. Kanore.	1	–	1	From beginning.
26. P. H. C. Parsoli.	1	1	–	
27. MCW Centre, Chitrorgarh.	1	1	–	
28. MCW Centre, Kapasin.	1	–	1	From the beginning.
29. Dental Clinics Partabgarh.	1	1	–	
30. Govt. Hosp. Bari Sadri.	1	1	–	
31. Gosunda Dispensary.	1	1	–	

*शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १२ मार्च, १६६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
,,	६, ७	(श्री मोहनलाल मुखाडिया)	(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
६	२०	(अलवर) :	(अलवर)
१०	२०	श्री नाथुलाल करौल	श्री नाथूलाल करौल
११	शीर्षक	-१२ माच, ६४-	-१२ मार्च, ६४-
१८	अन्तिम से ४	श्री यॊगेन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
२५	शीर्षक	-१२ माच, ६४-	-१२ मार्च, ६४-
२७	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर- १२ मार्च ६४- अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर -१२ मार्च, ६४- तारांकित प्रश्नोत्तर
३२	१२, २०	श्री गीरधारीलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
४५	शीर्ष	(श्री चतुर्भुज उपाध्यत्र)	(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)
,,	१६, २०	(श्री दौलतरान सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
४६	अन्तिम से २, १	श्री विजयसिंह झाला (नाथ द्वारा [(श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) द्वारा पूछा	श्री विजयसिंह झाला (नाथ-द्वारा) [श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) द्वारा पूछा
४७	१	गया)] :	गया] :
५०	१८	(बैनेडा)	(बनेडा)
,,	अन्तिम से ३	नहर की	नहर
५१	शीर्ष	(श्री सिंचाई मंत्री)	(श्री हरदत्तसिंह)
५२	१४	(वैर)	(वैर)
५५	१	(वैर)	वैर
५७	२	श्री दौलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
६१	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
६३	शीर्ष	(श्रीमती नरेन्द्रबाला)	(गृह मंत्री)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६७	शीर्षक	———	(स्वायत्त शासन मंत्री)
६८	स्कम्भ	———	६८
६९	शीर्षक	———	(श्री भीमसेन)
७३	१३,१४	पाकिस्तितानियों	पाकिस्तानियों
७४	शीर्षक	मजदूरों को हटाने सम्बन्धी	पाकिस्तानियों के द्वारा
८९	शीर्षक	–१२ मांच, ६४–	–१२ मार्च, ६४–
९२	शीर्षक	हत्या सम्बन्धी वक्तव्य	सांखू रोड़ अकाल सहायता
९३	शीर्षक	–१२ मार्च, ६३–	–१२ मार्च, ६४–
९६	१५	श्री भैरोंसिह मामला	श्री भैरोंसिह : मामला
१००	१६	(निन्वाहेडा)	(निम्बाहेडा)
,,	२२	(५.५३ म० प०)	(६.५३ म० पू०)
१०६	३	(नर्सराबाद)	(नसीराबाद)
१२१	शीर्षक	–२१ मार्च, ६४–	–१२ मार्च, ६४–
१२२	२०	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया : के	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया के
१२५	अन्तिम से २	श्री फतहसिंह (चौहान)	श्री फतेहसिंह (चोहाटन)
१२७ से १९४	शीर्षक	अग्रेतर	अग्रेतर
१२७	१२	श्री फतहसिंह	श्री फतेसिंह
१२९	१, २०, २४, २८	,, ,,	,, ,,
,,	२१	श्री बालकृष्ण कौल मैं (वित्त मंत्री) :	श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं
१३०	८, २५	श्री फतहसिंह	श्री फतेहसिंह
१३१	शीर्ष, २२, २७	,, ,,	,, ,,
१३२	३	,, ,,	,, ,,
१३३	२५	,, ,,	,, ,,
१५१	शीर्ष	(श्री दलपतांिह)	(श्री दलपतसिंह)
१५४	शीर्षक	सानान्य वाद	सामान्य वाद
१६३	शीर्षक	–६ मार्च, ६४–	–१२ मार्च, ६४–
१७७	शीर्षक	–१२ मार्च, ६४ सु	–१२ मार्च, ६४–
१७९	शीर्ष	(श्री विजयपाल कठारा)	(श्री विजयपाल कटारा)
१९२	१, २	(किशनपोल बाजार, जयपुर)	(किशन पोल, जयपुर)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२०६	शीर्षक	–१२ मार्च, ६६–	–१२ मार्च, ६४–
२२१	शीर्षक	संक्षिप्त–विवरण –१२ मार्च ६४– संक्षिप्त–विवरण	
,,	२	(शुरुवार,	(गुरुवार,
२२३	६ के बाद	———	अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६१
,,	२१ के सामने	वक्तव्य—	वक्तव्य ७०
२२५	११ के सामने	स्थगन–प्रस्ताव	स्थगन–प्रस्ताव ६१
२२६	शीर्षक	—ववरण	—विवरण

* नोट:—विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।